हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

15 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 2016

		पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना	—	1 (2)
स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज तथा डॉ. अभय सिंह यादव, एम.एल.ए के जन्मदिन पर बधाई	—	2 (2)
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	—	2 (2)
प्रताप पब्लिक स्कूल जुंडला, जिला करनाल के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन	—	2(9)
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	—	2(9)
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	—	2(23)
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	—	2(24)
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	—	2(45)
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा राज्यपाल महोदय के अनादर तथा सदन के अपमान का विषय उठाना	—	2(46)

मूल्य :

सदन/समितियों से सदस्यों का निलम्बन	—	2(55)
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा राज्यपाल महोदय के अनादर तथा सदन के अपमान का विषय उठाना (पुनरारम्भ)	—	2(55)
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के निलम्बित सदस्यों को वापस बुलाने के लिए अनुरोध	—	2(55)
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा राज्यपाल महोदय के अनादर तथा सदन के अपमान का विषय उठाना (पुनरारम्भ)	—	2(57)
वाक आऊट	—	2(60)
सदन की मेज पर रखा गया कागज पत्र	—	2(60)
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	—	2(60)
जाट धर्मशाला, कुरूक्षेत्र में प्रशासक की नियुक्ति का मामला उठाना	—	2(62)
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा	—	2(65)
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, संसदीय सचिव तथा सदस्य का अभिनंदन	—	2(80)
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	—	2(80)
बैठक का समय बढ़ाना	—	2(95)
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	—	2(95)
बैठक का समय बढ़ाना	—	2(98)

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमने सदन में काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है। यह एक बड़ा ही अहम मुद्दा है। पिछले दिनों जाट आरक्षण के दौरान आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त प्रदेश के अंदर बहुत से असामाजिक तत्वों ने हरियाणा प्रदेश के माहौल को बड़ा खराब किया। इस जाट आरक्षण आंदोलन में 30 से ज्यादा लोगों की जानें गई और करीब 35-37 हजार करोड़ रूपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसमें बुरी तरह से हरियाणा प्रदेश को लुटा गया और हरियाणा प्रदेश की संपत्ति को आग के हवाले किया गया। हरियाणा प्रदेश में भाईचारे के माहौल को खराब किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि और किसी मुद्दे पर चर्चा कराने की बजाय प्रश्न काल शुरू करने से पहले ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाये। जोकि बहुत ही जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैंने विचार किया है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें 5 बैठकों के लिए निष्कासित किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब भी बजट पेश होगा उसके बाद इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाये। ताकि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी इस चर्चा में शामिल हो सके।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव में आने वाले नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यदि कांग्रेस पार्टी के सदस्य स्थगन प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लेंगे तो यह बात पूरे हरियाणा के लोगों को मालूम हो जायेगी कि वे उनके कितने शुभचिंतक हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य स्थगन प्रस्ताव में इसलिए नहीं आयेंगे क्योंकि वे भी जाट आरक्षण के आंदोलन में भागीदार थे।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव में बार-बार ऐसे सदस्यों का जिक्र होगा तो उनको भी अपना जवाब देने का अवसर मिलेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवायें।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, 21 तारीख को इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवायेंगे इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री अभय सिंह चौटाला: ठीक है, अध्यक्ष महोदय ।

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज एवं विधायक डॉ. अभय सिंह यादव के जन्मदिन पर बधाई।

श्री अध्यक्ष: आज स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज और डॉ. अभय सिंह यादव का जन्म दिन है, उसके लिये उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभ कामनाएं देते हैं।

आवाजें: बहुत-बहुत बधाई हो।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज और डॉ. अभय सिंह यादव के जन्म दिन पर बहुत-बहुत बधाई और शुभ कामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि डॉ. मिड्ढा का स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है। मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि वे इनको लम्बी आयु दें।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरु होता है।

To Set Urea Fertilizer Factory

***996. Shri Hari Chand Middha :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an urea fertilizer factory in Jind constituency; if so, the time by which the above said proposal is likely to be meterialized ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान जी, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं आया।

श्री हरि चंद मिड्ढा: अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या कमी रह गई है कि इसकी जरूरत नहीं है। जीन्द एक गरीब और पिछड़ा हुआ हल्का है। यदि हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती तो हमारा जनता द्वारा चुनकर सदन में आने का कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार आदमी दिल और लिवर के बिना जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार जीन्द हल्का हरियाणा प्रदेश का दिल है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जीन्द में इस कारखाने की जरूरत नहीं है। आप हरियाणा प्रदेश के मालिक हैं, इसलिए आप अपनी लिस्ट में से जीन्द हल्के का नाम हटा दें। माननीय मंत्री जी, मेरा आपके साथ फौज और भांजे का रिश्ता है। भांजा काम करने में अपनी शान बनाता है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरी झोली भर देंगे। आप इस विषय पर ज्यादा देर ना करें क्योंकि जब मैं जीन्द हल्के में जाउँ तो जीन्द निवासी वास्तव में कहे कि आप इस बार जीन्द के विकास के लिए कुछ करके आएं हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि इनके देखते-देखते ही हम जींद को एक विकसित शहर के रूप में निश्चित तौर पर स्थापित करेंगे। मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आया है। माननीय सदस्य हमारा सहयोग करें तो यूरिया या कोई दूसरी फैक्ट्री इनके सहयोग से आ सकती है। हम निश्चित तौर पर पहल करके जींद में कारखाना लगवाएंगे। हमने इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी पिछले दिनों वर्ष 2015 में जारी की थी। इसको हमने आगे बढ़ाते हुए हैपनिंग हरियाणा का इनवैस्टर सम्मिट आयोजित किया है। हमने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमोशन और इनसेंटिव स्कीम्ज बनाई हैं। अगर उन स्कीम का लाभ लेने के लिए उद्योगपति सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर हम उनके साथ सहयोग करेंगे और उन्हें अच्छी सूहलियतें और सुविधाएं देंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लाने में हमारा सहयोग करते हैं तो हम उसके ऊपर तेजी से कार्यवाही करेंगे। (विघ्न)

श्री हरि चन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि-

"ना सता गरीब को, गरीब रो देगा,
ऊपर वाले की नजर पड़ी"। (हंसी)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि समूचा जींद जिला हरियाणा बनने के बाद पिछड़ा घोषित किया हुआ है। इस इलाके की इंडस्ट्रियलाईजेशन के लिए बहुत प्रयास किये गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1990 में जींद में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी जींद जिला आज तक विकास से अछूता है। वर्ष 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो केंद्रीय सरकार ने इस प्लाँट को जींद में लगाने का निर्णय लिया था लेकिन बाद में इसे वहां से बरवाला में ले आए और बरवाला से हिसार ले गये। क्या आपकी नई औद्योगिक नीति में जींद के औद्योगिक विकास के लिए उसी तर्ज पर कार्य होगा जिस तर्ज पर जींद के जुलाना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर की घोषणा की गई थी। इसके लिए उस समय 35 हजार करोड़ रूपये लगाने का वायदा किया गया था। क्या आपकी योजना इस प्रकार की है कि जींद में उस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि वहां के बच्चों को रोजगार मिल सके और वे कृषि को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर सके।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इतिहास अपने आपको दोहराता है लेकिन माननीय सदस्य इतिहास को इतनी जल्दी भूल जाएंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था। इसी महान सदन में इसी प्रकार के प्रश्न काल में इसी प्रकार की सप्लीमैंट्री से यह प्रश्न आया था और मैंने उत्तर दिया था। अब मैं फिर उसी उत्तर को एक बार दोहराना चाहता हूं। इन्होंने जिक्र किया है कि वर्ष 1990 और वर्ष 1996 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर की घोषणा की गई थी। मैंने इनको याद दिलाया था कि सन् 2000-05 में 5 साल तक इनकी पार्टी की हरियाणा में सरकार थी। हरियाणा प्रदेश में उस वक्त क्या कोई ग्रोथ सैंटर लगाने की चर्चा हुई या उन 5 सालों में लगाने की कोशिश की गई थी। आज हमारे पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पैंडिंग नहीं है। इन्होंने 5 साल तक इसकी कोई परवाह नहीं की । (विघ्न) यह सवाल माननीय सदस्य के विधानसभा के सदस्य होने का नहीं है। ये अपनी पार्टी के सम्माननीय सदस्य भी हैं। मैं यह उत्तर पहले दे चुका हूं। यह रिकॉर्ड है कि मैंने इनकी सप्लीमैंट्री का उत्तर दिया था। जींद के सफीदों, अलेवा, उचाना, अलेवा, पिल्लूखेड़ा, जुलाना ये 5 ब्लॉक डी श्रेणी में आते हैं। इन पांचों ब्लॉक में कोई भी उद्योगपति अगर छोटा या बड़ा उद्योग लगाना चाहेगा तो उसे किसी भी सी.एल.यू. की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस जमीन के ऊपर लगी हुई स्टैम्प ड्यूटी उसे वापस कर दी जाएगी। यहां उद्योगों के लिए अगर कोई ऋण लेगा तो उसे सस्ती दरों पर दिया जाएगा। यहां पर लाभ पर जो वैट लगता है इसको भी एक अवधि के बाद पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। उसमें जो स्थानीय लोगों को रोजगार देगा उसको सरकार अपनी तरफ से प्रति रोजगार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 30 हजार रूपये की सबसिडी देगी। अगर शिडयूल्ड कास्ट के साथी को रोजगार देगा तो उसको सरकार अपनी तरफ से 36 हजार रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सबसिडी इन 5 ब्लॉकों में देगी लेकिन इसके लिए हम आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने यह करके दिखाया है इसलिए आप सब सहयोग देंगे तो बहुत सी इंडस्ट्रीज प्रदेश में और भी लग पाएंगी।

श्री हरिचंद मिड्ढा: अध्यक्ष महोदय, इस समय जींद हल्के में 26 फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं जिसके लिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इनको कब तक चालू करवा देंगे क्योंकि वहां सड़कें तथा दूसरी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने 26 उद्योगों का जिक्र किया है जिसके लिए मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये इन 26 उद्योगों की सूची लेकर कभी भी मेरे साथ बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। अतीत में प्रदेश से उद्योगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा था। हरियाणा में ऐसा वातावरण बन गया था कि उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में विश्वास बहाली का काम किया है। हरियाणा में उद्योगों का ऐसा वातावरण बन गया है जिसके कारण जो उद्योग प्लायन कर गए थे वे वापस आ रहे हैं। हम निश्चित तौर पर एक एक फैक्ट्री को जो सहयोग और सहूलियतें दे सकते हैं, वे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि उनके यहां के जो 26 उद्योग बंद हो गए हैं हम उनके लिए भी सहयोग देंगे तथा यदि ये और भी उद्योग लगाने के लिए कहेंगे तो उनको भी लगाने के लिए हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

Completion of Road in Hathin Constituency

***1004. Shri Kehar Singh:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the stretch of 100 meter of road from village Rehrana to Tikri Brahman of Hathin constituency is lying incomplete for the last 10 years and also the road from Andhop to Sondh to sondh and Nangal Jat to Ai Braman are lying incomplete; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be completed togetherwith the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरवीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) गांव रहराना में 100 मी0 भाग को 31-8-2016 तथा अंधोप से सोन्ध सड़क को 14-9-2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। नांगल जाट से अली ब्राहमण सड़क की कुल लंबाई 3.60 किलोमीटर है। इसके 110 मीटर भाग जो गांव नांगल जाट में पड़ता है तथा जिस पर भूमि विवाद है, को छोड़कर बाकी सड़क बनी हुई है। इसलिए इस विवादित भाग को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं साथी को बताना चाहूंगा कि यह जो रोड है यह मार्किट कमेटी का रोड है न कि बी. एण्ड आर. का। यह 4 तरफ का रास्ता है और बी. एण्ड आर. 6 करम से कम का रास्ता नहीं बनाता है।

श्री केहर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले वर्ष हथीन कस्बे में गए थे और वहां बहुत सी घोषणाएं करके आए थे। हथीन कस्बे में बाई पास की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही थी जिसको मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मुखारविंद से मंजूर किया। उन्होंने नांगल जाट से सेवली रोड भी मंजूर की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन दोनों सड़कों का काम कब से चालू होगा और कब तक यह काम खत्म होगा?

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसकी समय सीमा अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि जमीन एक्वायर करने की घोषणा जिस जनसभा में मुख्यमंत्री जी करके आए थे उस जनसभा में मैं भी था । जमीन एक्वायर करने की समस्या हमारे देश और इस प्रदेश में है। इस प्रांत में जमीन एक्वायर करने का कोई नियम लागू नहीं हो सका लेकिन फिर भी बाई पास के लिए यदि लोग सहमति से जमीन देने के लिए तैयार हो जाएं तो हम उस बाई पास का निर्माण करवा देंगे।

श्री केहर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि हथीन में जहां बाई पास का सर्वे करवाया गया है उसके पास गोच्छी ड्रेन है। अगर उस ड्रेन के दोनों साइड में रोड बना दी जाए तो सरकार को इसके लिए जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस गोच्छी ड्रेन के माध्यम से बाई पास की समस्या हल हो सकती है। बाई पास निर्माण के लिए यदि सर्वे करवाया जाए तो करीबन 55 करोड़ रूपये खर्च आएगा लेकिन गोच्छी ड्रेन के दोनों साइड ये रोड निकाली जाती है तो 15-20 करोड़ रूपये से ही समस्या हल हो जाती है तथा सड़क भी दुगनी बन जाएगी।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि हम इसका सर्वे करवा लेंगे और वायबल हुआ तो मैं सदन में माननीय साथी को आश्वासन दिलाता हूं कि हम यह बाई पास जरूर बनवा देंगे।

Smart Cities in Haryana

***1078. Shri Umesh Aggarwal:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the number of smart city is proposed to be developed in Haryana and whether the Gurgaon city is also included therein;

(b) the types of amenities proposed to be provided in smart cities in addition to the existing amentities for which these cities will be known as smart cities; and

(c) whether the provision of financial arrangements has been made for the abovesaid work; if so, the details thereof togerther with the contribution of Central Government and State Government separately?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन):

(क) दो शहरों अर्थात फरीदाबाद और करनाल को केन्द्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है जिन्हें स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने दिनांक 04-12-2015 को यह निर्णय लिया है कि गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

(ख) स्मार्ट शहरों में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं तथा स्मार्ट सिटी संसाधन की विस्तृत ब्यौरा अनुबंधित है।

(ग) हां श्रीमान। फरीदाबाद एवम् करनाल के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में राशि सांझी की जायेगी जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शहर को रुपये 500 करोड़ की सीमित राशि दी जायेगी। गुड़गांव के लिए पूरी लागत संयुक्त रूप से राज्य सरकार और गुड़गांव नगर निगम द्वारा वहन की जायेगी।

अनुबंध

मुख्य आधारभूत अवसंरचनांए में शामिल हैं:-

1. पर्याप्त जला पूर्ति
2. आशवाशित बिजली आपूर्ति
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
4. प्रभावी शहरी गतिशीलता (मोबीलिटी) और सार्वजनिक परिवहन
5. किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
6. मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी संयोजकता तथा डिजिटलीकरण
7. सुशासन विशेष रूप से ई-गवर्नेस और नागरिक भागीदारी
8. धारणीय (ससटिनेबल) पर्यावरण
9. बचाव और नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की
10. स्वास्थ्य और शिक्षा।

स्मार्ट सिटी के साधन के तहत 21 सेवाए:

ईगवर्नेस और नागरिक सेवाएं

1. जन सूचना, शिकायत निवारण
2. इलैक्ट्रॉनिक सेवा वितरण
3. नागरिक जुड़ाव
4. नागरिक-शहर की प्रतिक्रिया
5. अपराधों की वीडियो निगरानी

कचरा प्रबंधन

6. अपशिष्ट से ऊर्जा और ईंधन
7. अपशिष्ट से खाद
8. अपशिष्ट जल का प्रतिपादन
9. पुनर्चक्रण तथा भवन और मलबा अपशिष्ट में घटाव

जल प्रबंधन

10. स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
11. रिसाव पहचान, निवारक रखरखाव
12. जल गुणवता निगरानी

ऊर्जा प्रबंधन

13. स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
14. ऊर्जा के अक्षय स्त्रोतों
15. कुशल ऊर्जा और ग्रीन बिलिडिंग

शहरी गतिशीलता

16. स्मार्ट पार्किंग
17. इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन
18. एकीकृत मल्टी मॉडल परिवहन

अन्य

19. टेली मेडिसिन और टेली शिक्षा
20. ऊष्मायन/व्यापार सुविधा केन्द्र
21. कौशल विकास केन्द्र

श्री उमेश अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने गुड़गांव को हरियाणा की तीसरा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और केन्द्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि वहां से इसके लिए मंजूरी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में तीन स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं। इन तीनों शहरों में और दूसरे अन्य शहरों में अनअथोराइज्ड कालोनीज और इन्क्रोचमैंट की बहुत बड़ी समस्या है। जब तक अनअथोराईज्ड कालोनीज को अथोराईज करके वहां पर बेसिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं करवाई जायेंगी तब तक शहर स्मार्ट नहीं बन सकते। इसके साथ-साथ जो इन्क्रोचमैंट की समस्या है जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक भी शहर स्मार्ट नहीं बन सकते। प्रदेश में सभी शहरों में फुटपाथ पर रेहडियां लगी रहती हैं जिसके कारण लोगों को बहुत समस्या होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इन रेहड़ी वालों को वहीं पर जगह दे दी जाए । अगर इनको वहीं पर जगह दी गई तो शहर स्मार्ट होने की बजाय शहरों की बद्तर स्थिति हो जायेगी। मैं मंत्री महोदया से यही जानना चाहता हूं कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जायेगा ?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी विधायक ने जो प्रश्न लगाया था वह स्मार्ट सिटी से संबंधित था और जो सप्लीमैंटरी पूछी है, वह अलग है। फिर भी मैं माननीय साथी की तसल्ली के लिए जानकारी देना चाहूंगी कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जितनी भी अनअथोराईज्ड कालोनीज हैं उनका सर्वे करवाकर जो कालोनी मानक पूरा करें उन्हें अथोराईज किया जाए तथा वहां पर मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। इस बारे में 31 मार्च, 2016 तक डैड लाईन दी हुई है। म्यूनिसिपल कमेटीज 31 मार्च, 2016 तक इससे संबंधित रिपोर्ट सबमिट कर देंगी। उसके पश्चात सर्वे किया जायेगा कि जो कालोनी मानक पूरा करेंगी, उनको रैगूलराईज कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने दूसरा सवाल फुटपाथ पर लगने वाली रेहड़ियों के बारे में किया है। इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगी कि प्रदेश की सरकार इससे संबंधित पॉलिसी बनाने जा रही है ताकि जो गरीब लोग इससे अपना रोजगार कमा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत न आये और शहर में भी समुचित व्यवस्था की जा सके।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे प्रश्न के (ग) पार्ट के जवाब में कहा है कि 500 करोड़ रूपये स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च किए जायेंगे । गुड़गांव शहर को स्मार्ट बनाने के लिए पूरी लागत संयुक्त रूप से राज्य सरकार और गुड़गांव नगर निगम द्वारा वहन की जायेगी । मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि पिछले पांच साल का गुड़गांव नगर निगम की स्टॉम्प डयूटी की लगभग 800 करोड़ रूपये की राशि हरियाणा सरकार के पास पड़ी हुई है । क्योंकि जो शहरी स्टॉप डयूटी आती है उसकी 2 प्रतिशत राशि उसी शहर के लिए होती है जिस शहर से वह एकत्रित हुई है लेकिन पिछली सरकार ने सभी कारपोरेशंज और नगर निगमों का एक पूल बना दिया जिसके कारण गुड़गांव का पैसा दूसरे शहरों में लगने लगा। यह प्रश्न वैसे तो रैवेन्यू मिनिस्टर से संबंधित है। मेरा उनसे निवेदन है कि गुड़गांव का वह पैसा वापिस दिया जाये ताकि गुड़गांव स्मार्ट सिटी बन सके।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, माननीय विधायक जी का प्रश्न बिल्कुल डिफरैंट हैं लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनको एश्योर करना चाहूंगी कि पिछली सरकारों ने जो यह पॉलिसी बनाई थी कि जो स्टैम्प ड्यूटी का पैसा होगा वह टोटली यहां पर आयेगा। मैं माननीय साथी के साथ-साथ पूरे सदन को भी बताना चाहूंगी कि हम इस पॉलिसी को भी रिवाइव कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी नगरपालिका का हिस्सा होगा वह उसको दिया जायेगा हम ऐसी पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं कि जो समार्ट सिटी का कांसैप्ट है उसके क्या मानक हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारा पंचकूला सबसे ज्यादा प्लांड सिटी है क्योंकि पंचकूला शहर 95 प्रतिशत प्लांड-वे से बना हुआ है। मेरे विचार से स्मार्ट सिटी के सबसे ज्यादा मानक पंचकूला शहर पूरे करता है। 95 प्रतिशत मानक पूरे करने के बावजूद भी पंचकूला शहर को स्मार्ट सिटी के लिए क्यों सलैक्ट नहीं किया गया? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, माननीय विधायक जी की चिंता से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं और माननीय साथी की चिंता पूरी तरह से ज़ायज भी है। सबसे पहली बात तो मैं यह बताना चाहूंगी कि यह सैपरेट प्रश्न है इसके बावजूद भी उनकी चिंता को दूर करते हुए मैं यह बताना चाहूंगी कि आज सुबह ही मेरे पास एक फाईल आई थी जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि पंचकूला शहर से सम्बंधित प्रोजैक्ट्स रिपोर्ट को समय पर सब्मिट न करने के कारण पंचकूला शहर का मामला स्मार्ट सिटी के लिए टेक-अप नहीं हो पाया। इस बारे में केन्द्र सरकार के कुछ तय मानक थे जिनके अंदर अलग-अलग क्राईटेरिया में सम्बंधित शहरों को मार्क्स दिये जाने थे। उनके आधार पर ही भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 100 सिटीज़ को आईडैंटीफाई किया गया था। इस मामले में जिन भी अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी हम जल्दी से जल्दी ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसका मैं माननीय साथी को आश्वासन देती हूं। इसके साथ ही साथ मैं उनको यह भी आश्वासन देना चाहूंगी कि भविष्य में जब हम नैक्सट प्लॉन के लिए सिटीज़ के नामों का प्रस्ताव भेजेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि पंचकूला शहर सभी मानकों पर खरा उतरे और उसे स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया जाये।

प्रताप पब्लिक स्कूल जुंडला, जिला करनाल के अध्यापकों एवं विधार्थियों का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रताप पब्लिक स्कूल जुण्डला के विधार्थी, स्टॉफ व अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनको यहां पधारने पर स्वागत करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Widening of Road

***1012. Shri Anoop Dhank :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a divider after widening the road from village Surewala to Uklana: if so, the details thereof ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (राव नरवीर सिंह) :

नहीं, श्रीमान।

श्री अनूप धानक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि उकलाना मण्डी बाहर आ जाने के कारण इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए उसके ऊपर डिवाईडर बनाया जाना बहुत ज्यादा ज़रूरी हो गया है। डिवाईडर न होने के कारण वहां पर लगातार दुर्घटनायें होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी डिवाईडर का निर्माण किया जाये और अगर नहीं बनाया जा सकता तो हमें उसके कारण बताये जायें।

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक साथी को सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि जिस सड़क पर डिवाईडर बनाने की मांग माननीय विधायक साथी श्री अनूप सिंह धानक जी कर रहे हैं वह सड़क सिर्फ सात मीटर ही चौड़ी है और सात मीटर चौड़ी किसी भी सड़क पर डिवाइडर नहीं बन सकता। अगर डिवाईडर बनने के बाद कोई सड़क कम से कम सात-सात मीटर दोनों तरफ रह जाये तो ऐसी स्थिति में ही किसी सड़क पर डिवाइडर बनाया जा सकता है। इसके अलावा जहां तक इस सड़क पर ट्रैफिक का सम्बंध है इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सड़क पर कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अंत में रही बात दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या की इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लापरवाही के कारण हादसे कहीं भी हो सकते हैं।

श्री अनूप धानक : स्पीकर सर, मैंने इस रोड को चौड़ा करने के लिए भी एक प्रश्न दिया हुआ है। इसलिए में माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस रोड को चौड़ा करके इस पर डिवाइडर बनाया जाये। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि जो मैंने पिछले बजट सैशन में फरीदपुर से दौलतपुर, कनो से पाबड़ा, कुलेरी से किरमारा, नहला से किरमारा, नहला से किनाला होते हुए साहू रोड़्ज़ टूटे हुए थे इनकी रिपेयर के लिए माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट की थी और मेरी रिकवैस्ट पर माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि इन सभी रोड़्ज़ को ठीक कर दिया जायेगा लेकिन ये रोड़्ज़ अभी तक भी ठीक नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो खैरी से साहू, चमारखेड़ा से सनियाना और कनो से किरमारा जो रोड़्ज़ हैं इनके बारे में यह बताया गया था कि इनको 18 फुट चौड़ा कर दिया जायेगा लेकिन इन्हें केवल 12 फुट चौड़ा ही बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन रोड़्ज़ को 18 फुट के बजाय 12 फुट चौड़ा क्यों किया गया है?

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक साथी को यह बताना चाहूंगा कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग-लगभग सभी रोड़्ज़ की चौड़ाई को 18 फुट रखा है और जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम था केवल उन्हीं सड़कों की चौड़ाई को ही 12 फुट रखा गया है। हमने पिछले साल निष्पक्षता से जांच करवाई और जो सड़कें ज्यादा टूटी हुई थी उनकी पूरी तरह से रिपेयर की। इस साल जो सड़कें टूटी हैं उन्हें हम इस साल के बजट में ठीक करवायेंगे।

श्री भगवान दास कबीरपंथी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लोग डेरों और ढ़ाणियों में रहते हैं। इन डेरों और ढ़ाणियों में प्रदेश के बहुत से परिवार रहते हैं। इन परिवारों को 20 से 25 साल वहां पर रहते हुए हो गये हैं लेकिन अभी तक न तो स्थानीय पंचायत की तरफ से और न ही सरकार की तरफ से कोई स्कीम बनाकर उन डेरों की सड़कों को पक्का किया गया है। विशेषकर बरसात के मौसम में उनकी बहुत दुर्गति होती है। क्या मंत्री जी इस बारे में यह बतायेंगे कि क्या भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाई जायेगी जिसके तहत सरकार द्वारा इन डेरों और ढ़ाणियों के रास्तों को पक्का किया जायेगा।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम सभी सड़कों की इन्कवायरी करके जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। मैंने लगभग साढ़े 9 महीने पहले मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को हिसार की सभी 9 विधान सभा क्षेत्रों की सड़कों के बारे में

लिख कर दिया था कि कौन-कौन सी सड़कें टूटी हुई हैं और कौन-कौन सी सड़कें नई बननी हैं क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने वहाँ पर कुछ काम किया है। इनमें हांसी, आदमपुर, बरवाला, उकलाना, उचाना और नारनौंद हल्के हैं। नारनौंद में कुछ काम हुआ है लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की है और यदि नहीं की है तो क्यों नहीं की तथा यदि वे करेंगे तो कब तक करेंगे?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमने बहुत सी सड़कें रिपेयर कर दी हैं और हमने निष्पक्षता से वीडियोग्राफी करवा कर यह काम किया है। मैं मेरे साथी सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमने विपक्ष के सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में सत्ता पक्ष के सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों से अधिक विकास के कार्य करवाये हैं। भाई कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा है कि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में कुछ सड़कें रह गई हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि उनकी कुछ सड़कें बनने से रह गई हों क्योंकि पूरा बजट नहीं था लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर वे ज्यादा टूटी हुई हैं तो नये बजट में उनको टेकअप कर लिया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुलदीप बिश्नोई ने हिसार की सड़कों के साथ-साथ नारनौंद का भी जिक्र किया है इसलिए मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा जो भी सड़क बनने के लायक होगी वह बनेगी और किसी भी सड़क में कोई गढ्डा नहीं रहेगा। हमने कल ही बैठक करके यह निर्णय लिया है कि सड़कों के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, डबवाली शहर में एक बाई-पास बनने जा रहा है। उसी के तहत नेशनल हाईवे पर शहर के बीच से फोरलेन बनना है तथा भटिंडा चौंक पर जो फलाईओवर बनना प्रस्तावित है उसके तहत शहर के दोनों तरफ की दुकानों को तोड़ने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन आदेशों को वापस लिया जाये और जो बाईपास है वह सिरसा से संगरिया होते हुये शेरगढ़ तक निकाला जाये ताकि दुकानदारों की दुकानें न टूटें।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बहन जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इनकी समस्या का जो भी समाधान हो सकेगा वह करूँगा ।

Construction of Road

***1023. Shri Om Prakash Barwa :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from Loharu Town to village Jagram Bas of Loharu Constituency?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री नरवीर सिंह) :

नहीं, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस ढाणी के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं वह सड़क ही 4 करम यानि 22 फुट की है और बी.एण्ड आर. विभाग 33 फुट से कम सड़क नहीं बनाता है, इसके अलावा वहाँ पर कम से कम 500 की आबादी हो। माननीय साथी जिस जगरामपुर ढाणी की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ 200 आदमी रहते हैं और वह रास्ता 4 करम का है।

श्री ओमप्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी उस सड़क को बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए किसान जमीन देने को तैयार हैं। जहाँ तक आबादी की बात है तो उस इलाके में ज्यादातर लोग ढाणियों में बसे हुये हैं। इसलिए अगर मंत्री जी वहाँ पर सड़क बनवाना चाहते हैं तो जमीन किसान स्वयं देंगे और आबादी की कोई बात ही नहीं है।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी एक-डेढ़ साल इन्तजार करें अगर किसान फ्री में जमीन देते हैं तो हम उस सड़क को बनवा देंगे।

श्री ओमप्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ।

Supply of Canal-Based Potable Water

***1171. Shri Parminder Singh Dhull:** Will the Public Health Engineerig Minister be pleased to state-

(a) the total reach of the current canal-based potable water supply network in the Julana Assembly Constituency;

(b) the number of villages covered under this scheme;

(c) the total quantity of water per month being made available to the villagers through this scheme;

(d) the current status with respect to the functionality of such canals; and

(e) whether the Government is planning to refurbish such canals; if so, the details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

श्रीमान जी, सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं:-

(क) 28 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं और जुलाना शहर।

(ख) 42 गांव

(ग) 32,44,27,500 लीटर पानी।

(घ) सभी नहरें 24 दिन बन्द रहने के बाद 8 दिन चालू रहती हैं तथा सभी जलघर नियमित रूप से भरे जा रहे हैं।

(ड) जी नहीं, श्रीमान।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, 28 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं और जुलाना शहर की उनके (क) प्रश्न का जवाब है जिसमें हम 42 गांवों में 32 करोड़ 44 लाख 27 हजार 500 लीटर पीने का पानी दे रहे हैं। जोकि इनके हल्के में जा रहा है। 24 दिन बन्द रहने के बाद 8 दिन नहरें चालू रहती हैं जिससे सभी जलघरों को नियमित रूप से भर दिया जाता है। इनके (ड़) प्रश्न का जवाब है नहीं श्रीमान जी।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 28 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं बताई हैं और जुलाना शहर के बारे में इन्होंने यह बताना उचित नहीं समझा कि इनमें से कितनी काम कर रही हैं केवल एक बुढ़ाखेड़ा लाठर वाली नहर में पानी है और 27 में पानी आए को कई-कई साल हो चुके हैं। एक तो आप अपना जब जवाब दें कि जो 27 में कई-कई साल से वाटर वर्क्स में हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं कई-कई साल से उसमें पानी नहीं जा रहा है तो मंत्री जी यह बताएं कि उनमें कब तक पीने का पानी मिल जाएगा। आपको मैं एक उदाहरण गतौली गांव का देना चाहता हूं जो नेशनल हाई-वे पर पड़ता है जिसको आप वहां से आते-जाते देख लेना। वहां साढ़े सात करोड़ रूपये की लागत से बूस्टर बनाया गया नये वाटर टैंक बनाए गये फिर भी वहां सुन्दर सब ब्रांच से डायरैक्ट पानी जा रहा है। उसके अन्दर भी पानी गये को वर्षों बीत गये बल्कि विभाग ने उसके अन्दर टयूबवैल लगाकर के पानी दे रहे हैं जिसको पीने से वह नहाने से पीलिया और खाज की बीमारियां लग जाती हैं। हमने इसके बारे में बहुत बार विभाग को सूचित किया है जबकि उसके अन्दर पानी का सारा चैनल मौजूद है वहां पर बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है लेकिन पानी नहीं जा रहा है जबकि सुन्दर ब्रांच हैड से पानी आ रहा है। इस प्रकार के किसी भी गांव में जैसे दौड़ गांव में किलाजफरगढ़ गांव तो आपका ऐसा गांव है जो खुद विभाग ने जनवरी 2014 में हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जिसको ड्राई घोषित कर दिया वहां पर आप न तो पीने का पानी दे पा रहे हैं और न पशुओं के लिए पानी दे पा रहे हैं। कहीं भी किसी भी वाटर टैंक में पानी नहीं है। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि आपने जो जुलाना के बारे में बताया कि 31 करोड़ की लागत से एक 50 साल की भविष्य योजना बनाई थी जिसमें आपने अच्छा टैंक बनाया है और उसका अच्छा सिस्टम बनाया फिर भी क्या कारण है कि जुलाना शहर के अन्दर पांच-पांच दिनों में पानी आ रहा है उसके सैम्पल फेल हो रहे हैं। इसके अलावा लाईन पार कालोनी के अन्दर जो बूस्टर लगाया गया था उसके अन्दर इतना गंदा पानी आ रहा है जिसको पीया नहीं जा सकता और जिसको यूज करने से लोगों को पीलिया व खारिश की बिमारियां लग रही हैं। इसका कारण क्या है जबकि आप पीने के पानी की क्वालिटी बता रहे हैं कि हम इतने करोड़ रूपये की लागत से पानी दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आप एक भी गांव में अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं दे पा रहे हैं इसका क्या कारण है ? इसके साथ मैं मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो खुले चैनल हैं और वह वाटर वर्क्स के लिए जाते हैं उनके अन्दर लोग कपड़े भी धोते हैं और भी काम करते हैं उनको कवर्ड करने का हरियाणा सरकार की एक स्कीम थी इसलिए आप अपने जवाब में यह भी बताएं कि उनको कब तक कवर कर दिया जाएगा ताकि उनके अन्दर अच्छा व साफ पानी सप्लाई हो सके। दूसरा मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पानी में जो आप दवाई डालते हो क्या आपके पास इसके बारे में कोई खबर है कि दवाई कितने-कितने दिनों बाद डालते हैं लेकिन मेरे पास इसकी खबर है कि पानी में दवाई डाले वर्षों बीत गये किसी भी वाटर टैंक में दवाई नहीं डाली गई ताकि उसका पानी साफ हो जाए। इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो नहरों के अन्दर गन्दा पानी डाला जा रहा है। जिसके मेरे पास सारे तथ्य मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : ढुल जी, यह तो आपकी मूल प्रश्न से भी बड़ी सप्लीमैंटरी हो गई।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं नहरों के अन्दर जो गन्दा पानी डाला जा रहा है क्या मंत्री जी उसको रोकने का प्रयास करेंगे ? क्या उन अधिकारियों की जिम्मेवारी भी डालेंगे जिन्होने अतिक्रमण की योजना बनाई पीछे मैं इसी विधान सभा के अन्दर पी.ए.सी. का मैम्बर था, उस समय पी.ए.सी यमुनानगर गई थी वहां पर यह देखा गया कि यमुनानगर का खुला गन्दा पानी डायरैक्ट नहर में डाला जा रहा था जिसके लिए हमने यहां मीटिंग भी ली थी जिसमें विभाग को बुलाया गया था लेकिन आज तक उस मामले में कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई वही यमुनानगर का गन्दा पानी नहर में जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ढुल जी, आपने तो इसको ज्यादा बड़ा कर दिया।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : सर, मंत्री जी ने पानी की जो रोटेशन बताई उसमें 32 दिनों के बाद पानी आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : ढुल जी, अब ये प्रश्न नहीं रहा। प्रश्न को प्रश्न की तरह पूछो। जब आपकी धन्यवाद प्रस्ताव पर बारी आएगी उस समय आप अपनी पूरी स्पीच दे देना। उसमें आपको काफी मौका मिलेगा।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : ठीक है जी, मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। कृपया मंत्री जी यह बताएं कि पानी में दवाई कब-कब डलती है। जैसे मंत्री जी ने बताया कि 24 दिन पानी बन्द रहेगा और 8 दिन पानी चलाया जाएगा तो इस तरह 32 दिनों की रोटेशन में तो सारे टैंक खाली हो जाएंगे। क्या इसके लिए अलग से कोई अल्टरनेटिव इन्तजाम किया है।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में 70 गांव हैं । इन 70 गांवों में 28 नहर आधारित और 17 जलकूप आधारित जलघर हैं जिनसे पेयजल की आपूर्ति बराबर की जा रही है तथा पेयजल आपूर्ति का स्तर 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो ब्यौरा है उसके हिसाब से 1 गांव में 30 से 39 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। 69 गांवों में 40 लीटर से 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव नामत: किला जफरगढ़ है जहां कच्चे पानी की कमी के कारण पीने के पानी की कमी है। भिवानी ब्राँच से पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करने के लिए 278.00 लाख रूपये की अनुमानित राशि का अनुमान प्रक्रिया में है तथापि जलापूर्ति स्तर में 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ोत्तरी करने के लिए 900.58 लाख रूपये की लागत से 12 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिन पर 119.36 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं। योजनावार विवरण अनुबन्ध-क में दिया गया है। जुलाना शहर की जनसंख्या 18755 व्यक्ति है। शहर की जलापूर्ति नहरी पानी पर आधारित है। शहर में पेयजल आपूर्ति का स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। शहर में दो बूस्टिंग स्टेशन भी मौजूद हैं। जुलाना शहर की जलापूर्ति को 70 से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए 2190.00 लाख रूपये का अनुमान अनुमोदित हो चुका है। आर.सी.सी. पाइप इनलेट चैनल का निर्माण, जलघर पर अतिरिक्त ढांचों का निर्माण जिसमें 4.54 एम.एल.डी. क्षमता का जल शुद्धिकरण संयंत्र भी शामिल है तथा विभिन्न बस्तियों में जल वितरण प्रणाली के लिए डी.आई.

पाइप लाईन बिछाने के कार्य पूरे होने वाले हैं जोकि 30.6.2016 तक पूरे होने की संभावना है। (शोर एवं व्यवधान) वर्ष 2015-16 के दौरान अब तक जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण जल आपूर्ति पर 73.54 लाख रूपये, शहरी जल आपूर्ति पर 74.16 लाख रूपये, शहरी मल निकासी व्यवस्था पर 156.09 लाख रूपये अर्थात कुल 303.79 लाख रूपये की धनराशि खर्च की गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए पेयजल के लिए इतनी बेहतर योजना बनाई है। (शोर एवं विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ढुल साहब को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की चक्की यद्यपि धीमा पीसती है लेकिन जब पीसती है तो बारीक पीसती है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, ढुल साहब ने आपको जितने प्रश्न किए थे उनमें एक का जवाब बाकी रह गया है।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष महोदय, जल शुद्धिकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में जल की शुद्धि करके पानी की सप्लाई जारी है। विभाग द्वारा तय की गई एक निश्चित समयावधि में समय-समय पर जल की शुद्धि की जाती रहती है। जल शुद्धिकरण पूरे हरियाणा प्रदेश का मामला है। पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी नलकूपों की जांच की गई और कुल 508 नलकूपों के नमूने फलोराईड युक्त पाये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि इनकी तसल्ली हो गई है। (हंसी)

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी फलोराईड युक्त पानी की शिकायत आई है वहां पर वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करके पानी देना शुरू कर दिया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) 200 जगहों पर हमने वैकल्पिक नलकूप लगा दिये हैं। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जल अशुद्धीकरण की तमाम संभावनाओं को दूर करते हुए सभी जगह स्वच्छ, सुलभ तथा शुद्ध पेयजल प्रदान कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम इस दिशा में पूरी तरह से अग्रसर भी है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ढुल साहब, आपको पर्याप्त समय दे दिया गया है अत: आप अब प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल है। माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है। (शोर एवं व्यवधान) अत: ढुल साहब को अब बार-बार अपनी सीट से नहीं उठना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से एक बार फिर से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता था जो उन्होंने गांव किला जफरगढ़ के लिए इतनी बढ़िया योजना बनाई है लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी गतौली गाँव के पानी के सैंपल की भी जांच करवायेंगे। मैं गतौली गांव के पानी को बोतल में भरकर आज सदन में लेकर आया हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आप कह रहे हो कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी आप इस सैंपल की जांच करवाईये। अध्यक्ष महोदय, जिंदगी और मौत का सवाल है। इस सैंपल की जांच होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिक: अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ढुल साहब ने जितना लम्बा प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी ने उतना ही लम्बा उत्तर भी दे दिया है। और अब भी वह शांत नहीं बैठ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने बहुत बढ़िया योजना लागू की है, अत: उनको अब तो संतुष्ट हो जाना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उमेश अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, यह सैंपल चंडीगढ़ के पानी का है। गतौली गांव का नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं, उस गांव में इंक्वॉयरी टीम भेज दी जायेगी और माननीय सदस्य जहां से चाहे पानी का सैंपल भरवा सकते हैं।

Bata Chowk Thermal Power Plant.

***1028. Shri Mool Chand Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Bata Chock Thermal Power Plant has been closed; if so, with whom the proprietorship of the land of power plant belongs to; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government in regard to the utilization of above said closed thermal Power Plant?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :

(क) हां, श्रीमान जी। प्लांट की 341.55 एकड़ भूमि में से 256.93 एकड़ हरियाणा पॉवर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में है। शेष भूमि में से 11.01 एकड़ नगर निगम, फरीदाबाद से तथा 73.61 एकड़ पुनर्वास विभाग से लीज पर ली हुई है।

(क) हां, श्रीमान जी। वर्ष 1974, 1976 और 1981 में फरीदाबाद बाटा चौक थर्मल पावर प्लांट में 55-55 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए थे। वर्ष 2010 में प्लांट ज्यादा पुराने होने की वजह से और पर्यावरण की वजह से प्लांट्स को बंद कर दिया गया था। प्लांट की 341.55 एकड़ भूमि में से 256.93 एकड़ भूमि का हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड मालिक है। शेष 11.01 एकड़ भूमि नगर निगम, फरीदाबाद से तथा 73.61 एकड़ भूमि पुनर्वास विभाग से लीज़ पर ली हुई है।

श्री मूल चंद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट शहर के बीच में है। यह पावर प्लांट पिछले 6 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। जो लगभग 11 एकड़ जमीन पर यह थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है वह पार्किंग और राखी की जमीन हैं। नगर निगम, फरीदाबाद की हालत ठीक नहीं है। यह जमीन नगर निगम, फरीदाबाद को वापिस मिलें और इसके लिए दूसरा कोई सूट बनाया जाये। फरीदाबाद में ऑफिस बनाने के लिए और पार्क के लिए जगह नहीं है। लगभग 73 एकड़ पुनर्वास विभाग की जमीन पर जो थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है वहां पर 30 अधिकारी जैसे कार्यकारी अभियन्ता, एस.डी.ओ. व जे.ई. वगैरह बहुत बड़ा स्टाफ लगा हुआ है जिनका वहां पर कोई लेना-देना नहीं है। थर्मल पॉवर प्लांट में जो व्हीकल तथा कॉरपोरेशन की जो मशीनें हैं उनकी भी सुरक्षा ठीक नहीं है। 30 अधिकारियों का स्टाफ दूसरी जगह पर काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जो 11 एकड़ के करीब जमीन नगर निगम, फरीदाबाद को वापस लौटाई जाये जिससे नगर निगम, फरीदाबाद को इस जमीन का लाभ मिल सके।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, 341.55 एकड़ भूमि है उसके लिए हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27.8.2012 की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस जमीन को बेचने के तौर तरीकों पर काम करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस विषय पर दिनांक 9.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। न्यू ऐश डैक जहां पर राख इक्ट्ठी होती है, वह 151.78 एकड़ भूमि प्राकृतिक सोशल क्षेत्र में आती है। जहां 3 मीटर से लेकर 19 मीटर तक राख जमा होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह भूमि अन्य कार्यों में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। इसलिए हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस जमीन पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगायेगी। सैकेंण्डली 22 एकड़ भूमि हुडा द्वारा तैयार की जायेगी। नगर निगम, फरीदाबाद से संबंधित भूमि का राजस्व उसी अनुपात दे दिया जायेगा। शेष भूमि का राजस्व हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने हाथ में रखेगी। इसके अलावा सैक्टर 22 में थर्मल पावर प्लांट 27.25 एकड़ भूमि के बारे में यह निर्णय लिया है कि कमेटी की स्वीकृति से हुडा द्वारा भूमि के उपयोग की योजना तैयार की जायेगी। फरीदाबाद सैक्टर 23 की 14.997 एकड़ भूमि हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि यह जमीन अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिये रखेगी।

To Upgrade the Tehsil as Sub-Division

***1075. Shri Ram Chand Kamboj:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whther there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Tehsil of Rania as Sub-Division in Rania Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान जी, इस भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, इस समय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता था कि रानिया विधान सभा क्षेत्र में तहसील बने हुए काफी समय हो गया है मगर रानिया की तहसील की अपनी बिल्डिंग

[श्री राम चन्द कम्बोज]

नहीं है और रानिया ब्लॉक के गांव खारिया, पीरखेड़ा, मम्मड़, बछेड के लोगों को अगर कोई भी बाइक या कार लेनी होती है तो वह उन्हें 35-40 किलोमीटर दूर जाकर सिरसा से लेनी पड़ती है और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उन्हें ऐलनाबाद जाना पड़ता है। रानिया के लोगों को जमीनी विवाद के निपटारे के लिए अलग-अलग जगहों जैसे एलनाबाद और सिरसा में जाना पड़ता है। इस तरह से उन्हें एक काम के लिए 35-40 किलोमीटर का सफर अतिरिक्त तय करना पड़ता है। यहां के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। रानिया की तहसील बी.डी.पी.ओ. ऑफिस में चल रही है। यह रानिया के लोगों के लिए बड़ी समस्या है । मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि रानिया को उप-मण्डल का दर्जा कब तक मिल जाएगा और रानिया के लोगों को इस कष्ट से सरकार कब तक निजात दिला पाएगी ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला उन्होंने सदन को बताया कि रानिया विधान सभा क्षेत्र में तहसील की खुद की बिल्डिंग नहीं है। यह बी.डी.पी.ओ. की बिल्डिंग में चल रही है। इसको हम अवश्य निश्चित तौर पर ऐग्जामिन करवा सकते हैं कि क्या वहां तहसील की अलग बिल्डिंग की आवश्यकता है। अगर वहां अलग बिल्डिंग की आवश्यकता हुई तो हम इस पर विचार करेंगे। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि रानिया को सब-डिवीजन कब तक बनाया जाएगा। यह विषय अभी तक सरकार के विचाराधीन नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 4 डिवीजन, 21 डिस्ट्रिक्ट्स, 62 सब-डिवीजन, 83 तहसील और 47 सब-तहसील हैं। पिछली सरकार कुछ ऐसे फैसले करके गई थी जिनका अभी तक कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। अत: सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने निर्णय किया है कि कैबिनेट सब-कमेटी एग्रीकल्चर और पंचायत डिवैल्पमैंट मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में सम्पूर्ण हरियाणा के रि-ऑर्गेनाइजेशन पर विचार करेगी । हम हरियाणा में तहसील, सब-तहसील, सब-डिवीजन को क्षेत्र, जनसंख्या, नंबर ऑफ विलेजिज के आधार पर उनकी वायबिलिटी तय करेंगे। हम इनका अपग्रेडेशन किसी राजनैतिक द्वेष या लाभ प्राप्त करने की बजाय सुशासन और समग्रता के लिए करेंगे जो कैबिनेट सब-कमेटी के विचाराधीन है। अगर इनके पास कोई अच्छा सुझाव हो तो ये माननीय कैबिनेट सब-कमेटी को दे सकते हैं। हम इनके सुझावों का स्वागत करेंगे।

श्री रामचंद कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि पिछले 10 साल हरियाणा में कांग्रेस का शासनकाल रहा था। आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने तहसील के भवन निर्माण की अनाउंसमैंट की थी लेकिन वह घोषणा घोषणा बन कर ही रह गई। मंत्री जी, आप इसकी जानकारी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी फाइल डिपार्टमैंट में अवेलेबल है आप उसको मंगवाकर देख लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यदि हमारी तहसील के भवन का निर्माण करवा दिया जाता है तो मैं इसके लिए आपका आभार इसी सदन में कर दूंगा।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने तहसील के भवन निर्माण की बात की है तो हम उसकी फाइल डिपार्टमैंट से मंगवाकर निश्चित रूप से इसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री हरविन्द्र कल्याण: अध्यक्ष महोदय, मेरा घरौंडा विधानसभा क्षेत्र जी.टी. रोड पर है और प्रगति की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां के लोगों की जरूरत और भावनाओं के हिसाब से हमारी तहसील को उप मंडल का दर्जा देने के लिए हमने सरकार को सिफारिश की है। जहां तक टैक्नीकल वायबिलिटी की बात है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अगर यह वायबल हुआ तो क्या हमारी तहसील को उप मंडल बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा ?

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी के प्रश्न के उत्तर में मैं फिर कैबिनेट सब कमेटी का जिक्र करना चाहूंगा कि कैबिनेट सब कमेटी पूरे हरियाणा में इस तरह के प्रस्तावों पर विचार कर रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को अनुरोध करना चाहूंगा कि कैबिनेट सब कमेटी के सामने अपना विषय जरूर रखें और यदि कैबिनेट सब कमेटी सिफारिश करेगी तो हम उस पर जरूर तेजी से कार्रवाई करेंगे ।

To Construct Boundary Wall and Up-gradation of School

***1079. Shri Nagender Bhadana :** Will the Education Minister be pleased to state whther there is any proposal under consideration of the Government to construct boundary wall of Middle school of villages Nekpur, Dabua and to upgrade the Primary School of village Sirohi and also to open a High School for girls in village Dhauj in NIT Faridabad constituency?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं नगेन्द्र भडाना जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से एक ही सवाल में अपने पूरे विधान सभा क्षेत्र को कवर किया है। जहां तक नेकपुर और डबुवा के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की चारदीवारी की बात है तो अब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं में था क्योंकि पिछली बार 22 करोड़ रूपये मौलिक शिक्षा अधिकारी को इस काम के लिए दिए गए थे परंतु फिर भी यदि नगेन्द्र भडाना जी चाहें तो इन दोनों विद्यालयों की चारदीवारी के लिए लिखकर दे दें हम इन दोनों विद्यालयों की चारदीवारी वर्ष 2016-17 में जरूर बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गांव धौज और सिरोही के प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने की बात की है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि सिरोही के प्राथमिक स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसको इस बार मिडिल स्कूल बनवा दिया जाएगा। जहां तक धौज के प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ाने की बात है तो जो सरकार के अपग्रेडेशन के नार्म्ज हैं उनको यह स्कूल पूरा नहीं करता।

श्री नगेन्द्र भडाना : अध्यक्ष महोदय, नेकपुर और डबुवा स्कूलों की चार दीवारी बनवाने के लिए मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। सिरोही के प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ाने का भी आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया है उसके लिए भी मैं इनका अभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि धौज गांव का प्राइमरी स्कूल सारे नार्म्ज पूरे करता है। फरीदाबाद जिले की सबसे ज्यादा कन्याएं धौज के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाती हैं। धौज गांव मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा गांव है। वहां आस पास लड़कियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि धौज गांव में उच्च विद्यालय बनवाने का आश्वासन जरूर

[श्री नगेन्द्र भडाना]

दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि डबुवा कालोनी में जो प्राइमरी स्कूल है उसको हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। वहां लाखों की आबादी है तथा नगर निगम के 3 वार्ड हैं। डबुवा कालोनी के प्राइमरी स्कूल का कोड 10949 है। इस स्कूल में 11 कमरे आलरेडी बने हुए हैं तथा काफी जमीन भी उपलब्ध है। डबुवा कालोनी में लाखों की आबादी में कोई भी अन्य सरकारी स्कूल नहीं है तथा आस पास भी कोई स्कूल नहीं है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि डबुवा कालोनी के प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की कृपा की जाए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नागेन्द्र जी का यह कहना सही है कि डबुआ कालोनी सबसे बड़ी कालोनी है और वहां पर गरीबों की आबादी बहुत है। डबुआ के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि वहां के स्कूल को अपग्रेड करेंगे। जहां तक माननीय साथी ने धौज का जिक्र किया है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर132 बच्चों का एडमिशन है और नार्म्ज पूरा करने के लिए संख्या 150 बच्चों से ऊपर होनी चाहिए। माननीय साथी कोशिश करके वहां पर बच्चों का एडमिशन करवायें उसके बाद इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में खंदावली का स्कूल अपग्रेड हुआ था लेकिन वहां पर अभी तक टीचर्स की पोस्टें सैंक्शन नहीं हुई हैं। वहां पर हजार से ऊपर बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। उस स्कूल में कब तक टीचर्स की पोस्टें सैंक्शन की जायेंगी ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत से स्कूलों के दर्जे बढ़ाये थे और पोस्टें सैंक्शन किए बगैर ही चिट्ठियां जारी कर दी थी। यदि किसी विद्यालय का दर्जा बढ़ाया जाता है तो साथ-साथ आर्थिक सैंक्शन और टीचर्स की पोस्टों की सैंक्शन भी करनी पड़ती है। पिछली सरकार ने वे सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। मुझे लगता है खंदावली को लेकर जाकिर जी की भी रुचि है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि खंदावली के लिए टीचर्स की पोस्टें अप्रैल में यानि आने वाले सत्र में सैंक्शन करेंगे। (विघ्न)

Repair of Roads

***1087. Shri Tek Chand Sharma:** Will the Agricultrue Minister be pleased to state-

(a) the total number of roads constructed by Haryana State Agriculturel Marketing Board in Prithla Assembly Constituency togetherwith the date on the which the said roads were repaired earlier; and

(b) whether there is any proposal under consideraction of the Government to repair these roads; if so, the time by which these roads are likely to be repaired ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान जी, इस संदर्भ में सदन के पटल पर ब्यान रख दिया गया है।

विवरण

(क) पृथला विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 130.59 कि०मी० लम्बाई की 62 सड़कों को का निर्माण किया गया है। इनमें 11.64 कि०मी० लम्बाई की 5 सड़कें अन्य विभागों को स्थानान्तरित की जा चुकी है और अब 118.95 कि०मी० की 57 सड़कें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास रख-रखाव के लिए बची हैं। इन 57 सड़कों में से 99.26 कि०मी० लम्बाई की 48 सड़कें अच्छी हालत में हैं। इन सड़कों पर जरुरत के अनुसार साधारण मरम्मत निरन्तर की जा रही है।

(ख) 10.59 कि०मी० लम्बाई की 4 सड़कों पर मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। ये मरम्मत 31-05-2016 तक पूरी कर लिये जाने की सम्भावना है। बाकी बची 9.10 कि०मी० लम्बाई की 5 सड़कों की मंजूरी दे दी गई है और टैंडर अलाटमैंट की प्रक्रिया चल रही है। ये कार्य 30 अप्रैल 2016 तक अलाट तथा 31-08-2016 तक पूरे कर लिये जायेंगे।

11.00 बजे **श्री टेक चंद शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ये तीन सड़कें भी इन पांच सड़कों के अंदर ली गई हैं नरियाला से छांयसा, कटेसरा से मानकौल और अरूआ से अटाली। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि इन सड़कों की मुरम्मत हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मुरम्मत किस तारीख तक हुई है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अधिकारीगण माननीय मंत्री जी को भी गलत सूचना देकर गुमराह करने का काम करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की भी प्रॉपर वैरीफिकेशन करवाई जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहता हूं कि जिन सड़कों की मुरम्मत का कार्य प्रगति पर है वे हैं अटाली से नरवाली, लोसिंघानी से मोहला, बहबलपुर से सोताई और फतेहपुर तगा से नेकपुर इत्यादि हैं।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, मैंने माननीय मंत्री जी से नरियाला से छांयसा, कटेसरा से मानकौल और अरूआ से अटाली इत्यादि सड़कों के बारे में जानकारी चाही है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन सड़कों की मुरम्मत की बात की है हम उनकी मुरम्मत यथाशीघ्र करवा देंगे। सड़कों की मुरम्मत करवाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं है।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि नरियाला से छांयसा, कटेसरा से मानकौल और अरूआ से अटाली जिन सड़कों का मैंने जिक्र किया है ये नई सड़कें बननी हैं। इनके निर्माण की माननीय मुख्यमंत्री जी की अनाऊंसमैंट भी है लेकिन इसके बावजूद भी इन सड़कों का निर्माण डेढ़ साल से लटका हुआ है। इन सड़कों का निर्माण कब होगा मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाही है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक साथी को यह बताना चाहूंगा कि जिन सड़कों का माननीय साथी ने जिक्र किया है अगर उनके निर्माण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनाऊंसमैंट हुई है तो हम इन तीनों ही सड़कों का जल्दी ही निर्माण करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1126

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती रेणुका बिश्नोई सदन में उपस्थित नहीं थी)

Up-gradation of School

***1146. Shri Prithi Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High School of village Farain Kalan in Narwana Assembly Constituency, if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी। अत: इस अंश का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पिरथी सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि फरैन कलां गांव में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 450 है। इसके अलावा भी लगभग 100 विद्यार्थी आस पास के गांवों से इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। इसकी आबादी लगभग चार हज़ार है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पुन: यह निवेदन करता हूं कि बच्चों विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांवों और शहरों में न जाना पड़े इसलिए इस हाई स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बना दिया जाये जिससे इस गांव के इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का फायदा हो सके। इसके अलावा मेरे हल्के में एक और उझाना गांव है। जैसा कि सरकार ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा दिया है सरकार का यह नारा सार्थक सिद्ध हो सके। जो उझाना गांव है यह मेरे विधान सभा हल्का का सबसे बड़ा गांव है और वहां पर एक गवर्नमैंट कन्या हाई स्कूल है। इस स्कूल में इस समय भी 1000 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं । मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि इस स्कूल को भी अपग्रेड करके सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाये। इसके अलावा जो लड़कियां बाहर के गांवों और शहरों के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाती हैं उनकी संख्या अलग है। मेरी पुन: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाये ताकि छात्राओं का फायदा हो सके।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य श्री पिरथी सिंह की मांग पर उनको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जिन दो हाई स्कूलों को अपग्रेड करने की बात माननीय विधायक जी ने कही है हम उनके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Shortage of Power in the State

***1279. Shri Jasbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the concrete steps being taken by the Government to meet out the shortage of Power in the State; and

(b) the steps being taken by the Government on alternate power resources togetherwith the details of time bound objective and action plan of renewable energy?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है।

(बी) नवीनकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) सरकार ने सोलर पावर पॉलिसी 2016 जारी की है। राज्य में सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑबलिगेशन के अनुसार 4000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्टस 2022 तक लगाए जाएंगे। राज्य में वर्ष 2021-22 तक 1600 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाए जाएंगे।

(ii) 12.00 मेगावाट के स्मॉल/माईक्रो हाईडल प्रोजेक्टस, 25 मेगावाट का एक बगासे सह- उत्पादन प्रोजेक्ट तथा 16 मेगावाट के 5 बॉयोमास सह-उत्पादन प्रोजेक्ट लगाए जाने हैं तथा 2016-17 में चालू किए जाने संभावित हैं।

Repair of Canal and Bridges

***1106. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Irrigation Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Indira Gandhi Canal passing through Dabwali Constituency has been damaged at any points and bridge connecting to Abubshaher-Sukerakhera is also in dilapidated condition; and

(b) if so, the time by which the above-said canal and bridge are likely to be repaired?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) यद्यपि समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है, फिर भी ₹185.17 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने व पुलों के पुन:निर्माण के लिए एक परियोजना राजस्थान के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है जो कि केन्द्रीय जल आयोग के पास लंम्बित है।

To Open a Post Graduate College in Fatehabad

***1193. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open any Post Graduate College in Fatehabad; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Upgradation of School

***1133. Shri Ved Narang :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade any Government Girls High School up to Government Girls Senior Secondary Schools in Barwala Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी। अत: इस अंश का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Mini Stadium

235. Shri Hari Chand Middha : Will the Sports and Youth Affairs Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Mini Stadium in the villages Ikkas and Raichandwala in Jind Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the above said Stadiums are likely to be constructed?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान् जी।

Compensation of the Land Acquired

238. Shri Om Parkash Barwa : Will the Irrigation Minister be pleased to state it is a fact that the land of the farmers had been acquired in year 1982 for the construction of the Damkaura distributory of Baralu minor but the copensation of the land has not been released to the farmers so far; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to release the compensation of above mentioned land to the farmers?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

Stone Crushers in Faridabad

248. Shri Nagender Bhadana : Will the Mines and Geology Minister be pleased to state-

(a) the total number of stone crushers in Pali Mohtababad stone crusher zone in Faridabad at present together with the norms fixed for these stone crushers;

(b) whether the above said stone crushers are fulfilling all the norms for the safety of environment and human life; and?

(c) if so, whether these stone crushers are safe and secure for environment as well as Human life together with the details of the norms of inquiry report of Pali Mohtababad stone crusher zone for the last five years?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पाली मोहताबाबाद स्टोन क्रैशर जोन फरीदाबाद में वर्तमान में 163 स्टोन क्रैशर हैं। इन स्टोन क्रैशरों के लिए मानदंड हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या एसओ 150/सीए29/1986/एस5 व 7/1998 दिनांक 18-12-1997 के अनुसार तय किए गए है और यह **अनलग्नक-ए** में संलग्न है।

(ख) इन 163 स्टोन क्रैशरों में से 149 उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं और शेष 14 गैर अनुपालनीय क्रैशर बोर्ड द्वारा बन्द कर दिए गए हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों के लिए पाली मोहताबाबाद क्षेत्र पर परिचालित स्टोन क्रैशरों द्वारा नियमों के अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	स्टोन क्रैशरों की संख्या मानदंडों के साथ अनुपालन	स्टोन क्रैशरों की संख्या मानदण्डों के साथ गैर अनुपालन
2011-12	157	06
2012-13	157	06
2013-14	154	09
2014-15	153	10
2015-16	149	14

अनुलग्नक-'ए'

HARYANA GOVT. GAZ (EXTRA) DEC. 18, 1997 11976 (AGHN. 27, 1919 SAKA

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT DEPARTMENT

Notification

The 18th December, 1997

No. S.O.126/C.A.29/86/S. 5& 7/97—Whereas it necessary and expedient to take immediate steps under sections 5 and 7 of the Environment (Protection) Act, 1986 and section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and rules framed thereunder and to maintain ecological balance in the State to prevent environmental dgradation and to avoid traffic and human health hazards;

And whereas the State Government has already taken a decision to maintain ecological balance keeping in view the industrial development and also to maintain the qulity of environmet and to avoid health hazard for the residents of the area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife, notification No. S.O. No. 152 (E), dated the 10th February, 1988 and purusance of the provisions of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rule, 1986 and in supersession of the Environment Department, notification No. S.O.81/C.A. 1986/S. 5 & 7/92, dated the 9th June, 1992 No. S.O. 94/C.A. 1986/S. 5 & 7/92, dated the 4th August, 1992 No. S.O. 78C.A. 1986/S, 5 & 7/92, dated the 24th November, 1992, No.S.O. 152/C.A. 1986/S.152/C.A. 1986 /S. 5& 7/92, dated the 7th December, 1992 No. S.O, 155/C.A. 1986 /S. 5 & 7/92 dated the 18 December, 1992 No. S.O. 33 C.A. 1986/S. 5 & 7/93, dated the 8th January, 1993, No. S.O. 33/C.A. 29/86/S. 5 & 7/97, dated the 18th March, 1997 and No. S,O. 56/C.A. 29/1986/S 5 & 7/97, dated the 11th July, 1997 the Government of Haryana hereby issues the following directions for stone crushuing units in regard to siting criteria norms as per Schedule I, emission norms and pollution control measures requirements as per Schedule-II, identification of zones and availability of sites as per Schedile-III, and procedure for establishment and operation in identified zones as per Schedule-IV.

Any action taken in pursuance of the superseded notifications referred to above will be deemed to have been taken under the provisions of this notification so far as it is not inconsistent with the provisions of this notification.

[कैप्टन अभिमन्यु]

SCHEDULE-I

NORMS FOR SITING OF STONE CRUSHERS IN HARYANA

Norms

Sr. No.	Criteria		Distance in K.M.
1	2		3
1	Minimum distance required from the nearest National Highway	:	1.5
2	Minimum distance required from the nearest State Highway	:	1.0
3	Minimum distance required from the nearest Major District roads and other roads	:	0.3
4	Minimum distance required from the nearest Metro Politan Cities	:	5.0
5	Minimum distance required from the District Head Quarter	:	3.0
6	Minimum distance required from the nearest town abadi	:	1.5
7	Minimum distance required from the nearest village abadi	:	1.0
8	Minimum distance required from the nearest tourist complex	:	1.5
9	Minimum distance required from any land recorded as forest in Government record	:	1.0
10	Minimum distance required from any controlled area	:	1.0
11	Minimum distance required from approved water supply of 20 kilo liter capacity	:	1.5
12	Minimum distance required from any indoor treatment unit catering to 25 or more indoor patients	:	1.0
13	Minimum distance required from Surajkund and Bhadkhal lakes	:	2.0
14	Minimum distance required from notified bird sanctuaries	:	2.0

1. All distances are to be measured as the crow flies from the highest node of the Crusher Conveyer belt to the outer periphery of the revenue *phirni* (*Lal Dora* wherever there is no village *phirni*) or the Municipal limits or the periphery of the feature concerned.

2. The already notified approved crusher zones would not be affected by the above cited minimum distance criteria as the feasibility of having a conglomeration of Stone Crushing Units in conjunction with the siting criteria above is not possible. The above mentioed siting criteria will only be applicable to new crushing units to be established in the area outside the identified zones.

SCHEDULE-II

DIRECTIONS REGADING EMISSION NORMS AND POLLUTION CONTROL MEASURES REQUIREMENTS

Item No. 1

1. Pollution Control Parameters:—

The suspended particulate matter (hereinafter referred to as SPM measured between 3 meters and 10 metres from any process equipment of a Stone Crusing Unit shall not exceed 600 microgrammes per cubic metre.

The measurements of SPM are to be conducted atleast twice a month for all the twelve months in a year.

Item No. II

The following pollution Control Devices and Measures are required to be installed and operated as a mandatory obligation by the Stone Crusihing Units under the Environment Protection Rules, 1986.

A. Dust containment cum supressing system for the equipment;

B. Construction of approved wind breaking walls;

C. Construction of minimum approved metelled roads within the premises of the crushing units or within the the zone housing the stone crushing units;

D. Regular Cleaning and wetting of the ground within the premises and the remaining enclosure of the crushing units and the Zone where the units is situated.

E. Growing of a green belt along the periphery of the crushing unit or the crushing zone as ordered by the Authority permitting the unit and the crushing zone;

F. The Stone Crushing units must sprinkle through approved sprinklers atleast 10 kilo liters of water per day for a stone crushing capacity of 100 tonnes per day and *pro rata* accordingly for higher capacity crushing unit.

G. The source of energy used by the stone crushing units whether supplied by the public authority or used by the unit at its own will be feeding separate energy for the generation or receipt of such energy to the production plant of the crushing unit or pollution control devices. The separate energy and energy meter and in meter and in terms of energy consumed and hour meters will be installed on the pollution devices with complete separate record for the consuptiion of energy by such Pollution Control Board immediately on its demand on the spot or within a period of three working hours thereafter at the most.

[कैप्टन अभिमन्यु]

H. The Stone Crushing Units will furnish on demand to the Haryana State Pollution Control Board the complete data relating to the sources and quantity of raw material legitimately utilised or exploited by the Stone Crushing Units as also its production data and taxes and duties paid as applicable thereon under the law of land.

I. A wind breaking wall will be provided with a structurally sound structure rising upto the height of the node point of the conveyer belt of the Stone Crushing Unit in a length of atleast 50 meters on the vulnerable abadi and road side or critical point side of the crushing unit;

J. A green belt along any approved notifed zoine will be for a depth of alteast 100 meters or along the periphery of the cruhing zone with minimum 10 rows of such trees in the direction of the depth of the green belt. The spacing of such trees along the nature perilphery shall not exceed 8 meters along the periphery. The nature of tree to be planted and their protection measures required for such trees plantation shall be subject to the approval of the competent Divisonal Forest Officer. The responsibility for planting and maintaining of green belt shal be with all the stone crushing untis operating at that time and in case any stone crushing unit does not comply with this direction the Board shall get it done at the expense of the defaulting stone crushing unit. If the units fail to pay the expenditure incurred to the Board then the units will be treated as defaulters in law and debarred from operatinng their stone crushers inspite of a valid activity otherwise.

K. For individual isolate stone crushing unit outside the approved crushing zone the depth of green belt shall be provided by the crushing units which should be atleast 10 meters all along the periphery will the total number of trees so planted and properly maintained being not less than 300 trees approved by Haryana State Pollution Control Board;

L. For each stone crushing unit cited witin the approved crushing zone a minimum of 150 trees planted all along the periphery of the premises of the crushing units concerned will be provided and properly maintained by the crushing unit concerned individually apart form the green belt provided on the periphery of the Crushing Zone;

M. The metalled roads to be provid ed by each crusher within its own premises and further to be provided jointly by the curshers in the approved zone will be as determined Haryana State Pollution Control Board in consulatation with Engineer-In-Chief, PWD, (B&R) and the same will be provided within its own premises whether owned by the unit in isolation in approved crushing zone and in the case of common areas within an approved crushing zone to satisfactory specifications of constructions and maintenance. Haryana State Pollution Control Board will have the authority to cancel the continued operation in zone or at isolated sites or premises within zones where such metalled roads are not satisfactorily constructed or maintained individually or jointly as applicable to the area in question;

N. In case of existing stone crushing units which have been in operation at any time for a continuous period of atleast on e year before the issue of this notification in respect of siting criteria infringement only in respect of distance from the nearest road of any type or the village *phirni (Lal dora* where there is no village *phirni*), a stcruturally safe wall for a lenght of alteast 50 meters of every vulnerable sites of the crushing units will have to be provided with such wall rising upto a height of at least the nod point of the conveyer belt of the stone crushing unit in question in isolating manner. However, no relaxation will be allowed even with the addition of protecting wind breaking walls in respect of stone crushers coming within 850 meters or less of any phirni *(Lal dora* where there is no village *phirni)* or village *abadi.*

Item No.III

Every stone crushing unit will be construct shed and install sprinklers to the satisfaction of Haryana State Pollution Control Board as orderd by it before obtaining any consent to operate a stone crusher from the Board.

Item No. IV

Every stone crusher whether in notified zone or outside it must posses and operate in a minimum area of one area of land owned by the Stone Crusher Unit and not obtained on lease from the Panchayat or any other person:

Provided that the Stone Crushing Units may be allowed to the located on the land taken on lease from Panchayat, if such land in leased out for a minimum period of 20 years with the written permission of the Director Panchayat or Government as the case may be. The lease agreement shall be irrevocable.

SCHEDULE-III

IDENTIFICATION OF ZONES AND AVAILABILITY OF SITES

Sr. No.		Zone		Area					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		District (i)	Tehsil (ii)	Village with Hadbast (iii)	Khasra no. (iv)	Area in area (v)	No. of crushers ia actual operation affter obtaining Consent to Establish (NOC)	No.of crushers under installation after obtaining Consent to Establish (NOC)	No. of Additional Crushers which can be accomodated
1	Bilha	Ambala	Panckula	Bilha 237	28				
					1,2,3,4,5/1,5/2,6, 7, 8,9,10,11,12,13, 14,15,16/1,16/2,17, 18/1,18/2,19/1,19/2, 20,21,22,23/1,23/2,24, 25		—	—	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					29				
					1,2/1,2/2,3,4/1,4/2, 4/3, 5,6,/1,6/2,6/3 7/1,7/2,8,9/1,9/2,10 11,12/1,12/2,13/1 13/2,14/1,14/2,15 16,17,18,19/1,19/2, 20,21,22/1,22/2,22/3 23/1,23/2,23/3,24/1, 24/2,25/1,25/2		—	—	50
					30				
					1,2,3/1,3/2,4,8/1, 8/1/2,8/2,9/1,9/2, 9/3,10,11/1,11/2,12, 13/1,19/1,19/2,20, 21/1,21/2,22/1,22/2				
					32				
					1,2/1,2/2,3,4/1,4/2. 5/1,5/2,6,7/1, 7/2,8/1,8/2/1,8/2/2, 9,10/1,10/2,10/3, 11/1,11/2,11/3,12, 13/1,13/2,14,15,17, 18,19/1,19/2,20, 21,22,23,/1,23/2,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bilha	Ambala	Panckula	Bilha 237	33				
					1,2/1,2/2,3/1,3/2 4,5,6,7/1,7/2,8,9 10,11,12/1,12/2, 13/1,13/2,14,15/1, 15/2				
				Area	98 Acre, 3 Kanal and 18 Marla				
2	Burj Kotian	Ambala	Kalka	Burj Kotian 196	325 Min, 326 to 331,334,335, 356, to 404, 405 Min, 406 Min, 416Min		24 105 Acres	1	11
3	Khanak	Bhiwani	Tosham	Khanak 34	205 20,21,22,23 216 3,4,5,6,7,8,13,14,15 16,17,18,23,24,25 217 13,14,15,16,17,18, 23,24,25 218		2	90	1
					6,11,15,16,19,20, 21,22,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					219				
					3,8,9,10,11,12,13, 17,18,19,20,21, 22,23				
	Khanak	Bhiwani	Tosham	Khanak	220				
				34	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,				
					10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25				
					234 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25				
					235				
					1,2,3,4,5,8/1,8/2,9, 10,11,12,13/1,13/2, 18,19,20,21,22,23				
					236				
					1,2,5,6/1,6/2,9,10, 11,12,15,16,19,20, 21,22,25				
					237				
					3,4,5,6,7,8,13,14, 15,16,17,18,23,24, 25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[कैप्टन अभिमन्यु]									
					238 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,17, 18,19,20,21,22/1, 22/2,23/1,23/2,23/3 24/1,24/2,25/1,25/2				
3	Khank	Bhiwani	Tosham	DKhank 34 concld	242 2,3,4,5,6 243 3,4,5,6,7,8,15 244 1,2,5,6,9,10,11,12, 15,16 245 1,2,3,8,9,10,11,12, 13,17,18,19,20 246 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25	237.64 Acres	1 1	1	1
					258 1,2,3,4,5,6,7		1	1	1
4	Dadom	Bhiwani	Tosham	Dadom, 36	10 4,5,6,7,14,15,16 11		3	5	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[कैप्टन अभिमन्यु]									
					1,2,3,6,7,8/1, 8/2,9/1,9/2,10,11, 12,13,14,15,16, 17,18,19,20,23, 24/1,24/2,25				
4	Dadam	Bhiwani	Tosham	Dadom	12				
			Consld.	36 *Consld.*	10,13,14,/1,14/2, 15,16,17,18,23, 24,25/1,25/2				
					13				
					11,16,19/1,19/2,20, 21,22,25				
					14				
					21,22,23,24				
					16				
					1,2,7,8,9,10,11,12, 13,14,15				
					17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1,2,3,8/1,8/2,9,10, 11,12,13 18 1,2/1,2/2,5,6,9,10, 11,12,15,20 19 3,4,5,6,7,8,13, 14,15,16,17,18 20 4,5,6,7	81.1			
5	Naurang-pur	Gurgaon	[Gurgaon	Naurang-157 pur	77 16,17,18,22/1, 22/2,23/1,23/2, 24/,24/2,25/125/2 14 20,21,22 74 10,11		25	—	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[कैप्टन अभिमन्यु]

					75 2,3,4,5,6,7,8,9, 12,13,14,15,16, 17,18,19,19/2, 20/1,20/2,21/1, 21/2,22,23,24,25				
					76 16/1,16/2,17/1, 17/2,18/1,18/2, 19/1,19/2,20/1, 20/2,21/1,21/2, 22,23,24,25				
	Naurangpur	Gurgaon	Gurgaon	Naurangpur	85				
	—Concld		—Concld	—Concld	3,4,5,6,7,8,11,Min. East,12Min-East, 13Min,North,141Min North14/2,Min-North, 16 Min North 19Min 20Min North—Wes)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					86 1/1,1/2,2,3,4,5, 6/1 6/2,7/1,7/2, 8/1,8/2,9,10,11, Min-North,12/1, 12/2,13,14,16,17, 18,19/1,19/2, Min-North,20/1,6 Min-North				
5	Naurangpur —Concld	Gurgaon	Gurgaon —Concld	Naurangpur —Concld	87 1/1,1/2,1/3,2,8,4, 5,6,7,8,9,10/1,10/2, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20 88 1,2,9,10,11,20, 91 110 Min-East A K M 104 3 4				
6	Indri Reviason	Gurgaon	Nuh	Indri 197	173 1/1,1/2,1/3,2,3,4,5/1, 5/2,6,7,8,9/2,9/1,10, 12/1,12/2,13/113/2, 14/1,14/2,15/1,15/2, 16,17,18,23,24,25 175 4,5,6,15		13	4	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[कैप्टन अभिमन्यु]									
					172				
					1,2,3,4,7,8,9,10/1,10/2, 11,12,13/1,13/2,14,17, 18,19,20,21,22,23,24				
					176				
					1,2,3,8,9,10,11,12	372	11	6	
7	Indri Rewason	Gurgaon	Nuh 168	Rewason	45 3/2,7,8,13,14,15,16, 17/1,17/2,18/1,18/2, 19/1,22,23,24/1,24/2, 25,25 44 20 58				
					1/2,2,3,4,5/1,5/1,5/2, 6,7/1,7/2,8,9/1,9/2, 9/3,10,11/1,11/2,12, 13,14,15,16,17,18, 19,23,24				
						59			
						10,1			
						60			
						4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Raisina	Gurgaon	Sohana	Raisina 184	100 22. Min-East, 23 Min-East, 24 125 1Min-East 2,3,4,5, 6,7,8,9/1,9/2,10,11, 12/1,12/2,13,14,15, 16,17/1,17/2,18,19, 20,21,22,23,24,25/1, 25/2,26 126 1,10,11,20,21 129 10,10 130 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	A. K. M. 41 2 05	29	—	—
9	Doiwala	Yamuna Nagar	Chhachh rouli	Doiwala 69	16 1,2 to 17,18/1, 18/2,19/1,19/2 20 to 25 22		9	2	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1,2/1,2/2,2/3,3/1 3/2,3/3,4/1,4/2,7,8, 9,10/1,10/2,10/3, 11/1,11/2,12/1,12/2, 13,14,17/1,17/2,18, 19,20/1,20/2,21,22/1, 22/2,23,24/1,24/2				
					27				
					1,2,3,4,5/1,5/2,6,7/1, 7/2,8,9,10/1,10/2,11 to15,17,18,19,20				
10	Balla Majra	Yamuna Nagar	Chhachh-rouli	Balla Majra	10		2	—	14
				71	16,17,21,22,23, 24,25				
					13				
					1 to 12	A. K. M. 80—0—11			
11	Burjkotian Extension	Panchkula	Panchkula	Burjko tian 196	174, min 152min, 118min situated in between the link road on one side and the Ghaggar river bank on other side.	34 Acres			

SCHEDULE IV

PROCEDURE FOR ESTABLISHMENT AND OPERATION OF STONE CRUSHING UNITS IN IDENTIFIED ZONES

1. Existing Stone Crushing Units working anywhere in the State of Haryana which do not fail in the areas as specified in Schduled-I or in identified zones as per Schedule-III will have to either shift after obtaining consent to establish (NOC) from Haryana State Pollution Control Board to a site meeting the sitting criteria as per Schedule-I or at available sites in the identified crushing zones as per schdule-III of close down the unit without involving any claim against any authority.

2. The following policy will be adopted for the consideration of the applicant for consent to establish (NOC) for setting up of crushing units in the identified zones as per Schedule-III in order of following priority.

2.1 The first priority will be given for such crushing units which were ordered to be closed down or ordered to be shifted under the final orders of any Judicial Authority from their previous location anywhere in Haryana. But no stone crushing unit will be considered for resiting anywhere outside the district where they were previously operating according to the district boundaries as applicable on the date when the Judicial Orders restraining them came in force. Interse priority of such crushing units for resiting will be made according to the date when the judicial order came in force. However, such stone crushing unit shall have to file a complete a application for the Conseat to Establish (NOC) to the Haryana State Pollution Control Board for the issue of Consent to Establish (NOC) within a period of six months from the date of the judicial order. However, the said period of six months may be extended for another six months by the Haryana State Polluction Control Board. Any relaxation beyond this period for a further period of six months may be granted in public interest by the State Government by recording reasons. Any application for the Consent to Establish (NOC) which could not be accepted for want of availability of site will hower be treated as not time barred and limitation period will commence from the date of availability of site within the identified zones.

2.2 The second priority would be given for stone crushing unit for resiting which were closed by the Haryana State Pollution Control Board or the Government of Haryana, Environment Department on account of non-compliance of siting criteria norms The time limit for such applications will be according to the criteria as specified in para 2.1 above.

2.3 No. unit that shut down their stone crushing activities without any legal restraint order on them whether in the past or in the future would be considered for issue of any Consent to Eatablish (NOC) for being resited in any approved crushing zone unless thy have alread been so accommodated by the authrity that was competent to issue such consent to establish (NOC) herebefore.

2.4 The applications for allotment of any available stone crushing sites within the identified zone will be made henceforth to the Haryana State Pollution Control Board in response to public advertisement notices published at least in two English and two Hindi daily newspapers widely circulated in the State of Haryana. No existing application shall be entertained and they have to apply afresh in response to the public advertisement.

2.5 The applications for Consent to Eestablish (NOC) in identified zone will be decided by a Committee consisting of Chairman Haryana State Polution Control Board. Director, Environment and Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board and the same will be headed by the Chairman, Haryana State pollution Control Board.

2.6 Constnt to operat any stone crusher unit given in the past or to be give a in the future shall be non-transferable except for the case of natural transfer by inheritance.

2.7 Any Constent in establish (NOC) issued before this notification by Haryana State Pollution Control Board whether for resiting in idenrified zone or isolated site shall be valid a period not exceeding six months from the date of issue of this notification. However, if consent to establish (NOC) is issued after the issue of this notification it shall be valid for a period not exceding nine months from the date of issue of any such fresh Consent to Establish (NOC)

3. In case of any conflict between the any existing statutory provisions and any administrative orders issued by any authority including Hryana State Pollution Control Board the statutory previsions will be applicable according to the settled law of India.

4. I respective of any other provisions above to the contrary no stone crushing unit whether within any approved curshing zone or outside the zone would be allowed to operate in violation of any other applicable legal restrictions statute and the rules legislated and enforced or prescribed by the Competent Legislative Authority or the prescribing authority including the Town and Country Planning Department Haryana Whether the past or in future. The isue of No Objection certificate by the Harayna State Polluction Control Board will not be treated as any permission to violate any such satatutory legal restrictions.

M. L. TAYAL, IAS,
Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Environment Department.

To open E-disha Kendar at the Village Level

250: Shri Pirthi Singh: Will the Chief Minister be pleased to state that whether there is any proposal under consideration of the Government to open E-Disha Kendar at the Village Level in the State together with the facilities which are likely to be provided in these E-Disha Kenders?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमान जी। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने की संभावना है, जो सरकार से नागरिक एवं व्यापार से नागरिक की सेवाएं प्रदान करेंगे।

To Replace the Obsolete Electricity Wires

276. Shri Jasbir Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electricity wires and damaged poles in the villages and city in Safidon Assembly constituency; if so, the time by which these are likely to be replaced; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33 KV new Power Houses in villages Khera, Khemawati Kurar, Bagru kalan, Karsindhu, Budha Khera and Malsari Khera to tackle the problem of overloading ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) श्रीमान् जी, नहीं, इसलिए प्रश्न का यह भाग नहीं उठता है।

(ख) गांव खेड़ा खेमावती और कुराड़ में नए 33 के0वी0 सब-स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव है, परंतु अन्य गांवों में नहीं हैं।

To set up a Herbal Park in the Morni hills

255. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Forest Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Herbal Park in the Morni Hills; if so, the details thereof ?

वन मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान जी। विभाग द्वारा जुलाई, 2015 में मोरनी, भूड़ी, बरवा, थनडोग तथा थापली गांवों के वन क्षेत्रों में 262.5 एकड़ भूमि पर 49.35 लाख रुपये की लागत से हरड़, बेहड़ा, आवंला, अमरलताश, बेलपत्तर, नीम, अर्जुन आदि औषधीय प्रजापतियों के 1,15,00 पौधे लगाकर एक हर्बल हब की स्थापना की जा चुकी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के वन क्षेत्रों में त्रिफला, (हरड़, बेहड़ा और आवंला) के संरक्षण एवं विकास हेतु एक परियोजना अनुमोदित की गई है। इस परियोजना के तहत यमुनानगर, अम्बाला तथा पंचकूला जिलों में 247.91 लाख रुपये की लागत से पांच सालों (2016-17 से 2021-22) में कुल 250 है0 भूमि पर हरड़, बेहड़ा और आंवले के पौधों का पौधारोपण करके औषधीय पौधों का संरक्षण करना प्रस्तावित है।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 121 के अधीन प्रस्ताव पेश करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231,233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :-

(i) लोक लेखा समिति ;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2016-2017 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं -

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को अधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-2017 के लिए उपरोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि —

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 को उपबंध जहां तक कि वे :-

(i) लोक लेखा समिति ;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2016-2017 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को अधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-2017 के लिए उपरोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि महाराष्ट्र विधान सभा में एक परम्परा है कि जब तक नई समितियों का गठन नहीं हो जाता तब तक पुरानी समितियाँ बनी रहती हैं और वे काम करती रहती हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जब तक आप नई समितियों का गठन नहीं करते तब तक हरियाणा विधान सभा में भी पुरानी समितियों को जारी रखा जाए ताकि उनका काम बाधित न हो।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, आप चिन्ता न करें हम जल्दी ही अगले वित्त वर्ष के लिए समितियों का गठन कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 को उपबंध जहां तक कि वे :-

(i) लोक लेखा समिति;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2016-2017 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्तुत हुआ -

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को अधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-2017 के लिए उपरोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अनादर एवं सदन के अपमान का मामला उठाना

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, कल हमारे सदन में जो कुछ हुआ, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस प्रकार से व्यवधान डाला गया और जिस प्रकार से प्रोटैस्ट किये गये ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। वह कंटैम्प्ट ऑफ हाउस था। उसमें कोई भी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती थी परन्तु आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं। आपने बहुत लिनियेंट व्यू लेते हुये उनको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान निष्कासित किया परन्तु उसके बावजूद भी उन्होंने हाउस की वैल में आ कर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कॉपियाँ फाड़ी हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जिन सदस्यों ने यह काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह एक सरकारी दस्तावेज है और महामहिम राज्यपाल प्रदेश के मुखिया हैं। उनका पद गरिमामय है, उनके अभिभाषण की कॉपी को हाउस की वैल में आ कर तार-तार कर देना उसको फाड़ना गलत है। बाकायदा सभी न्यूज चैनल इसको दिखा रहे हैं। सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि हरियाणा विधान सभा में ये कांग्रेस के सदस्य किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं ? Speaker Sir, you will have to take strict stand on it. You will have to take some decision on this issue so that this type of things never happens in this august House again in future. कभी भी इस प्रकार का व्यवहार हाउस में दोबारा न हो सके इसके लिए मैं मांग करता हूँ कि इसके बारे में सरकार कोई न कोई निर्णय जरूर ले तथा उनके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, अभी इस बात पर चर्चा हुई थी कि कल महामहिम के अभिभाषण पर कुछ लोगों ने वॉक आऊट किया और अभिभाषण की प्रतियां भी फाड़ी। आपने उनके खिलाफ ऐक्शन भी लिया लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश का केवल और केवल एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट भी की थी। हमने पहले ही उनसे यह बात कही थी कि हम आपका विरोध करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम केवल आपसे एक आश्वासन चाहते हैं और यह आश्वासन हमारी अकेली पार्टी नहीं चाहती बल्कि पूरा हाऊस यह चाहता था कि इस पर महामहिम की तरफ से कोई आश्वासन आए क्योंकि वे हमारे प्रदेश के संवैधानिक हैड हैं और उनके पास पंजाब का भी चार्ज था उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने खुद यह कहा था कि अगर मेरे पास कोई ऐसा बिल आएगा तो मैं उसको संविधान के दायरे में रख कर देखूंगा। हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बेकायदगी नहीं हुई थी। उसके बावजूद आपकी तरफ से एक निन्दा प्रस्ताव आया, जो निन्दा प्रस्ताव आप लेकर के आए थे, वह गलत था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रदेश के हित की बात करे और प्रदेश के सभी लोग उस हित के साथ जुड़े हुए हों और उनके खिलाफ सरकार की तरफ से निन्दा प्रस्ताव आए। इसका मतलब सरकार यह नहीं चाहती कि कोई ऐसे मुद्दों पर चर्चा करे या ऐसे मुद्दों पर महामहिम से प्रार्थना करे कि आप जो अभिभाषण पढ़ोगे उससे पहले अगर वहां से कोई बिल बनकर आ जाए तो बिल को रोका जाए। हम तो प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, हम प्रदेश के हित की बात कर रहे थे। भाई कुलदीप भी कह रहे थे कि सजा दोनों पार्टियों को मिलनी चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए था कि हमने हाऊस में क्या कहा था? सजा की बात तो तब करते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप भी सदन में काले बिल्ले लगाकर आए थे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो हम काली जैकेट भी पहन कर आए थे।

श्री अध्यक्ष : जैकेट पहनना और काले बिल्ले लगाना दोनों में बड़ा फर्क है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, काले बिल्ले लगाने का तो केवल एक बहाना बनाया गया था।

श्री अध्यक्ष : आपने भी विरोध तो प्रकट किया था।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने महामहिम के अभिभाषण का विरोध तब तक प्रकट नहीं किया जब तक वह पढ़ा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : उसमें जिसकी जितनी-जितनी गलती थी उसी के हिसाब से सजा मिल गई । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, काले बिल्ले तो हम आज भी पहनकर आ जाएंगे। अगर हम आज काले बिल्ले पहनकर आएंगे तो आप आज भी हमारे खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लेकर आओगे।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, कल आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान काले बिल्ले लगा कर आए थे। अगर आज लगा कर आओगे तो आज आपको कोई कुछ नहीं कहेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो यह बोल रहे हैं उनमें कुछ सदस्य तो पहली बार चुनकर आए हैं उनको पता नहीं है कि क्या हुआ है। सब चीजों की पहले जानकारी लेनी चाहिए फिर खड़े होकर बोलना चाहिए। (विघ्न) मैं अपनी बात केवल स्पीकर साहब से कह रहा हूं और किसी से नहीं कह रहा हूं जोकि आप लोग बिना मतलब के खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा कल हाऊस के अन्दर एक बहुत बड़ी बेकायदगी हुई थी शायद यह बात इनकी जानकारी में नहीं होगी। आपने जब हाऊस एडजोर्न कर दिया था और हाऊस एडजोर्न करने के बाद आपने हाऊस में कोई ऐसा पैनल नहीं बनाया था कि कौन व्यक्ति आपके और डिप्टी स्पीकर के बाद चेयर पर आसीन होगा।

श्री अध्यक्ष : जो नाम पीछे पैनल में थे वही नाम एक्सटैंड करते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पिछले पैनल का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब गवर्नर ऐड्रस आ जाता है तो पिछले पैनल का कोई महत्व नहीं रह जाता, सब खत्म हो जाता है। उसके बावजूद आपकी गैर मौजूदगी में आपके एक मैम्बर ने आकर इस चेयर का अपमान किया है। उस मैम्बर को हाऊस में माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गल्ती हुई है और उनके खिलाफ भी निन्दा प्रस्ताव लाना चाहिए। एक ऐसा मैम्बर जो विधान सभा का सदस्य है और जो सदन में गरीमा की बात करता है वह हर वक्त खड़े होकर बोलते हैं। वह अपनी तरफ से टोका टिप्पणी जरूर करते हैं। अगर वह आपकी कुर्सी और सदन की गरीमा को ठेस पहुंचाता है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के पेज 9 पर नियम 13(2) के अधीन नामजद किया जाता है "कि चेयरपर्सन उस समय तक पद धारण करेगा जब तक (चेयरपर्सन) के नामों की नई सूची नामजद नहीं की जाती"। इस प्रकार इस नियमावली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक नई सूची नामजद नहीं की जाती तब तक पुराना चेयरपर्सन का पैनल ही कार्य करता रह सकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी रूल बुक पढ़कर आया हूं मैं बिना पढ़े यह बात नहीं कहना चाहता था। मैं पूरी जानकारी हासिल करके आया हूं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अभय जी, माननीय अध्यक्ष जी ने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावाली के तहत ही श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी को श्री अध्यक्ष की चेयर पर बैठकर हाउस को ऐडजर्न करने व समय बढ़ाने के लिए कहा था।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं कविता जी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावाली अर्थात् रूल बुक के आधार पर ही सदन में बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैं अच्छी तरह से यह रूल बुक पढ़कर आया हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, अभय जी रूल को अच्छी तरह से पढ़कर नहीं आये हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपको रूल बुक को अच्छी तरह से पढ़कर सदन में आना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं बिना रूल बुक पढ़े यह बात नहीं कहना चाहता था (शोर एवं व्यवधान) मैं पूरी जानकारी हासिल करके आया हूँ, तब जाकर मैंने सदन में यह प्रश्न उठाया है। महामहिम राज्यपाल का भाषण समाप्त होने के बाद नए सिरे से तैयार किए गए सभापतियों की सूची के बारे में सदन को अवगत करवाया जाता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब तो यह हुआ कि अध्यक्ष की चेयर पर कोई भी व्यक्ति आकर बैठ जायेगा और सदन को चलाने लग जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपकी पार्टी के ढुल साहब तो यह कह रहे हैं कि हरियाणा विधान सभा की कमेटियां तब तक रखी जानी चाहिए जब तक अगले वित्त वर्ष के लिए नई कमेटियां गठित नहीं हो जाती। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यदि उन्होंने कहा है तो ठीक कहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, बड़ी अजीब बात है, जो बात ढुल साहब कह रहे हैं कि हरियाणा विधान सभा की कमेटियां तब तक रखी जानी चाहिए जब तक की अगले वित्त वर्ष के लिए नई कमेटियां गठित न हो जाए, यह बात तो आपकी ठीक लगती है जबकि रूल इस बात की तसदीक तक नहीं करते और जो बात हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावाली के पेज नं0 9 पर कार्यकारी {चेयरपर्सन} के नामों की सूची के विषयक, कॉलम नं013 के सब कॉलम 2 में स्पष्ट तौर से वर्णित है कि

"उप नियम (1) के अधीन नामजद किया गया {चेयरपर्सन} उस समय तक पद धारण करेगा जब तक {चेयरपर्सन} के नामों की नई सूची नामज़द नहीं की जाती"

अभय जी, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जब तक नए चेयरपर्सनज की सूची की घोषणा सदन में नहीं होती तब तक चेयरपर्सनज की पुरानी सूची स्टैंड करती है और आप रूल में दी गई इस बात को गलत ठहरा रहे हैं और जो बात ढुल साहब कह रहे हैं उसे ठीक कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की गरिमा की बात करता हूँ। सदन में हमारी पार्टी के द्वारा एज ए प्रोटैस्ट काली पट्टी लगाने पर सदन में जब इतना बड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है तो उस सदस्य के खिलाफ भी निन्दा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए जिसने आपकी तथा उपाध्यक्ष महोदया की अनुपस्थित में जबकि नई सभापति सूची की घोषणा नहीं की गई है, अध्यक्ष चेयर पर बैठकर, अध्यक्ष पद की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, जो उस दिन श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने चेयर पर बैठकर हाउस को एडजर्न किया था तथा सदन का समय बढ़ाया था, वह हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावाली के हिसाब से लिया गया फैसला था। उन्हीं नियमों के मद्देनजर मैंने श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी को चेयर पर बैठकर हाउस को एडजर्न करने व समय बढ़ाने के लिए कहा था। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपके कहने भर से ही कोई व्यक्ति चेयर पर आकर बैठ जाये, ऐसा नहीं होता है। आपकी तथा उपाध्यक्ष महोदया की अनुपस्थित में कौन-कौन अध्यक्ष की चेयर पर बैठेगा इस संबंध में बाकायदा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावाली के आधार पर सभापतियों की सूची तैयार होती है

[श्री अभय सिंह चौटाला]

और उसकी घोषणा हर सत्र के शुरूआत की प्रथम बैठक में करनी होती है लेकिन इस सत्र में ऐसा नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान) यदि आप अपने ऑफिस में बैठे-बैठे कुछ कह देंगे और वह सदन में लागू हो जाये, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सदन में जो कुछ होगा वह हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावाली के हिसाब से ही होगा।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, इस सदन में जो कुछ होता है, वह मेरे कहने से ही होता है और कुछ भी कहने से पहले हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावली का अध्ययन करके ही इस सदन में मेरे द्वारा कोई बात कही जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपकी तथा उपाध्यक्ष महोदया की गैर मौजूदगी में कौन व्यक्ति अध्यक्ष की चेयर पर बैठेगा, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावली के हिसाब से पहले आपको सत्र आरम्भ के दिन सभापतियों के नाम की सूची की घोषणा सदन में करनी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान) सभापति सूची में ही दर्ज कोई एक सदस्य इस चेयर पर बैठकर कुछ अनाउंस कर सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, एक बात तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ सदन में होगा वह तो अध्यक्ष के अनुसार ही होगा। अध्यक्ष सदन का कस्टोडियन होता है। अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। इस पद द्वारा जो भी फैसले लिये जाते हैं, उन फैसलों को लेने से पहले हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से संबंधित नियमावली का हर दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम केवल हमने तैयार नहीं किए हैं। आप लोगों की सरकार के समय में भी यह नियमावली हुआ करती थी। उससे पहले की सरकारों के समय में भी यह नियमावली होती थी। यह नियमावली तो पहले से ही बनी हुई है। हमने आकर अलग से हरियाणा विधान सभा की कोई नियमावली तो नहीं बनाई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि कल जो आप हमारी पार्टी के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लेकर आये थे, आप उस निन्दा प्रस्ताव को वापस लें। यह निन्दा प्रस्ताव तो पूर्णतया गलत था। निन्दा प्रस्ताव तो उन लोगों के लिए लाया जाता है जो सदन की कार्यवाही में विघ्न डाले, जो कोई प्रदेश के हित के खिलाफ बात कहे या यदि कोई किसी के सम्मान या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करे या फिर यदि कोई अपशब्द प्रयोग करता है उन लोगों के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव आते हैं। हमारी पार्टी ने सदा से ही प्रदेश के हित के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारी पार्टी ने उस दिन प्रदेश के हित की बात सदन में उठानी चाही थी और उसकी एवज में हमारे खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया गया। यह निन्दा प्रस्ताव सरासर गलत है मेरा अनुरोध है कि इसे तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम की नियमावली में पेज न.12, अध्याय 5, राज्यपाल का अभिभाषण और राज्यपाल तथा सभा के बीच संचार विषयक नियम 17 में स्पष्ट तौर से वर्णित है कि :-

संविधान के अनुच्छेद 175(1) के अंतर्गत राज्यपाल के अभिभाषण तथा अनुच्छेद 176 (1) के अंतर्गत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से तुरन्त पूर्व अथवा दौरान, अथवा तुरंत बाद, कोई भी सदस्य जब राज्यपाल सभा को संबोधित कर रहा हो तो बाधा नहीं डालेगा अथवा किसी विज्ञापन का प्रदर्शन नहीं करेगा, अथवा कोई नारा नहीं लगाएगा, अथवा किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा अथवा व्यवस्था का कोई प्रश्न, वाद-विवाद, अथवा चर्चा नहीं उठाएगा अथवा अन्यथा कार्यवाही में जानबूझकर विघ्न नहीं डालेगा तथा उपरोक्त अव्यवस्थाओं में से किसी भी अव्यवस्था को सभा की मानहानि समझा जाएगा तथा उसी रूप में इन नियमों के अन्तर्गत इन पर कार्यवाही की जाएगी।}

अभय जी, इसमें साफतौर से लिखा गया है कि यदि सदन में किसी भी तरह का विरोध किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी पार्टी ने सदन में विरोध तो किया ही है और संभव है कि उस विरोध के खिलाफ कार्रवाई लाजिमी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमने कोई विरोध नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) यह निन्दा प्रस्ताव सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करते हुए निन्दा प्रस्ताव को वापिस लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, जब आप मुझे अकेले में मिले थे तब तो आप मेरी बात से सहमत थे। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी जी ने कल इस सदन में हरियाणा प्रदेश के माननीय राज्यपाल के नाते संविधान सम्मत जो भूमिका निभाई है, उसके लिए यह पूरा सदन नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता है और उनका अभिनन्दन करता है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) चौधरी अभय सिंह चौटाला, नेता प्रतिपक्ष की यद्यपि कोई गलत भावना नहीं थी लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात सुनी और बात सुनकर जो टिपण्णी की वह बहुत बड़ी बात थी। मैं एक बार फिर से महामहिम राज्यपाल महोदय का इसके लिए अभिनन्दन करता हूँ। मैं यह बात फिर से कहता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के भाव गलत नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, पूरी कांग्रेस पार्टी ने और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के मेरे वे मित्र जो कभी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस महान सदन के अध्यक्ष हुआ करते थे उन लोगों ने राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का अपमान किया। इन लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से राजभवन में मुलाकात की और कई ऐसी बातें कहीं जो राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्रमुख के लिए निरादर की बात थी। महामहिम ने इनके द्वारा किए गए निरादर की परवाह किए बगैर संवैधानिक प्रमुख होने के नाते बड़े गौर से इनकी सभी बातें आदर भाव से सुनी। यह बात दिखाती है कि हमारे महामहिम का दिल कितना बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, विशेष महत्व भावना अर्थात इंटैंशन का होता है। जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो जज अपनी डिसक्रीशनरी पॉवर का प्रयोग करते हुए, इंटैंशन के उपर फैसला करता है। जैसे जब हमारे जवान देश रक्षा की भावना से सीमा पर गोली चलाते हैं तो उनको उसके लिए सम्मानित किया जाता है और इसी तरह से यदि एक आदमी बदनीयती से काम करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होता है। बदनीयती के आधार पर फांसी व आजीवन कारावास की सजा तक भी हो जाती है।

[श्री राम बिलास शर्मा]

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर राज्यपाल महोदय की बात पर आता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय से मिल करके प्रैस को सूचित करते हैं कि हमने एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को दिया है। ज्ञापन देने के बाद बजट सत्र में उपस्थित होते हैं और सदन में उपस्थित होकर के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का निरादर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में 5 बार चुनकर के आया हूँ। बहुत से माननीय साथी जानते हैं कि यहां पर माननीय सदस्यों को कैसे कंधों पर उठाकर के पालकी की तरह हाउस से बाहर कर दिया जाता था। यहां इस तरह के नजारे भी देखें गए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पढ़ने से पहले प्रतिपक्ष के नेता ने माननीय राज्यपाल महोदय को हरियाणा के हितों के लिए एक बात कही जिसे माननीय राज्यपाल महोदय ने बड़े ही ध्यान से सुनकर उस पर टिप्पणी भी की थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा अभिभाषण की प्रतियों को फाड़ा गया। अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने से गुस्सा प्रतीत नहीं होता है। अच्छा तो यह होता कि ये सारे लोग जाट आंदोलन के दौरान जब रोहतक, हांसी, सोनीपत आदि पूरा हरियाणा जल रहा था कोई भी माई का लाल चाहे उसमें 10-10 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो उनको चाहिए था कि वे लोगों के घर देखने जाते। पीड़ित और असहाय जनता के गांव या घर में उनकी रक्षा के लिये कांग्रेस पार्टी के सदस्य खड़े होते तो बहुत अच्छी बात होती। प्रैस में ज्ञापन देने मात्र से कोई भी अपराध छिपता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने हरियाणा में सदियों से चले आ रहे भाईचारे के माहौल को खराब कर दिया। हमारे प्रदेश में सदियों से यह परंपरा रही है कि जब एक गांव से दूसरे गांव में लड़के की शादी करने के लिए जाते हैं तो पहले अपने गांव की बेटी के बारे में पूछा जाता है चाहे वह किसी भी बिरादरी की बेटी क्यों ना हो। गांव की बेटी मिलने पर उसके घर जाकर शगुन के तौर पर पैसे और मिठाई देकर मान सम्मान बढ़ाकर आते हैं। उसके बाद बारात भोजन करती है।

"सीने के फफोले, जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से"

अध्यक्ष महोदय, योजना बनाकर न केवल हरियाणा में आंदोलन को उग्र बनाया गया, बल्कि चुन-चुन कर दुकानें और घर फूंके गए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि इस विषय पर पहले स्थगन प्रस्ताव लेकर आयें। (शोर एवं व्यवधान) शर्मा जी ने गलत समय में यह मुद्दा उठाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आज ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाये अन्यथा शर्मा जी इस मुद्दे पर किसी तरह की टिप्पणी देना बंद करे।

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, इस पर पहले ही स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए इस प्रस्ताव पर बाद में चर्चा करवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन पर कटाक्ष उचित नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) जब सरेआम लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी। (शोर एवं व्यवधान) आग लगाई जा रही थी और दुकानों को लूटा जा रहा था। (शोर एवं व्यवधान) प्रदेश की सरकार उसको रोक नहीं सकी। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जाट आंदोलन की आड़ में प्रदेश में आग लगाई उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, कृपया आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सदन में इसकी चर्चा ऐडजर्नमैंट मोशन लाकर ही होनी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन कुमार सैनी : अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा प्रदेश जल रहा था तो कुछ लोग धरना दे रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे वीडियो हैं जिनमें गैर-जाट समुदाय के लोगों ने चौधरी छोटूराम और चौधरी देवीलाल की प्रतिमा तोड़ी हैं। अगर आप सदन में ऐसी विवादास्पद चर्चा कराना चाहते हैं तो आप एडजर्नमैंट मोशन लाइये और फिर चर्चा कराइये। आप किसी भी दोषी व्यक्ति को माफ मत कीजिए। सदन में एक जाति विशेष को इस तरीके से बदनाम करने के इस षडयन्त्र के मैं खिलाफ हूं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने इसी विषय पर काम रोको प्रस्ताव दिया था। आपने हाउस को आश्वस्त किया था कि हम 21 मार्च को इस पर चर्चा कराएंगे। (विघ्न) उस समय माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी भी मौजूद थे। मैं जिस इशू के लिए खड़ा हुआ हूं वह यह है कि उनको जाट आंदोलन पर इस समय चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने इस इशू पर चर्चा अभी शुरू करनी है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जीरो ऑवर्स के अंदर काम रोको प्रस्ताव को मंजूर करो और चर्चा कराओ ताकि सदन को पता लगे कि इस हिंसा को करवाने में कौन लोग दोषी थे और किन्होंने प्रदेश को आग के हवाले किया और किन लोगों की गल्तियों की वजह से तीस आदमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बताया था कि हमारी पार्टी के भिवानी में स्थित दफ्तर को आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने तोड़ने का काम किया है और हमारे पैट्रोल पम्प को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद जींद में चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा लगी हुई है उस पर चढ़कर उसे तोड़ने का काम किया। उन लोगों के हाथों में कुल्हाड़ी और घन जैसे हथियार थे। मेरे पास इस घटना के वीडियो भी उपलब्ध हैं। फिर भी हमने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही हमने प्रत्येक जिले में जाकर अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकत्ताओं और पदाधिकारियों से कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश को किसी भी कीमत पर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम किसी भी कीमत पर प्रदेश के भाईचारे को खराब नहीं होने देना चाहते। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी थी। इसलिए आज आप इस विषय को मत उठाइये। आप अपनी पार्टी के नेता का आज का बयान ही पढ़कर देख लीजिए। उन्होंने टिप्पणी की है कि आर्मी में जाट समुदाय से जितने भी लोग भर्ती हैं उनकी पहचान की जाए। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस देश में जहां भी शहादत देने की बात उठती है तो सबसे ज्यादा संख्या में हरियाणा प्रदेश के ही लोग होते हैं। इसमें जाट समुदाय के अलावा अन्य जातियों के लोग भी शहादत देते हैं। जिस समय हरियाणा प्रदेश आंदोलन की आग में जल रहा था ठीक

[श्री अभय सिंह चौटाला]

उसी समय हरियाणा के जाट समुदाय के लड़के ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी शहादत देने का काम किया है। शहीद भगत सिंह भी जाट जाति से जुड़ा हुआ देशभक्त था जिसने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। (शोर एवं व्यवधान) इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अभी चर्चा मत करिये अन्यथा यह हाउस सही ढंग से चल नहीं पाएगा। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग बार-बार खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने वहां पर न जाने क्या-क्या किया है। (शोर एवं व्यवधान) जब जनता के सामने इन सभी के सबूत आएंगे तब इनको पता चलेगा। आप इस बात को आज हाउस में छेड़ने की कोशिश न करें। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का सदन एवं समितियों से निलम्बन

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी इस सम्बंध में कहा है कि अभय सिंह चौटाला जी ने उस दौरान सिरसा में जाकर और दूसरी जगहों में जाकर शांति की अपील की थी। इनकी उस समय भूमिका ठीक रही और इसके बारे में हमने कई बार सार्वजनिक रूप से भी बोला है। अध्यक्ष महोदय, कल कांगेस पार्टी के सदस्यों ने जिस तरह का निंदनीय व्यवहार सदन में प्रदर्शित किया है और जिस तरह से उनके कुछ सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियों को सदन में फाड़ा है उसके खिलाफ मैं एक प्रस्ताव आपकी अनुमति से सदन में रखना चाहता हूं-

> कि दिनांक 14 मार्च, 2016 को श्री जयवीर सिंह, श्री कुलदीप शर्मा व श्री जगबीर सिंह मलिक, विपक्ष के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जानबूझकर बाधा डालने व इस महान सदन की वैल में आकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़कर हरियाणा विधान सभा के इस महान सदन की गरिमा का घोर अपमान किया जोकि सदन के विशेषाधिकार का हनन था और सदन की अवमानना थी इसलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सदस्यों को विधान सभा के इस महान सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए 6 महीने के लिए तथा हरियाणा विधान सभा की समितियों में भाग लेने के लिए एक वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ-

> कि दिनांक 14 मार्च, 2016 को श्री जयवीर सिंह, श्री कुलदीप शर्मा व श्री जगबीर सिंह मलिक, विपक्ष के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जानबूझकर बाधा डालने व इस महान सदन की वैल में आकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़कर हरियाणा विधान सभा के इस महान सदन की गरिमा का घोर अपमान किया जोकि सदन के विशेषाधिकार का हनन था और सदन की अवमानना थी इसलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सदस्यों को विधान सभा के इस महान सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए 6 महीने के लिए तथा हरियाणा विधान सभा की समितियों में भाग लेने के लिए एक वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि दिनांक 14 मार्च, 2016 को श्री जयवीर सिंह, श्री कुलदीप शर्मा व श्री जगबीर सिंह मलिक, विपक्ष के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जानबूझकर बाधा डालने व इस महान सदन की वैल में आकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़कर हरियाणा विधान सभा के इस महान सदन की गरिमा का घोर अपमान किया जोकि सदन के विशेषाधिकार का हनन था और सदन की अवमानना थी इसलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सदस्यों को विधान सभा के इस महान सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए 6 महीने के लिए तथा हरियाणा विधान सभा की समितियों में भाग लेने के लिए एक वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अनादर एवं सदन के अपमान का मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कल जो निंदा प्रस्ताव सरकार हमारे खिलाफ लेकर आई थी उसको वापस लिया जाए क्योंकि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। मैंने पहले भी सभी सदस्यों के सामने यह बात रखी थी कि हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य ने कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया जिससे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई बाधा आई हो। या महामहिम के कद पर कहीं कोई छींटाकशी की हो। हमने उनसे रिक्वैस्ट की थी और उन्होंने हमारी रिक्वैस्ट को स्वीकार करके आश्वस्त किया था और सदन में भी पढ़ा कि ऐसा कोई भी बिल उनके पास आयेगा तो वे उसको संवैधानिक दायरे में देखकर फैसला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बात कहता हूं कि हमारे खिलाफ कल जो निंदा प्रस्ताव लाया गया है उसे वापस लिया जाये। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें सदन से वॉक आऊट करना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कापियों को फाड़े जाने पर जो यह प्रस्ताव लाया गया है यह न लाया जाये क्योंकि उनको आपने पहले ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सस्पैंड किया हुआ है। जिस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी कांग्रेस के सदस्यों ने ऐसा वाकया किया था लेकिन उनको इतनी बड़ी सजा नहीं दी गई थी। मेरी सदन के नेता से और सभी साथियों से प्रार्थना है कि डैमोक्रेसी में इतनी लम्बी सजा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निरंकुशता होगी। आप लोक सभा की कार्यवाही निकालकर देखें उसमें किसी सदस्य को नेम भी कई-कई वर्षों में किया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि इतनी लम्बी सजा उन्हें न दी जाये। अगर ऐसा किया जाता है तो यह निरंकुशता होगी वैसे सरकार बहुमत में है कुछ भी कर सकती है।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के निलम्बित सदस्यों को वापस बुलाने बारे प्रार्थना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है उस पर 21 तारीख को चर्चा होगी क्योंकि उस दिन कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य होंगे। लेकिन आपने उनमें से तीन सदस्यों को तो 6 महीने के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पैंड कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, कार्रवाई केवल तीन सदस्यों के खिलाफ की है। तीन के अलावा कांग्रेस के अन्य 11 सदस्य संभवत: 21 तारीख को सदन में होंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उन तीनों को भी आने दिया जाये। इतनी लम्बी सजा उन्हें न दी जाये और इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाये। जो कुछ कहा जाये उनके सामने कहा जाये ताकि उनको भी अहसास हो कि उन्होंने गलत किया है। इस तरह की बातों को हमने भी इस सदन में कई दफा भुगता है।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अनादर एवं सदन के अपमान का मामला उठाना (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात अपनी तरफ से रखी है। जो विषय मैंने कल रखा था उसको मैं फिर से दोहरा देता हूं। मुझे लगता है कल यह विषय समाप्त हो जाना चाहिए था और उसमें छोटी सी पहल अगर नेता प्रतिपक्ष करेंगे तो यह विषय समाप्त हो जायेगा। जो सारा विषय कल रखा गया, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम परसों महामहिम राज्यपाल महोदय से ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मिलकर आये। वही विषय जो उन्होंने कल दोहराया और परसों भी यह बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि यह असंवैधानिक है, इस पर संविधान के हिसाब से कार्यवाही करेंगे। ऐसा राज्यपाल महोदय ने आश्वस्त किया था। जब उन्होंने आश्वस्त कर दिया था तो मैं समझता हूं कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है उस अभिभाषण को निर्विघ्न चलाने की अपने आप में एक परम्परा है। जैसे ही राज्यपाल महोदय सदन में आते हैं अपना अभिभाषण पढ़ते हैं और उसके बाद चल जाते हैं। इस बीच में किसी प्रकार का विषय रखना, उनको बाधित करना और भाषण पढ़ने से पहले किसी बात की हां करवाना या अभिभाषण पढ़ने से पहले हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध करना एक आपत्तिजनक विषय लगता है। कल सदन में जो कुछ हुआ, भले ही वह मामूली बात थी लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा यह खेद माननीय सदस्य यदि प्रकट कर दें तो इस विषय को समाप्त किया जा सकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी किस्म की कोई बाधा आये। जहां तक काली पट्टियां बांधने का सवाल है इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि हम वे काली पट्टियां इसलिए नहीं बांध कर आये थे कि उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। हमारे माननीय सदस्यों द्वारा काली पट्टियां बांधने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों हुए आंदोलन में 35 हज़ार करोड़ रूपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई और 30 से ज्यादा लोग मारे गये। हमारे द्वारा समाचार-पत्रों के माध्यम से और दूसरे संचार के माध्यमों से सरकार के ध्यान में यह बात बराबर लाई जा रही थी कि इस सारे मामले की सिटिंग जज से ज्युडिशियल जांच करवाई जाये लेकिन जब सरकार ने हमारी किसी भी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो हम इसके रोषस्वरूप उस दिन हम वे काली पट्टियां पहन कर आये थे। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में वे काली पट्टियां पहन कर नहीं आये थे। जहां तक काली पट्टियों की बात है वह तो माननीय विज साहब ने बहुत दफा बांधी है लेकिन विज साहब को कभी भी किसी ने बाहर नहीं किया। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री अजय सिंह चौटाला जी को यह बात बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने सरकार से किसी विषय के विरोधस्वरूप वे काली पट्टियां बांधी थी तो इनको वे काली पट्टियां महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद बांधनी चाहिए थी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, विज साहब को यह बात हमें पहले बतानी चाहिए थी।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, अगर ये मुझ से पूछते तो में इनको यह बात पहले बता देता।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप इसके लिए खेद प्रकट कर दें तो यह बात अपने आप समाप्त हो जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इसमें खेद प्रकट करने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपको अपना प्रस्ताव वापस लेना है तो अच्छी बात है और अगर आप उसको वापस नहीं करते तो हमें इसके विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आऊट करना पड़ेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, श्री अभय सिंह चौटाला जी बहुत ही नीनियर लैजिस्लेटर हैं और इस सदन के एक बहुत ही अनुभवी सदस्य रहे हैं। सदन की गरिमा और मर्यादा की जो पूरी पृष्ठभूमि और भूमिका है ये उससे भी पूरी तरह से वाकिफ हैं। इन्होंने अनेकों बार विधान सभा के रूल्ज को भी पढ़ा होगा। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वह सदन की जो प्रौसीडिंग्स होती हैं उससे पूरी तरह से अलग होता है। जहां तक काली पट्टी बांधकर प्रोटैस्ट करने की बात थी, उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस सदन की कार्यवाही तभी शुरू होती है जब माननीय अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए अगर प्रोटैस्ट का अगर इनके पास को विषय था तो वह काली पट्टी उसके बाद भी लगाई जा सकती थी। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय कोई व्यक्ति नहीं हैं वे एक संवैधानिक संस्था हैं। वे एक संवैधानिक संस्था में राज्य के ढ़ाई करोड़ लोगों की सरकार से जो आशायें और अपेक्षायें है, उन्हें वे सरकार के माध्यम से यहां पर रखे रहे हैं। इसलिए हम सभी का यह प्रथम कर्त्तव्य बनता है कि इस संवैधानिक संस्था का पूरा मान-सम्मान करें। इस बारे में विधान सभा के रूल 17 में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। रूल 17 में यह स्पष्ट किया गया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पूर्व, अभिभाषण के दौरान और अभिभाषण के तुरंत बाद की प्रक्रिया में भी किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला जा सकता। व्यवधान का विषय बहुत छोटा सा है और जो प्रोटैस्ट की बात है वह बाद में आती है। इस प्रकार कोई भी व्यवधान असंवैधानिक है और सदन की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण है। ऐसे में मेरा निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष को अगर वास्तव में इस बात की ग्वानि का बोध है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान उन्होंने जो आचरण किया वह उचित नहीं है तो ये इस महान सदन के पुराने सदस्य हैं ये इस बारे में यहां पर खेद प्रकट कर दें तो इनके ऐसा से इस महान सदन की गरिमा बढ़ेगी और तभी हम इस महान सदन की गरिमा की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभा पायेंगे। सदन के नेता ने बहुत बड़े दिल से कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष इस बारे में खेद प्रकट कर देते हैं तो इस निर्णय

[कैप्टन अभिमन्यु]

पर पुनर्विचार किया कर सकते है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि उनको भी बड़ा मन रखते हुए इस बारे में खेद प्रकट कर देना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि गल्तियां किसी से भी हो जाती है। बीते समय में भी यहां पर बहुत सी गल्तियां हुई हैं और उनको लेकर यहां पर बहुत बार खेद व्यक्त किये गये हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाला बड़ा होता है और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता लेकिन जब तक हमें ग्लानि का बोध नहीं होगा और हमें अपनी गलती का अहसास नहीं होगा तो हम आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में क्या बतायेंगे। क्या हम यह बतायेंगे कि हमने इस महान सदन की मर्यादा तार-तार होने दी। क्या हमने इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस महान सदन की कार्यवाही को पूरा हरियाणा देख रहा है। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय नेता से यह निवेदन है कि वे माननीय अध्यक्ष जी की बात का मर्म समझते हुए कृपया करके महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान उनका जो आचरण रहा है उसमें अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उस भूल-चूक को वे स्वीकार कर लें। इस भूल-चूक की स्वीकारोक्ति में उनका कद बड़ा ही होगा और ऐसा करने से उनका कद कोई छोटा नहीं हो जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जिस प्रकार से अभी कैप्टन अभिमन्यु जी कह रहे थे कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो टिप्पणी की है उसमें जो टोकने का काम है वह गलत था। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एस.वाई.एल. के मामले में अगर हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी से कोई प्रार्थना करें और आपकी पार्टी यह मानती है कि वह गलत है तो हम इस तरह की गुस्ताखी कई दफा करेंगे। यह प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, यह प्रदेश का इशू है यह कोई किसी राजनीतिक पार्टी का एजेन्डा नहीं है। (विघ्न) आप इस बात के लिए माफी मांगने की बात करते हैं ? (शोर एवं व्यवधान) आप चाहे कड़े से कड़े प्रस्ताव लेकर आयें हम इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप इस मामले पर पहले राज्यपाल महोदय से मिल कर भी आये थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इंडियन नैशनल लोकदल के साथी राज्यपाल महोदय से मिलकर आये हैं और उन्होंने इनकी बात सुन ली थी। राज्यपाल महोदय ने शालीनता दिखाते हुये इनकी बात को स्वीकार किया। राज्यपाल महोदय ने महानता दिखाते हुये इनकी बातों को सुना और उनके ऊपर संज्ञान लिया और उनके ऊपर व्यवहारिक तरीके से काम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ये एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा उनके पास रख कर आ चुके थे और इन्होंने उनके घर जा कर चाय पी ली थी और मिठाई खा कर आ चुके थे। ये सदन में आने के बाद इस तरह की बात क्यों करते हैं ? सदन में आने के बाद एक संवैधानिक मर्यादा के हिसाब से सदन चलेगा, सदन परम्पराओं से चलेगा। हमने अखबार में भी पढ़ा है कि ये राज्यपाल महोदय के सामने अपनी बात रख चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन के दौरान इन्होंने अपने छोटे से राजनीतिक स्वार्थ के लिए सदन का उपयोग करने की कोशिश की है, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में व्यवधान डालने की जो कोशिश की है उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसको कोई भी उचित नहीं कह सकता है। एस.वाई.एल. नहर के मामले में इन्होंने जो हमारा साथ दिया उसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं तथा पूरा हरियाणा इनका आभार व्यक्त करता है।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर के विषय पर तो इनकी बात पहले ही हो चुकी थी अब तो सिर्फ पोलिटिकल माइलेज का विषय है।

वाक आउट

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार हमारे खिलाफ पारित निन्दा प्रस्ताव को वापिस नहीं ले रही है तो हम सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा अकाली दल के एक मात्र सदस्य उनके खिलाफ कल दिनांक 14-03-2016 को सदन द्वारा पास निन्दा प्रस्ताव को वापस न लिए जाने के विरोध में सदन से वॉक-आउट कर गये।)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री सदन के पटल पर कागज-पत्र रखेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या1) से संबंधित कागज-पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हमने 17 कालिंग अटैन्शन नोटिस दे रखे हैं हमें उनका फेट बता दें।

श्री अध्यक्ष : आप कौन से कालिंग अटैन्शन नोटिस के बारे में पूछ रहे हैं?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि हमने 17 कालिंग अटैन्शन नोटिस दे रखे हैं। बजट सत्र की कुल 12 बैठकें हैं। आप यह मानकर चलो कि हम 17 के 17 कालिंग अटैन्शन नोटिसिज पर फिर भी चर्चा नहीं कर सकते। आज इस शून्य काल में कम से कम एक कालिंग अटैन्शन नोटिस को ऐडमिट करके उस पर चर्चा करवाओ। ये सभी कालिंग अटैन्शन नोटिसिज बहुत अहम हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके जो महत्वपूर्ण कालिंग अटैन्शन नोटिसिज थे उनको मैंने स्वीकार कर लिया है। श्री रवीन्द्र सिंह तथा अन्य पांच विधायकों (श्री बलकौर सिंह, श्री केहर सिंह, श्री नगेन्द्र भडाना, श्री राजदीप तथा सरदार जसविन्द्र सिंह संधू)की तरफ से जो प्रदेश में दिनों-दिन कैंसर व हैपेटाईटिस ''बी'' और ''सी'' आदि बीमारियों के तेजी से पैर पसारने बारे कालिंग अटैन्शन नोटिस था उसको मैंने दिनांक 16-3-2016 के लिए स्वीकार कर लिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : सर, इसके अलावा हमने प्रदेश में ओलावृष्टि एवं तेज आंधी से किसानों की फसलों को हुये नुकसान बारे भी कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश में दलित महिलाओं पर हुए अत्याचार के बारे में भी हमने कालिंग अटैन्शन नोटिस दे रखा है। इसके साथ-साथ आज के दिन हरियाणा प्रदेश में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे भी हमने कालिंग अटैन्शन नोटिस दे रखा है। इसी प्रकार से प्रदेश में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में भी हमने कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है। ये सारे आम जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं ये किसी पार्टी के राजनीतिक हित की बात नहीं है। जो प्रदेश की जनता की कठिनाईयाँ हैं उनके बारे में आपको कालिंग अटैन्शन नोटिसिज दिये हुये हैं। इसलिए इनमें से आप किसी एक को स्वीकार करके उस पर चर्चा करवाएं।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपके कुछ कालिंग अटैन्शन नोटिसिज हैं और कुछ इसी प्रकार के मिलते-जुलते प्रश्न भी हैं। कल के लिए आपका एक कालिंग अटैन्शन नोटिस स्वीकार कर लिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पीने के पानी की समस्या बारे जो कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है उसके बारे में मैं प्रश्नकाल में सुन भी रहा था कि किस तरह से प्रदेश में पीने के पानी की समस्या है और सरकार किस तरह से उसका समाधान कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आपका पीने के पानी वाला कॉलिंग अटैन्शन नोटिस मैंने सरकार के पास कमैंट्स के लिए भेज रखा है।

श्री अभय सिंह चौटाला : सर, इसी प्रकार से बुढापा पेंशन के लिए भी हमने कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है। आज बुढापा पेंशन में प्रदेश के लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? आज हर गांव में तो बैंक हैं नहीं और कई-कई गांवों से तो बैंक 20-20 किलोमीटर दूर हैं। अत: बुजुर्ग आदमी जो चारपाई में पड़ा है उसको 20 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी पैंशन लेकर आने में कठिनाई होती है। इस पर भी हमने आपको एक प्रस्ताव दिया है। ये सारे प्रस्ताव जरूरी हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर चर्चा करवाएं ताकि हम प्रदेश से जुड़े हुए सारे मुद्दे हाऊस के अन्दर बता सकें। हम चाहते हैं कि सरकार उन पर ऐसे फैसले कर दे ताकि लोगों का भला हो सके।

श्री अध्यक्ष : ठीक है जी, आपका प्रस्ताव कल के लिए रखा है। सरकार से जवाब मांग रखा है। कल आपका एक प्रस्ताव लगा दिया है और बाकी के प्रस्ताव उसके बाद लगा देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कल तो आपने प्रस्ताव लगा दिया बाकी के प्रस्तावों के बारे में आप सदन में बताओ उनमें से एक प्रस्ताव आज लगाना चाहिए था ताकि उस पर आज चर्चा की जा सके। आपने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का तो प्रस्ताव लगा दिया जिनका आपको पहले से ही पता था कि उन्होंने तो हाऊस के अन्दर रूकना ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका ऐडजर्नमैंट मोशन स्वीकार किया है जिस पर चर्चा की तिथि 21.3.2016 निश्चित कर दी है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का तो आपने कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार कर लिया और हमारा कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : उनका कहां किया है, यह तो आपका ही कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार कर रखा है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने हमसे पहले श्रीमती किरण चौधरी का कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बता देता हूं कि किस-किस का कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार किया हुआ है। रविन्द्र सिंह जी, बलकौर सिंह जी, केहर सिंह जी, नगेन्द्र भडाना जी, राजदीप जी, जसविन्द्र सिंह संधू जी इन सब का कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार किया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वह कालिंग अटैंशन मोशन तो कल के लिए हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, ये सब कालिंग अटैंशन मोशन कल के लिए हैं। इसमें किरण चौधरी का कालिंग अटैंशन नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज भी तो चर्चा होनी चाहिए । अब जो ताजा ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों की फसल में कितना नुकसान हुआ है। कई गांवों में तो खड़ी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है।

श्री अध्यक्ष : हमने उसके जवाब के लिए सरकार को लिखा है। (विघ्न) जोकि अभी विचाराधीन है । इसको मैं कल देख लेता हूं इसका क्या जवाब आता है।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह पस्ताव तो आप जल्दी पास करवा लो यह तो सबके लिए अच्छा है क्योंकि किसानों का नुकसान बहुत हो गया है।

श्री अध्यक्ष : जो आपने कालिंग अटैंशन मोशन दिये हैं उनको हम रखेंगे। जैसे आपने 17 कालिंग अटैंशन मोशन दिये थे वे 17 के 17 इस श्रेणी के नहीं हैं कि उनको स्वीकार किया जाए इसलिए उनमें जो कालिंग अटैंशन मोशन जरूरी हैं, उनको हम रखेंगे। जैसे आपने कुछ कालिंग अटैंशन मोशन दिये हैं उनमें से जो अतिआवश्यक हैं वह मैंने रख लिये हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं मानता हूं कि 17 के17 तो नहीं लग सकते लेकिन उनमें से ज्यादातर तो बहुत जरूरी हैं जैसे उनमें बुढ़ापा पैंशन की बात भी आती है, ओलावृष्टि की बात भी आती है।

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने जो कल के लिए कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार किये हैं वह मैंने आपको बता दिये हैं। कल इन पर चर्चा करवाएंगे और जो कालिंग अटैंशन मोशन बाकि बचे हैं उनकी भी मैं कल जानकारी दे दूंगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, उनमें से जो कालिंग अटैंशन मोशन डिस अलाऊ किये हैं उनको भी बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं डिस अलाऊ कोई नहीं किया है। अगर कोई डिस अलाऊ होगा तो उसको फिर बता देंगे। आज आप गवर्नर एड्रस पर चर्चा कर लें उसके बाद कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा कर लेना। वह सरकार के पास जवाब के लिए भेजे हुए हैं क्योंकि कुछ बात सरकार के पास जवाब के लिए भेजनी होती है। सरकार की तरफ से भी कुछ जानकारी आ जाने दो नहीं यह सारी कार्यवाही एक पक्ष की ही होगी फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सरकार के पास जानकारी होगी तभी तो सरकार जवाब देगी। हमने विभाग को लिख दिया है तो फिर एक दिन में क्या फर्क पड़ता है आपको इसके बारे में कल बता देंगे। माननीय सदस्यगण अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्री सुभाष बराला विधायक प्रस्ताव पेश करेंगे।

जाट धर्मशाला, कुरुक्षेत्र में प्रशासन की नियुक्ति का मामला उठाना

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है जो बहुत जरूरी है। यहां पर सारे नेता बैठे हैं। हमारे कुरूक्षेत्र में एक जाट धर्मशाला है मैंने पहले भी इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी कि जाट धर्मशाला किसी से कुछ नही लेती वहां अपना एक सिस्टम चलता है वहां हमेशा लंगर चलता रहता है लेकिन फिर भी वहां पर पता नही किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां से एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए। वह हमारे हिन्दुस्तान के लोगों का बहुत बड़ा मंदिर है वहां हर जाति का आदमी खाना खाता है और एडमिनिस्ट्रेटर उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है इसलिए उसको वहां से हटाया जाए।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल की यह बात बिल्कुल सही है वहां से एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा है क्योंकि वहां पर सरकार का कोई लेना देना भी नहीं है फिर वहां एडमिनिस्ट्रेटर रखने की क्या जरूरत है ?

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह विषय आया है और जो निश्चित तौर पर जो जाट धर्मशाला कुरूक्षेत्र है यह हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि शायद पूरे देश में एक ऐसी मिसाल है जिसमें पूरे आस पास के इलाके के लोग मिलकर के और अपने-अपने खेत से पैदा हुआ जो पूरा अनाज है उसमें से एक बड़ा अंश अपने खर्चे पर अपनी ट्रैक्टर-ट्रालियां में भरकर कुरूक्षेत्र की जाट धर्मशाला में दान करने जाते हैं। यह धर्मशाला बहुत ही व्यवस्थित व अच्छे ढंग से चलती रही है। इस धर्मशाला में सदाव्रत चलता है। 36 बिरादरियों के लोग इस धर्मशाला में बने हुए सैकड़ों कमरों में आकर ठहरते हैं और हजारों लोग रोज इस धर्मशाला में खाना खाते हैं। इसी धर्मशाला के माध्यम से इन्होंने शिक्षा के और भी प्रकल्पों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अभी पिछले दिनों जाट धर्मशाला की जो कार्यकारिणी सभा थी उसी कार्यकारिणी सभा के कई लोगों ने यह शिकायत की थी कि उन लोगों ने एक विद्यालय प्रारम्भ किया था और उस विद्यालय में बिना आपस में या कमेटी की अनुमति लिए हुए इस प्रकार का कोई खर्च कर दिया गया जिसके उपर प्रश्न चिन्ह लग गया। यह पहला ऐसा अवसर था जब इस संस्था के उपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। समाज के लोगों ने बड़ी मेहनत से इस संस्था का एक ऐसा चरित्र विकसित किया था कि पूरे भारत वर्ष में जाट धर्मशाला की सराहना होती थी। हम भी कई बार पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा कई अन्य सॉर्वजनिक कार्यक्रमों में इस धर्मशाला में गये हैं। यह धर्मशाला बहुत ही श्रद्धा का केन्द्र है। श्रद्धा का स्थान है। पहले भी यह विषय हमारे संज्ञान में आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब यह विषय आया तो उन्होंने तुरन्त तीन सदस्य वाली कमेटी से इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए कह दिया। वह रिपोर्ट भी लगभग तैयार है और बहुत जल्द ही इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की जो अपॉइंटमैंट की गई है, उस अपॉइंटमैंट को निरस्त कर दिया जायेगा। हमने कई बार समाज के लोगों से भी निवेदन किया है कि जब तक कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा है, आप कोई कमेटी बनाकर आ जाओ, हम उसी कमेटी को ही डिप्टी कमिश्नर को सहयोग करने के लिए सारी पॉवर कमेटी को दे देंगे। हमने तब भी कहा था लेकिन अफसोस यह है कि उस प्रकार की कोई कमेटी बनकर नहीं आई लेकिन अब जो तीन सदस्यीय कमेटी इस पर काम कर रही है उन्होंने जो सुझाव इसमें दिये हैं, उन सुझावों पर अमल करते हुए वहां से एडमिनिस्ट्रेटर का पद हम जल्द से जल्द विद्ड्रा करेंगे ताकि यह सभा फिर से उसी स्वरूप में काम कर सके जितने यशस्वी स्वरूप में इस सभा ने अभी तक काम किया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, कैप्टन साहब ने जैसे अभी बताया है कि उसमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी। अगर कोई कंप्लेंट्स आई थी तो आपके किसी अधिकारी के द्वारा कंप्लेंट्स की जांच करवानी चाहिए थी। बजाय जांच करवाने के आपने उस पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करवा दिया। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, . . . (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस बारे में जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो उस वक्त माननीय मंत्री जी अपनी बात रख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल माननीय साथी की जानकारी दुरुस्त करने के लिए बीच में खड़ा हो गया हूँ। माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने एक ऐसा विषय कह दिया है कि मुझे जवाब देना जरूरी हो गया है। बिना जांच किए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं हुआ है। बकायदा जांच की गई है। जांच के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं। उसी कारण से एडमिनिस्ट्रेटर अप्वॉयंट हुआ है। यह तो कागजी कार्यवाही है। यह सारी चीजें फाईल में रिकॉर्ड पर हैं। विपक्ष के नेता बहुत ही सीनियर एवं अनुभवी व्यक्ति हैं और काफी समय से इस महान सदन के सदस्य भी रहते आ रहे हैं उनको सभी बातों का ज्ञान भी है। उन्होंने भी सरकारें चलाई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से पहले एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय से पहले यह पूरा विषय विवेचना के लिए जाता है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अगर उसमें जांच करवाई थी तो जांच में जो दोषी पाया गया था उसके खिलाफ कार्यवाही करते न कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगाते। जो कोई व्यक्ति उसमें दोषी था जिसने पैसा खाया था, जिस किसी ने गलत पैसा खर्च किया था उसके खिलाफ कार्यवाही करो। बजाय कार्यवाही करने के एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। मैं यह नहीं कहता कि आपने गलत किया या ठीक किया लेकिन उसकी वजह से लोग रोजाना जिनका आना जाना था आज उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। वहां हजारों लोग खाना खाते हैं। बिना पैसा दिये यहां पर तीनों टाईम का भोजन चलता है। अत: इसके लिए दोबारा से एक कमेटी उन्होंने बना ली है जैसाकि ढुल साहब ने मुझे अभी बताया है। (विघ्न) मैं यह बात आपके नोटिस में लाना उचित समझता हूँ।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, माननीय मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि कोई तीन सदस्य वाली कमेटी इस पर काम कर रही है और उन्होंने इस संबंध में एडमिनिस्ट्रेटर का पद विद्ड्रा करने का आश्वासन भी दिया है।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ढुल साहब ने आपको ही इस कमेटी के बारे में बताया है, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के नोटिस में भी यह बात आ चुकी है कि पूरे समाज ने एक कमेटी बनाई थी। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस समय जरूर करना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि कुछ लोग मिलकर के एक कमेटी का नाम दे गये। दूसरा पक्ष आया वह दूसरे का नाम दे गया। हमने उनको कहा कि आप सर्वसम्मति से एक कमेटी बनाईये। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, उस धर्मशाला की आज तक की हिस्ट्री है कि वहां पर कभी चुनाव नहीं हुआ। न ही इस धर्मशाला में कभी कोई विवाद हुआ। कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। मैं किसी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस धर्मशाला के अन्दर कभी कोई विवाद नहीं रहा हो उसके अन्दर इस तरह का विवाद खड़ा करना गलत है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष है। मैं उनकी जानकारी के लिए फिर से बताना चाहूँगा कि जब से यह धर्मशाला बनी है मैं इस धर्मशाला में हर साल जाता हूँ। इस धर्मशाला के बारे में सरकार की मंशा और नीयत पूरी तरह से साफ है और सरकार चाहती है कि बहुत श्रद्धा से इस धर्मशाला का एक बार फिर से वही यशस्वी स्वरूप लोगों के सामने उभरकर आये। सरकार पूरी तरह से साफ मंशा व नीयत के साथ काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि उनकी फिर से सर्वसम्मति बन जाये जिसके लिए प्रयास चल रहे हैं और मुझे लगता है कि वे प्रयास सफल भी हो रहे हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: अब श्री सुभाष बराला जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करेंगे।

[12.00 बजे] **श्री सुभाष बराला (टोहाना)**: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:-

"कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 14 मार्च, 2016 को 2.00 मध्याह्न पश्चात् सदन में देने की कृपा की है ।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हमारे विधान सभा के सदस्य श्री अनिल विज और डॉ0 अभय सिंह यादव के जन्मदिन पर बहुत-बहुत बधाई और शुभ कामनाएं देता हूँ। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया, हम सदन के सदस्य होने के नाते ही हाउस में मौजूद हैं। केवल विधान सभा का चुनाव जीत कर सदन का सदस्य बनना ही इसका मकसद नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि विधान सभा का सदस्य बनने के लिए लम्बी-लम्बी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। देश को आजाद कराने के लिए शहीद भगत सिंह, राज गुरू, सुखदेव, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी जैसी महान विभूतियों ने बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दी। डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने इस देश को महान संविधान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों ने जिन्होंने पांच सौ से ज्यादा अलग-अलग रियासतों में बिखरे हुए हिन्दुस्तानियों को जोड़ने का प्रयास किया । इस प्रकार की एक लम्बी प्रक्रिया चलने के बाद हमें इस महान सदन का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, कल का वातावरण देखकर बड़ा दु:ख होता है। जिस संविधान की रक्षा के लिए और देश की जनता की सेवा करने के संकल्प को ले करके हम सदन में आते हैं। इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया वह घोर निंदनीय है। सरकार ने सदन में इस बारे में निंदा प्रस्ताव पारित किया। उपाध्यक्ष महोदया, हमें विचार करना चाहिए कि जो ज्वलंत विषय आज हमारे सामने आए हैं चाहे वे जाट आरक्षण के दौरान पूरे हरियाणा की आत्मा को ठेस पहुँची हो चाहे वह पंजाब विधानसभा ने हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ करके सदन में एकमत से एस.वाई.एल. नहर के रैजोल्यूशन को पास किया हो। इस प्रकार संविधान की भावना को ठेस पहुँची है। आज सदन में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए एकमत से खड़े होने

की जरूरत है। प्रदेश में भाजपा सरकार को बने लगभग डेढ़ वर्ष हो चुका है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आई हैं। इन चुनौतियां में सरकार को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, किसान के लिए बिजली, पानी और खाद की समस्या, बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ व साथ में भ्रूण हत्या जैसी गम्भीर चुनौतियां विरासत में मिली है। इस प्रकार के वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि जितनी भी इस प्रकार की चुनौतियां हैं इनका न केवल सामना किया बल्कि एक-एक चुनौती से सही ढंग से निपटने का काम किया है। यहां कल माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में लगभग सारी बातों की चर्चा हुई और जब हमारी सरकार बनी और श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार सम्भाला उस समय जिस प्रकार से पिछली सरकारें भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद के आधार पर काम करती रही उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह से समाप्त करना हमारा लक्ष्य है। इसे प्राथमिकता पर ले करके मुख्यमंत्री जी सरकार बनने के एक महीने के अंदर ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिना किसी भेदभाव के, बिना वहां की जनता की मांग के वहां गए और फीडबैक ले करके पता किया कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जरूरतों, सहूलियतों की जरूरत है तथा उनका स्वयं संज्ञान लिया। उन्होंने प्रदेश से क्षेत्रवाद को खत्म करने का प्रयास किया और बहुत सारी विकास की योजनाएं इस दौर में उन्होंने लागू करने का काम किया। दूसरी तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान और स्वच्छता अभियान की शुरूआत हरियाणा प्रदेश से ही की थी। इन दोनों ही अभियानों में जिस प्रकार की गम्भीरता हमारी सरकार ने दिखाई, यह बात पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। जिस प्रकार से लिंगानुपात के बारे में पूरा हरियाणा जानता है कि पूर्व की सरकार में एक हजार बेटों पर 835 बेटियां थी। यह रिकॉर्ड की बात है। एक साल के शासन में लिंगानुपात में इतना सुधार आया है कि आज एक हजार बेटों पर नौ सौ बेटियां पैदा होती हैं। यह सरकार के द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों का ही परिणाम है। हरियाणा पर लिंगानुपात का दाग लगा हुआ था। हमने लिंग जांच और भ्रूण हत्या इत्यादि बुराइयों को मिटाने में पूरी कामयाबी हासिल की है। हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत मजबूत कदम उठाए हैं और इस बात को न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश जानता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा सरकार के इस कदम की सराहना की है। इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे काम हुए हैं। हमारी बहन-बेटियां स्कूल से निकलकर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं तो उन्हें परिवहन की भारी समस्या होती है। इससे निपटने के लिए हमारे परिवहन मंत्री जी ने जहां से भी संज्ञान मिला कि हमारी बहन-बेटियों को स्कूल में जाने के लिए बस की आवश्यकता है वही उनको सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी बेटियों की अच्छी शिक्षा के लिए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का जो नारा दिया है वह पूरा हो सके। इसके अलावा हमें किसान वर्ग की बहुत-सी चुनौतियां विरासत में मिली थी। हमें कुछ समस्याएं विरासत में मिली और कुछ तत्काल मिली थी। पिछले वर्ष गेहूं की बिजाई के समय खाद की समस्या आई थी। किसान वर्ग के लिए हमें बहुत बड़ी समस्या विरासत में मिली है। न केवल उस सीजन में उस समस्या से ठीक प्रकार से निपटा गया बल्कि उसके बावजूद जितने भी फसल बिजाई के सीजन आए और जब-जब यूरिया और डी.ए.पी. की जरूरत किसान को पड़ी, हमारी सरकार ने उसको पूरी तरह से गम्भीरता से लेते हुए यूरिया, डी.ए.पी. और दूसरी खादों की

[श्री सुभाष बराला]

[श्री सुभाष बराला]

समस्या किसान को न आए, इसका प्रबंध करने का प्रयास किया। उपाध्यक्ष महोदया, इतना ही नहीं पिछली बार जब गेहूं की फसल पककर तैयार थी और किसान फसल की कटाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, उस समय ओलावृष्टि हो गई और ओलावृष्टि एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार हुई। इस समस्या से भी हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से निपटने का काम किया। यह सदन उस समय शुरू ही हुआ था और सदन में उस ओलावृष्टि की बात आई थी। मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय सदन में आश्वासन दिया था कि ओलावृष्टि बंद होने के 15 दिनों के अंदर किसान को उसकी खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अपने इस वायदे को निभाया और एक हजार 92 करोड़ रूपये मुआवजे का दिया। सरकार ने न केवल मुआवजा देने का काम किया बल्कि किसान की फसल चाहे खराब थी या ठीक थी उनका एक-एक दाना खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया था। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी की समस्या रहती है। एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा बहुत गम्भीर मुद्दा है जो इस प्रदेश की पानी की समस्या को हल कर सकता है। इसके बावजूद भी हमारे सिंचाई मंत्री और सिंचाई विभाग ने पूरी कोशिश करके जितना भी पानी हमारे पास उपलब्ध है उसका बेहतर उपयोग करके तथा सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग करके किसान को अंतिम छोर तक पानी मिले इस बात का प्रयास हुआ । इस बात की सराहना सम्बन्धित क्षेत्र के किसानों ने भी की थी। उपाध्यक्ष महोदया, इस बार भी दुर्भाग्य से हमारी सावनी की फसल भी खराब हो गई। नरमा, ग्वार और बाजरे की फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप हो गया। किसान के सामने यह बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। किसान के लिए सरवाइव करना मुश्किल था। हमारी सरकार ने, हमारे कृषि मंत्री ने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया और इसकी स्पैशल गिरदावरी करवाई। उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी कीड़े के नुकसान से खराब हुई फसल की भरपाई किसी सरकार ने की है जोकि रिकार्ड की बात है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने किसानों की नरमे की जो फसल खराब हुई उसके लिए 967 करोड़ रूपये की राशि जारी की है। उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी चुनौती गौ हत्या, गौ रक्षा और गौ संरक्षण की हमारे सामने आ रही थी। उसके लिए बहुत सख्त कानून हमारी सरकार ने बनाया है। उसके लिए मैं हमारे पशु पालन मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री महोदय, पूरे मंत्रिमंडल और इस सदन को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से यह बिल पास किया। इस बिल के पास होने के बाद बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जिस प्रकार गौ संरक्षण बिल बनाया गया है उसी प्रकार आज आवारा और लावारिस गऊओं की भी समस्या है जिसके समाधान के लिए गौ-सेवा आयोग बनाया जा रहा है जो कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। इसके साथ-साथ अभी पिछले दिनों पंचायती राज के चुनाव हुए थे। उस चुनाव से पहले हमारे पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री महोदय और सभी सीनियर साथियों से बात करके एक प्रस्ताव तैयार किया कि पिछला जो पंचायती राज का अधिनियम है उसमें संशोधन होना चाहिए और पढ़ी लिखी पंचायतें बननी चाहिएं। एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया और सदन में इसके लिए नया कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। भारी विरोध के बावजूद केवल सदन में विरोध नहीं हुआ बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लोग इसको लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया कि पढ़ी लिखी पंचायतें बनें। इस प्रकार का कानून इस महान सदन ने पास किया। मैं सदन को बधाई देना

चाहता हूं कि आज पंचायती राज संस्थाओं में जिस प्रकार के व्यक्ति चुनकर आये हैं उसके लिए यह सदन बधाई का पात्र है। पंचायती राज संस्थाओं में ऐसे व्यक्ति चुनकर आये हैं जिन्होंने आरक्षण की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। जो हमारी महिलाएं चुनकर आई हैं वे आरक्षण कोटे से ज्यादा चुनकर आई हैं। इसी तरह से जो बैकवर्ड क्लास के सदस्य चुनकर आए हैं वे भी आरक्षण के कोटे से ज्यादा चुनकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह वातावरण बदला है तो हमारी सरकार की पहल की वजह से बदला है क्योंकि हमारी सरकार ने पंचायती राज कानून में बदलाव किया है और हरियाणा एक नये बदलाव की तरफ जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं मूलभूत-ढांचे की बात करूं तो किसी भी प्रदेश के विकास में मूलभूत ढ़ांचे का अहम रोल होता है। दिल्ली के नजदीक होने के कारण हमारे प्रदेश का बहुत सा हिस्सा एन.सी.आर. में आया हुआ है जिसके कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। जिस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय कुण्डली-मानेसर-पलवल बाईपास बनाने का काम शुरू हुआ था लेकिन दुर्भाग्य से दस साल कांग्रेस की सरकार रही जो इस सारे विषय को भूल गई। उस दौरान केवल और केवल जो रोड बने या रेल लाईन बिछाई गई वे केवल निजी लोगों के विकास के लिए हुआ तथा वे पूरे प्रदेश के आधारभूत विकास के ढांचे को भूल गये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधान मंत्री जी को विश्वास दिलाया कि कुण्डली-मानेसर-पलवल कोरीडोर का कार्य एक साल में कर लिया जायेगा और इतना ही नहीं बल्कि देश के प्रधान मंत्री जी ने सोनीपत के कुण्डली ईस्टर्न कोरीडोर का उद्घाटन भी कर दिया। एक नये नैशनल हाई-वे को हरियाणा में मंजूरी दी गई और उसके फोर लेनिंग का काम भी शुरू हो गया। इस तरह से हरियाणा में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यदि शिक्षा की बात करें तो पिछली सरकार के समय किस प्रकार की शिक्षा नीति थी, उसके बारे में हम सभी जानते हैं ? आज वे मित्र अपनी करनी की वजह से सदन में नहीं हैं। दस साल उनकी सरकार प्रदेश में रही। श्रीमती इन्दिरा गांधी से लेकर वर्तमान में उनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी केवल गरीबी उन्मूलन का राग अलापते रहे लेकिन वह उनसे दूर नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने गरीबों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मेन कारण यही था कि जिस प्रकार की शिक्षा नीति वे लोग लेकर आये उससे गरीब व्यक्ति का बच्चा जो सरकारी स्कूल या कालेज में पढ़ता था उसके लिए शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल हो गया था। हमारी सरकार आने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करके गरीब से गरीब बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का प्रावधान अपनी शिक्षा नीति में किया है और उसके अपेक्षित परिणाम भी हमारे सामने आने शुरू हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यदि मैं खेल क्षेत्र की बात करूं तो हरियाणा की बहुत अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और गांवों से बहुत सारी प्रतिभायें निकलकर आती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए खेल क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे खेल मंत्री जी ने गांव-गांव में व्यायाम शालाएं खोलने का प्रावधान किया है ताकि निचले स्तर से लेकर पूरे देश का ध्यान खेल की तरफ आकर्षित किया जा सके। इतना ही नहीं नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने इनामी राशि भी बढ़ाई है। हमारे खेल मंत्री श्री अनिल विज जी गुड़गांव में बहुत बड़े खेल दंगल का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें एक करोड़ रूपये की इनामी राशि पहले स्थान पाने वाले प्रतिभागी को दी जायेगी। सरकार का यह कदम युवाओं खासकर

[श्री सुभाष बराला]

खिलाड़ियों को आने वाले समय में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके अलावा जहा तक प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का सम्बन्ध है अगर हम अपने हरियाणा प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो हम अपने देश में कहीं पर भी जायें हमारे प्रदेश के बारे में तो एक ही बात कही जाती है कि हरियाणा में तो कल्चर के नाम पर केवल मात्र एग्रीकल्चर ही है। यह बात मैं भी कहता हूं कि हमारे प्रदेश की पहचान एग्रीकल्चर से है। हमारे प्रदेश में पूरे देश की जनसंख्या का 1.4 प्रतिशत भाग रहता है और हमारे हरियाणा प्रदेश में पूरे देश के क्षेत्रफल का भी बहुत कम भाग है इस सबके बावजूद भी हम केन्द्रीय अन्न भण्डार में 14 प्रतिशत हिस्सा देते हैं। इसका स्पष्ट मतलब यही हुआ कि एग्रीकल्चर में तो हमें नि:संदेह महारत हासिल है। एग्रीकल्चर में तो हम महारत हासिल करते जा रहे हैं लेकिन अपनी कल्चर को हम लगातार ही भूलते जा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश की जो-जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में सारा विश्व भली प्रकार से जानता है। यह वही हरियाणा है जिसकी महान धरा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कुरूक्षेत्र के अंदर श्रीमदभगवत गीता का महान उपदेश दिया था। मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री गीता केवल मात्र धर्म ग्रन्थ नहीं है। श्रीमद भगवत गीता केवल धर्म को ही इंगित नहीं करती है बल्कि श्रीमद भगवत गीता जीवन जीने की एक पद्धति सिखाती है अर्थात जीवन जीने की जो महान कला है उसका ज्ञान श्रीमद भगवत गीता देती है। इस प्रकार की जो हमारी महान विरासतें हैं ये केवल एक क्षेत्र विशेष तक ही सिमट कर न रह जायें। इसके लिए हमारी सरकार ने पहली बार भगीरथ प्रयास किया कि इस बार जो श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया गया वह केवल कुरूक्षेत्र में ही नहीं बनाया गया बल्कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों के अंदर मनाया गया और सभी जिलों में श्री गीता से सम्बंधित कार्यक्रम आयोजित किये गये। मैं समझता हूं कि ऐसा करके हमारे प्रदेश की जो महान सांस्कृतिक विरासत है उसके नज़दीक जाने का मौका पूरे प्रदेश की जनता को हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाया है। केवल इतना ही नहीं इसी प्रकार से जो आदिबद्री का मंदिर है। उसके लिए भी सरकार द्वारा इसी प्रकार के प्रयास किये गये। ऐसे ही यहां पर बहुत बार सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की बात भी कही जाती है। सरस्वती विकास बोर्ड बनाकर इस सांस्कृतिक धरोहर को पूरे देश और दुनिया के सामने किस प्रकार से रखा जाये इस प्रकार के प्रयास हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किये गये। इस सबसे भी आगे जाकर जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने महान संत और महात्माओं की जयंतियां मनाते हैं। महर्षि बाल्मीकि, संत रवि दास और संत कबीर दास जी जैसी इस प्रकार की जो हमारी संत विभूतियां रही हैं जिन्होंने समय-समय पर हमारे सम्पूर्ण समाज को नई दिशा देने का काम किया है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमारी इन सभी संत विभूतियों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जायें और बड़ी धूमधाम से और एक त्यौहार की तरह मनाई जायें। इस प्रकार का भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों महर्षि बाल्मीकि जयंती कुरूक्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाई गई थी जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश का बाल्मीकि समाज इस अवसर पर हर्ष और उल्लास के साथ इक्ट्ठा हुआ था यह अपने आप में एक रिकार्ड की बात है। इसी प्रकार हमने रोहतक में भी संत रविदास जयंती मनाने का फैसला किया था लेकिन उस समय हरियाणा प्रदेश के कुछेक हिस्सों में माहौल ठीक नहीं था जिसके कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक

अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। इसी प्रकार से जो पंचायती राज चुनावों की बात आई थी। इस बार के पंचायती राज चुनाव भी बहुत मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। हमारे प्रदेश में ये बहुत सारे काम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। मुझे लगता है और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने भी अपने अभिभाषण में किया है। उन सबकी अगर मैं यहां पर चर्चा करूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो जायेगा लेकिन यहां पर एक-एक बिन्दु के ऊपर जिस प्रकार से चर्चा हुई इन सारी की सारी बातों को जो लोग पिछले 10 साल से इस प्रदेश की सत्ता को सम्भाल रहे थे उन्होंने बड़े करीब से एक-एक बात को देखा। उन्होंने यह देखा और उन्होंने यह अहसास किया किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सवा साल के छोटे से काल खण्ड के अंदर हर क्षेत्र में पूरे हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसका परिणाम यह निकला कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जो पंचायती राज के चुनाव हुए और इस चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आये। हम सभी ने यह देखा कि किस प्रकार से पढ़े-लिखे लोग इन चुनावों में चुनकर आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग 10 साल तक इस प्रदेश के ऊपर राज करके गये उनको यह बात सहन नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार के प्रति उनके मन में कुंठा तो पहले ही थी लेकिन धीरे-धीरे करके वह कुंठा इतनी ज्यादा बढ़ जायेगी इस बात का अहसास न तो भारतीय जनता पार्टी को था और न ही हरियाणा प्रदेश की जनता को था। जो आरक्षण का आन्दोलन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था उन्होंने किस प्रकार एक गोलमोल कानून बना कर जाट समुदाय को आरक्षण का लालीपॉप देने का काम किया था। यह समस्या उन लोगों की देन थी। आन्दोलन हरियाणा में पहले भी हुए थे लेकिन इस तरह के आन्दोलन हरियाणा में पहले कभी नहीं हुये। उन लोगों की बेचैनी की वजह से ऐसा हुआ है, यह बात हरियाणा ही नहीं पूरे देश और दुनिया की जनता के सामने आई है कि किस प्रकार से आन्दोलन की आड़ में हरियाणा में जो आग लगी हुई थी उसमें घी डालने का काम पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रो. वीरेन्द्र सिंह ने किया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि हरियाणा जो तरक्की के रास्ते पर निकला था यह बात इन लोगों को हजम नहीं हो पा रही थी। यह सारा विषय इन लोगों की बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए हरियाणा को इस प्रकार की आग में धकेलने का काम किया गया। उपाध्यक्ष महोदया, अब जब सदन की शुरूआत होने वाली थी और इन लोगों को यह लग रहा था कि जिस प्रकार से हरियाणा को बर्बाद करने वाले ये लोग हरियाणा की जनता के सामने नंगे हुए हैं उसी प्रकार से सदन के अन्दर भी चर्चा आयेगी, विधान सभा में भी इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा तो दुर्भाग्य से एस.वाई.एल. नहर के रूप में एक ऐसा विषय इनको मिल गया जिससे ये बच निकलें। मैं यह भी मानता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन पंजाब की सरकार ने और सभी राजनैतिक पार्टियों ने संविधान को ललकारने का काम किया है जिसके कारण हरियाणा के हित प्रभावित हुए हैं। यह सदन और हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता इस बात से बड़ी दुखी है कि हरियाणा के खिलाफ पंजाब की विधान सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह केवल आज ही नहीं हुआ है बल्कि सन् 2004 में भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उससे पहले भी और उसके बाद भी पंजाब की विधान सभाओं में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, यह होता आया है और हम उसकी कड़ी निन्दा करते हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय मीटिंग भी हुई और हम महामहिम राज्यपाल से भी मिल कर आये हैं। मुख्यमंत्री जी

[श्री सुभाष बराला]

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिलकर उनको हरियाणा की चिन्ता से अवगत करवा कर आये थे। यह सारा वातावरण ऐसा था और एक तरफ इस बात के प्रयास किये जा रहे थे कि किस प्रकार से एस.वाई.एल. नहर का जो मामला है उस चुनौती से निपटा जाए लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने उसको ढाल बना कर इन लोगों की आरक्षण आन्दोलन के पीछे जो घिनौनी हरकत थी यह इन लोगों का उससे बचने का प्रयास था लेकिन हरियाणा की जनता यह जानती है, पूरे देश और दुनिया की जनता जानती है कि किस राजनैतिक दल का इस मामले में किस प्रकार का रोल रहा है। मैं हमारे सदन के नेता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत पहले तय किया था कि हरियाणा में पूंजी निवेश हो तथा हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार मिले, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में है, चाहे प्राईवेट क्षेत्र में है उसको रोजगार मिलना चाहिए। हरियाणा में तरक्की और खुशहाली होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने हैपनिंग हरियाणा नाम का कार्यक्रम रखा था। उसी के तहत इन्वैस्टर मीट का कार्यक्रम रखा गया था लेकिन उसी दौर में हरियाणा प्रदेश पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा था। उस सबसे विचलित हुये बिना सारी चुनौतियों से पार पाते हुये मुख्यमंत्री जी का यह दृढ़ संकल्प था कि हरियाणा में सभी परिस्थितियों के बावजूद भी इन्वैस्टर मीट होगा और वह इन्होंने करवाया तथा हरियाणा में 5,84,000/- करोड़ रूपये का रिकॉर्ड इन्वैस्टमैंट हुआ तथा एम.ओ.यू. साइन हुये। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा थी मैंने उस चर्चा में मेरी समझ से मोटी-मोटी बातें रखने का काम किया है। लेकिन अभी हमारे ध्यान में एक बात आई है जबकि हमारे मित्र श्री कुलदीप बिशनोई जी इस समय सदन में मौजूद नहीं है कल उन्होंने सदन में एक चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सांझीदार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बात कहने का अधिकार नहीं है। जब हमारी सरकार हरियाणा में और पंजाब में थी उस समय इस प्रकार जो वाकये हुए थे तो उसके बाद हम पंजाब के अन्दर वोट मांगने नहीं गये। माननीय सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं फिर भी उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी तो आप कल यह बात कह कर गये जबकि हम प्रचार में भी नहीं गये थे। इसलिए हरियाणा में जो खेल हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का हाथ आ रहा है। हम सदन में ये बात भी बता दें कि आजकल आपकी कांग्रेस पार्टी में जाने की जो चर्चा है तो क्या आप इस हालात में भी कांग्रेस पार्टी में जाने का काम करेंगे ? और अन्त में मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया का धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है और मैं आदरणीय स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस सदन की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया है उनके खिलाफ आपने ऐक्शन लिया और कड़ा ऐक्शन लिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): उपाध्यक्ष महोदया, आपके समक्ष श्री सुभाष बराला जी द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष में जो सरकार के टारगेट्स हैं उनके बारे में विस्तार से जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने हरियाणा में कार्यभार ग्रहण किया, हरियाणा की सत्ता संभाली तो सरकार के सामने भयंकर चुनौतियों का दौर था।

सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के समक्ष थी वह यह थी कि सारा प्रशासन तंत्र एक विशेष तरीके से चलने का आदी हो गया था जिसमें सरकार की और प्रशासन की सोच एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होकर रह गई थी जिससे सरकार का ध्यान पूरा का पूरा एक ही दिशा में हो गया था क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हर चीज के रेट फिक्स हो गये थे और सरकार में सी.एल.यू. नाम की एक भयंकर बीमारी लग गई थी। जिस समय हरियाणा के स्तर पर भी और राष्ट्र के स्तर पर भी जो सरकारें कांग्रेस गवर्नमैंट की थी ये दोनों सरकारें स्कैम की सरकार बन गई थी। हमने तो जिन्दगी में पहली बार लाखों करोड़ रुपये के गबन और घोटालों का जिक्र सुना था। सौभाग्य हुआ इस देश का और प्रदेश का कि देश में बी.जे.पी. की सरकार आई और एक बहुत ही कर्मठ और क्रियाशील व्यक्ति आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ठीक उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में भी हमें ईमानदार और स्वच्छ छवि के धनी श्री मनोहर लाल जी के रूप में मुख्यमंत्री जी मिले हैं। आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी सरकार की दशा और दिशा हमेशा उस सरकार के मुख्यमंत्री की नीति और नीयत पर निर्भर करती है। मैं कोई तुलना तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तीस साल की नौकरी में बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैंने बहुत सारी सरकारें आती-जाती देखी हैं, लेकिन श्री मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी ईमानदारी के बारे में कोई तनिक भी संदेह नहीं कर सकता। यह वह शख्सियत है जो हर समय प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं। इनकी काम करने की नीयत है और यही कारण है कि यह हर वक्त प्रदेश की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। भ्रष्टाचार कोई अपने आप नहीं पनपता है। भ्रष्टाचार की जड़ें तभी नीचे तक जाती हैं जबकि वह उपर से शुरू होता हो। भारतीय जनता पार्टी के महज डेढ़ साल के कार्यकाल के अंतराल में हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार के कर्मठ मंत्रियों ने या यू कहें कि सारी टीम ने मिलकर सारे प्रशासन तंत्र को एक नई दिशा प्रदान कर दी है। सरकार की कार्यप्रणाली एक नई दिशा में चलने लगी है। राज्य का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय सुभाष बराला जी ने बड़ी तफसील से इसका अभी वर्णन किया है। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ परन्तु एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। मैं जिस जिले से आता हूँ वह शायद हरियाणा प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और मेरा जो हल्का है वह भी शायद हरियाणा के सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक या क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में मेरे इस हल्के ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, मैं उन सब उपलब्धियों को सदन में बताना चाहता हूँ। पिछले डेढ़ साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेरे महेन्द्रगढ़ जिले को तीन नैशनल हाईवेज की सौगात मिली है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) वर्तमान में यह जिला कनैक्टिविटी के हिसाब से एन.सी.आर. क्षेत्र के अच्छे जिलों में शुमार हो गया है। मेरे जिले के बीचों-बीच डैडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर आता है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से तथा इस महान सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इंटिग्रेटिड मल्टीमॉडल लोजिस्टिक हब जो फ्रेट कोरिडर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र एक बनना था, उन्होंने मेरे हल्के को चुना है और नारनौल से महज पांच किलोमीटर दूर वह बनने जा रहा है (इस समय मेजें थपथपाई गई।) उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेरे जिले की तस्वीर बदल गई है। इस समय मैं सदन के समक्ष पिछली सरकार के समय की एक बात और बताना चाहता हूँ। जो नारनौल से दादरी रोड भिवानी को

[श्री अभय सिंह यादव]

जाता है उसकी हालत बहुत खराब थी। यहां से कांग्रेस के एक विधायक जो उस समय मुख्य संसदीय सचिव भी होते थे, से मैं एक दिन कोई बात कर रहा था। उस समय मैं डॉयरेक्टर हुआ करता था। बात चलती रही और मुख्य संसदीय सचिव मुझसे बोले कि डॉयरेक्टर साहब मैं मीटिंग में नहीं आ पाउंगा क्योंकि मेरी फ्लाईट मिस हो गई है। मैने उनसे हंसकर कह दिया कि हवाई जहाज की बजाय कभी रोड से भी तो आ जाया करो। मैंने उनसे स्पेसिफिकली कहा कि आप कभी नारनौल से महेन्द्रगढ़ या दादरी रोड से आये हो, वह यह बात सुनकर हंस पड़े और चुप हो गये। इसी तरह एक दिन मुझे एजूकेशन बोर्ड की मीटिंग में शामिल होने के लिए नारनौल से भिवानी जाना पड़ा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस दूरी को तय करने में मुझे साढ़े तीन घंटे का समय लग गया। मतलब यह कि यह रोड बहुत टूटी-फूटी और नाजुक अवस्था में थी। इस रोड़ से गुजरते समय गाड़ी दूसरे गीयर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। यह हालात जो मैंने अभी बयान किए, पिछली सरकार के समय के हैं। मैं अब भी इसी रोड से आता-जाता हूँ लेकिन अब ऐसी कोई समस्या यहां पर नहीं है। आज मेरे सारे जिले का नक्शा ही बदल दिया गया है। यहां के सारे रोड्ज बहुत बढ़िया बन चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं केवल अपने क्षेत्र की ही बात सदन के सामने बताना चाहता हूँ। दक्षिणी हरियाणा के समक्ष जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, वह पानी का है। जिसके कारण सिंचाई की हालत अभी भी ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से कृषि और सिंचाई मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोनों इस समय सदन में उपस्थित हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां की लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम जर्जर हालत में थी। मैंने इसी सदन में दिनांक 4 नवम्बर को विधान सभा में शपथ लेने के तुरंत बाद एक निवेदन किया था कि हमारी लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। जिसको तुरंत पुनरूद्वार और जीर्णोदार की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, उसी अपील पर हमारी पार्टी के सारे विधायकों ने माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने तुरंत इरीगेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इरीगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सिंचाई मंत्री ने नारनौल में 143 करोड़ रूपये से बनने वाले इरीगेशन सिस्टम की घोषणा की। उपाध्यक्ष महोदया, अगर सरकार की काम करने की नीयत ठीक हो तो प्रदेश का कोई भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं रह सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, यूं तो सरकार की उपलब्धियां बताने की बहुत सारी बातें हैं। नांगल चौधरी की अनाज मंडी बनने के लिए 20-20 साल से बीच में लटकी हुई थी। माननीय मंत्री जी से एक ही बार अनुरोध करने पर नारनौल और नांगल चौधरी दोनों की अनाज मण्डियां में काम पूरा होने जा रहा है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) इसी तरह से राजस्थान के बॉर्डर पर निजामपुर के सुदूर क्षेत्र में कॉलेजिज़ खोले गए हैं। नांगल चौधरी का बस अड्डा लगभग 30 सालों से अपने आप में एक पहेली बना हुआ था, अब बस अड्डे की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। उपाध्यक्ष महोदया, बहुत सारे विकास के काम इस सरकार में हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी मजबूती के साथ सरकार विकास के काम कर रही है। अभी कुछ माननीय सदस्य जाट आरक्षण की समस्या के बारे में बात कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार का काम नाजुक हालातों को देखकर प्रदेश में चल रही समस्या से बढ़िया तरीके से निपटने का होता है। बाहर बैठकर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी कर सकता है और कोई भी कमैंट्स कर सकता है, लेकिन इस तरह की समस्या से निपटने के लिए सबसे ज्यादा संयम और समझदारी की जरूरत होती है। संयम और

समझ के बगैर इस तरह की सिचुएशन में अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया गया होता तो उसका बहुत बड़ा भंयकर परिणाम निकलता। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने इस तरह के तीन आंदोलन अपनी आंखों से देखे हैं। आंदोलन के दौरान जनता में एक आक्रोश होता है और उस आक्रोश में कुछ असामाजिक तत्व उस आंदोलन में शामिल होकर के गलत हरकतें करते हैं। यह ठीक है कि नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यदि सरकार संयम और समझदारी से काम नहीं लेती तो शायद नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता था। सरकार जिस तरीके से इस समस्या से निपटी है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सिंचाई मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का भूजल स्तर लगभग खत्म हो गया है। कुछ क्षेत्रों में तो भूजल नीचे जा रहा है लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भूजल स्तर लगभग खत्म हो चुका है। हरियाणा में जल उपलब्धि का संतुलन ठीक नहीं है। अगर इस असंतुलन को मिटा दिया जाए तो सिंचाई के लिए हरियाणा में जल व्यवस्था ठीक-ठाक अवस्था में आ सकती है। पिछले सत्र में हमारे विपक्ष के कई साथियों ने सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें वॉटर लोगिंग की समस्या है। ज्यादा पानी की वजह से जमीने खराब हो रही है। वहीं हमारी महेन्द्रगढ़ की भूमि एक-एक बूंद के लिए प्यासी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उस जमीन को आवश्यकतानुसार पानी मिल जाये तो अकेला जिला दो राज्यों जितना अनाज पैदा कर सकता है, इतनी फर्टिलिटी और गुणवत्ता इस जमीन में है। उपाध्यक्षा महोदया, मेरा निवेदन है कि एक रिचार्ज की स्कीम सरकार के विचाराधीन है। इसका मंत्री जी को भी पता है और मुख्यमंत्री जी को भी पता है। मेरी जानकारी के अनुसार विभाग ने एक प्रपोजल भी तैयार कर रखा है। दोनों महानुभाव यहां सदन में बैठे हैं। हमारे जिले में जब तक रिचार्ज की व्यवस्था इफैक्टिवली शुरू नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसमें सिर्फ बारिश का फालतू पानी यमुना से उठाकर हमारे जिले में पहुंचाना है। हमारे क्षेत्र में दो बरसाती नदियां हैं, जो सूख चुकी हैं। इनके बेड सूख चुके हैं। अगर इनमें बरसाती पानी पहुंचा दिया जाए तो वह इलाका रिचार्ज हो जाएगा और काफी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा तथा इससे वहां की कृषि में सुधार आ सकता है। मेरा इन दोनों माननीय सदस्यों से पुरजोर अनुरोध है कि वे इस स्कीम को जल्दी से जल्दी अप्रूव करके इस काम को शुरू करें। इस काम में हालांकि काफी ज्यादा खर्चा आएगा। यह लगभग अठारह हजार पांच सौ करोड़ रूपये की स्कीम है लेकिन जहां बहुत बड़े जनहित की बात हो वहां छोटे-मोटे खर्च सरकार कहीं से भी प्रबंध कर सकती है। नाबार्ड और एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड जैसी बहुत-सी संस्थाएं है जहां से सरकार वित्तीय प्रबंध कर सकती है और सहायता मिल सकती है। मेरा दोनों महानुभावों से अनुरोध है कि जब मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दें उस दिन अगर इस बारे में हमें कोई आश्वासन मिल जाए तो मैं यह समझूंगा कि उस इलाके के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। बाकी आदरणीय बराला साहब ने इस इलाके के बारे में काफी विस्तार से बताया। इसलिए मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी सदस्यों का और मुख्यमंत्री महोदय का और विशेषकर सिंचाई मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस इलाके के लिए मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है और मुख्यमंत्री ने जो सुविधाएं दी हैं उनका मैं तहदिल से धन्यवाद करता हूं और इस अभिभाषण का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने जो पॉलिसी स्टेटमैंट दी है उसके ऊपर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे सदन के दो साथियों का जन्मदिन है। एक श्री अनिल विज जी और दूसरे अभय सिंह यादव जी हैं। मैं इन दोनों सदस्यों को अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। परमात्मा इन्हें लम्बी आयु प्रदान करे और ये प्रदेश के हित और विकास के लिए और भी ज्यादा अच्छा काम करते रहें। यह मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने कल माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सुना था। उस अभिभाषण को मैंने विस्तार से पढ़ा और उस में हम यह मानकर चल रहे थे कि माननीय राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ेंगे उसमें कहीं न कहीं सरकार अपने पिछले डेढ़ वर्ष के शासनकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करेगी और अगले वर्ष के लिए बनाई गई योजनाओं का भी उल्लेख करेगी लेकिन राज्यपाल अभिभाषण में हमें ये बातें नजर नहीं आई। इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि सरकार ने कौन-कौन सी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिससे प्रदेश के लोगों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ हो। मुझे यह अहसास हो रहा है कि सरकार ने माननीय राज्यपाल को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जिसकी वजह से उनका अभिभाषण केवल औपचारिकताएं ही पूरी कर पाया है। उसमें कहीं कानून व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है तथा कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो इसके लिए कैसे कदम उठाए जाएं ? इस अभिभाषण में मेवात जिले का कहीं जिक्र नहीं किया गया है जिसको हम सब लोग लगातार पिछड़ा मानते हैं। पिछले दिनों आरक्षण आंदोलन में असंवैधानिक तत्वों की हिंसा की वजह से प्रदेश के हालात बहुत खराब हुए और इस आरक्षण के दौरान सरकार की तरफ से बारी-बारी लोगों को बुलाकर आरक्षण देने के लिए आश्वस्त किया गया। मुझे याद है जब हमारा विधान सभा का पहला सैशन था, उस सैशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था और उस फैसले के बाद रूलिंग पार्टी के हमारे साथी जो मिनिस्टर्ज हैं या एम.एल.एलज. हैं उन्होंने जाट समुदाय के लोगों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय से मंत्रणा करवाई थी। मुख्यमंत्री महोदय ने उनको न केवल आश्वासन दिया बल्कि पुरजोर तरीके से यह बात कही थी कि हम आपके केस की कोर्ट में पूर्ण रूप से पैरवी करेंगे। हम रिव्यू में सरकार की तरफ से प्रयास करेंगे और आपको आरक्षण दिलवाने के लिए अच्छे से अच्छे वकील खड़े करके आपके केस की पैरवी करेंगे। ये लोग जाट समुदाय के लोगों को लेकर केवल मुख्यमंत्री महोदय से ही नहीं मिले बल्कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के पास भी गए। उन्होंने भी उनको इसी प्रकार का भरोसा दिया। उसके बाद ये प्रधानमंत्री महोदय के पास गए और उन्होंने भी यही कहा कि हम आपके केस की पैरवी करेंगे और आपको जो आरक्षण मिला था, हम चाहेंगे कि नए सिरे से आपको वह आरक्षण मिले। इन सब बातों में करीबन एक साल से ज्यादा का समय निकल गया। यह आंदोलन कोई आज नहीं चला बल्कि यह आंदोलन 1990 से चला आ रहा है। वर्ष 1990 में चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री थे और मास्टर हुकम सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय एक आयोग का गठन करवाया गया था जिसका नाम जस्टिस गुरनाम सिंह था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केवल 5 जातियों को नहीं बल्कि 10 जातियों के आरक्षण की सिफारिश की थी। उन 10 जातियों में अहीर, सैनी, गुर्जर, लोडा और मेव जातियां भी शामिल थी। उस आयोग ने सिफारिश की थी कि इन 5 जातियो के लोग भी आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं और आने वाले समय में जिस तरह से आज जमीन की जोत घटती जा रही है उससे ये लोग कहीं न कहीं और कमजोर हो

जाएंगे इसलिए इनको भी आरक्षण की जरूरत है और इनको आरक्षण दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश में आरक्षण को उस वक्त लागू किया गया था और उसके बाद केन्द्र सरकार के पास वह प्रस्ताव भेज दिया गया। हरियाणा प्रदेश में चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और चौधरी भजनलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद करनाल जिले के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार इन दस जातियों को आरक्षण देने के पक्ष में है तो चौधरी भजन लाल ने सरकार की तरफ से ऐफीडेविट दिलवाया जिसमें पांच जातियों के नाम हटा लिये गये और पांच जातियों के नाम डाल दिए गए। 1990 से लेकर अब तक ये लोग आरक्षण के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमें भी आरक्षण मिले लेकिन आरक्षण के दौरान इस तरह से हालात खराब कभी नहीं हुए कि आपसी भाईचारा खराब हुआ हो या खराब करने की कोशिश की गई हो। इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में अपनी बात कहने का और आरक्षण मांगने का हर आदमी का अधिकार है। लगातार ये लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे लेकिन आज से पहले 1990 से लेकर 2016 के बीच में इस आंदोलन के दौरान 3 लोग शहीद हुए थे जो पुलिस की गोली लगने से मारे गये थे। जो ये लोग शहीद हुए इनके परिवार के लोगों को सरकार ने कंपनसेट करते हुए नगद पैसे दिए और उनके परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई लेकिन अबकी बार जो आंदोलन था इस आंदोलन के लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं इसकी जानकारी पूरी तरह से सब लोगों के सामने आए इसके लिए बार-बार हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप किसी हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इन्क्वायरी करवायें ताकि सारी बातें सामने आ जायें। सरकार ने एक आयोग इसकी जांच करने के लिए बनाया है जिसमें एक रिटायर्ड डी.जी.पी. की जिम्मेवारी लगाई है जो पता लगायेगा कि किस वजह से यह आंदोलन खड़ा हुआ और आगजनी के पीछे कौन लोग थे और किसी का क्या-क्या नुक्सान हुआ और कितने लोग मारे गये तथा जो लोग मारे गये वे किस वजह से मारे गये। लेकिन उस आयोग का आज भी हर आदमी विरोध कर रहा है कि हमें इस पर भरोसा न होकर हाई कोर्ट के एक सीटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाये। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हम जब भी आप से या आपके मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य से मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह बात हमने कई दफा कही है और यहां सैशन हुआ उस दौरान भी कहा है कि जो राज कुमार सैनी जी आपके सांसद हैं उनको जिस तरह की छूट दे रखी है यदि समय रहते उन्हें नहीं रोका गया तो उससे हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब होगा। हमने तो यहां तक कहा था कि जिस तरह के उनके भाषण आते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये क्योंकि यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि किसी जाति विशेष को गाली दे तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसा करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ऐसा करने वाला व्यक्ति एक जिम्मेवार व्यक्ति है जो कि मुख्यमंत्री जी आपकी पार्टी से सांसद है। ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति यदि गलत भाषा का प्रयोग करेगा तो प्रदेश में माहौल खराब ही होगा। उसको रोका नहीं गया। कल को जब माहौल खराब हो जाएगा।....(विघ्न)

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि गवर्नर एड्रर्स पर चर्चा न करके माननीय साथी दूसरी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी किस विषय पर प्वायंट ऑफ आर्डर मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप इनको यह तो समझाओ कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य एक दृष्टि से ठीक ही कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने आरक्षण को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है और उस पर 21 तारीख को चर्चा होनी है। उस समय ये इस बात पर चर्चा कर लें।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, कहां प्रस्ताव आया है। अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जिस समय प्रस्ताव आयेगा तभी तो बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदया : 21 तारीख को प्रस्ताव आयेगा।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, 21 तारीख को उस पर चर्चा होगी उस समय का यह विषय है। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष अभिभाषण पर चर्चा करें। रिजर्वेशन के चैप्टर का इस समय उल्लेख नहीं होना चाहिए इसलिए इस समय इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें इस समय यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर ही चर्चा करनी चाहिए। इनकी यह बात बिल्कुल सही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के दो सदस्य जब बोले चाहे उन्होंने किसी भी इशु पर अपने विचार प्रकट किए हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही चर्चा कर रहा हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जो पैरा नम्बर 3 है उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कुछ सप्ताह पूर्व असामाजिक तत्वों ने प्रदेश के आठ जिलों में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा की। मैं एक बार फिर से यह कह देता हूं कि यह बात महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखी हुई है। मैं इसी पर ही चर्चा कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये असामाजिक तत्व कौन थे और ये इस प्रदेश में कैसे पैदा किये गये। किस तरह से उनको छूट दी गई कि तुम अपनी मर्जी की भाषा बोलो ताकि प्रदेश का माहौल खराब हो। मैं यह बात कर रहा था कि किन लोगों के द्वारा इस प्रदेश का माहौल खराब किया गया। श्री राजकुमार सैनी जी जब-जब भी इस प्रकार के ब्यान देते थे हम हाऊस में पर्टीकुलर इस इशु पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते थे कि यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये लेकिन इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उन लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। केवल उनको ही नहीं मैं और भी ऐसे नाम माननीय मुख्यमंत्री जी को दे सकता हूं जिनकी खबरें अखबारों में छपी हैं। श्री राज कुमार सैनी जी तो यहां तक भी बोलते रहे कि जाट समाज के लोग तो सूअर के बच्चों के समान हैं लेकिन इस सबके बावजूद भी सभी जाटों ने एक मर्यादा में रहकर इस बारे में अपना कोई ब्यान जारी नहीं किया। (विघ्न)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक साथी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में यहां पर बात न की जाये।

डॉ. पवन सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य श्री राज कुमार सैनी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने वाले गानों की सीडियां निकाली क्या किसी नेता ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोई मांग कभी की है। अभी भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है। मैं माननीय विपक्ष के नेता को यह कहना चाहता हूं कि उनको अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, हमने कभी भी ऐसे लोगों की पैरवी नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदया: अभय चौटाला जी, 21 तारीख को इस विषय के बारे में पूरी चर्चा होगी इसलिए आप इस बात को उस समय उठा लेना। अभी आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोलें।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी तो मैं सिर्फ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। यह बात अभिभाषण में लिखी गई है। जो बात अभिभाषण में लिखी गई है मैं उसी बात की चर्चा कर रहा हूं मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूं। इस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नम्बर 3 में लिखा गया है। अगर कोई भी पैराग्राफ नम्बर 3 पढ़कर देखे तो उसको पता चल जायेगा कि मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं और कोई भी बात अपनी तरफ से या अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्य अपनी मर्जी से यहां पर बोल कर गये हैं उसके बावजूद भी हमारे किसी भी सदस्य ने उनको यह नहीं कहा कि आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बाहर के विषय पर बोल रहे हैं। न ही किसी ने किसी भी प्रकार की कोई टीका-टिप्पणी की। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि या तो पहले वे ही बोल लें या फिर मुझे बोलने दें और जो बात मैं कह रहा हूं उसको बिना किसी टीका-टिप्पणी के सुनें और जब माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना रिप्लाई दें तो उन सब बातों का जवाब दे दें। अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री अपने जवाब के समय बता दें कि यह बात मैंने गलत कही थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि बीच-बीच में टोकने से हाऊस का समय बिना मतलब के खराब होता है। इसलिए अभी जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। (विघ्न)

डॉ. पवन सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या अब हमें ये सदन की मर्यादा के बारे में बतायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदया : पवन जी, आप कृपया बैठ जायें और अभय जी को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ यह 26.11.2015 के पंजाब केसरी अखबार की खबर है। आप यह नोट कर लें। मैं आपको इन सभी अखबारों की कटिंग दे कर भी जाऊंगा। इसके अलावा एक बयान धनखड़ साहब का आया जिसमें यह कहा गया था कि "प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आरक्षण देने का दिया भरोसा"। श्री ओमप्रकाश धनखड़ का बयान 15.2.2016 को छपा है। इसके बाद आपकी पार्टी के केन्द्रीय मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह का 14.2.2016 को बयान छपा कि जाटों की मांग और तरीका 100 फीसदी सही है। इसी तरह से राजकुमार सैनी का दैनिक ट्रिब्यून में दिनांक 12.3.2016 को बयान छपा कि अगर दम है तो चारों जाट मंत्री इस्तीफा दें और ट्रैक पर बैठें। उसके बाद आपकी पार्टी के ही विधायक श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास का बयान दिनांक 8.3.2016 को पंजाब केसरी में छपा कि जान माल के नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ यह बात आपकी पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक कह रहे हैं कि यह जो सब कुछ हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप उनसे स्पष्टीकरण मांगें कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया है ?

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने यह बयान उस समय दिया था जिस समय पूरा प्रदेश जल रहा था और दिल की गहराई से यह कबूल किया था कि हम कुछ नहीं कर पाए और उसमें मैं खुद भी दोषी हूँ लेकिन उस समय मैंने एक बात और कही थी कि कुछ लोगों ने खाप के लोगों को बुला कर डॉक्यूमैंट साइन किये तथा मुख्यमंत्री महोदय की बात मान ली लेकिन बाहर जा कर मुकर गये और जब उनके हाथ से भी डोर निकल गई तथा उन्होंने एक शरीफ और ईमानदार मुख्यमंत्री जी को बरगलाए रखा।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आपकी पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को आपकी पार्टी के लोगों ने बरगलाया है। अधिकारियों ने बरगलाया है या आपकी पार्टी के लोगों ने बरगलाया है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को धोखे में रखा है। विपक्षी लोगों ने कहा कि उनका इरादा था कि सत्ता को कैसे अस्थिर किया जाये। यह आंदोलन आरक्षण का नहीं था और कहीं पर आरक्षण का आन्दोलन दिखाई नहीं दिया क्योंकि आरक्षण कभी भी गले पर बंदूक रख कर नहीं मांगा जाता। इसलिए हमने कहा कि यह आरक्षण की नहीं सत्ता की लड़ाई है, कब्जा करने की लड़ाई है। इसीलिए रोहतक को फूंका गया और एक-एक को छांट कर जाति पूछ कर उनकी दुकानों में आग लगा दी गई। उपाध्यक्ष महोदया, पूरा हरियाणा जला दिया गया और जो नेता आरक्षण की मांग कर रहे थे वे कहीं पर नजर नहीं आये । उन्होंने लोगों को नहीं समझाया, किसी ने यह नहीं सोचा कि हमें आंदोलनकारियों को समझाना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा 3 की बात कर रहे हैं उसमें आरक्षण और आंदोलन का कहीं पर जिक्र नहीं है लेकिन उसमें कानून-व्यवस्था का जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ सप्ताह पूर्व असामाजिक ताकतों ने प्रदेश के आठ जिलों में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा की। अगर हम कानून-व्यवस्था तक ही सीमित रहेंगे तो इस अभिभाषण पर ठीक से चर्चा हो पायेगी। अगर इस आरक्षण और आंदोलन पर बात करेंगे तो फिर वही बातें होंगी जो हम 21 मार्च को करना चाहते हैं। इसलिए इस विषय को लॉ एण्ड ऑर्डर तक ही सीमित रखा जाये।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, संसदीय सचिव तथा सदस्य का अभिनंदन

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, भूतपूर्व मंत्री व भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अरोड़ा, भूतपूर्व संसदीय सचिव श्री रामपाल माजरा तथा भूतपूर्व विधायक श्री रामफल कुण्डू सदन में उपस्थित हैं। यह सदन उनका हार्दिक स्वागत करता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : डिप्टी स्पीकर महोदया, अभी सदन के नेता ने कहा कि पैरा नम्बर-3 पर ही चर्चा हो जाट आरक्षण के इशु पर चर्चा न हो केवल लॉ एण्ड ऑर्डर पर ही चर्चा हो। मैं लॉ एण्ड ऑर्डर पर ही चर्चा कर रहा हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति किन लोगों ने खराब की और किन-किन लोगों ने इस किस्म के ब्यान दिये जिसकी वजह से हालात बिगड़ते चले गये। इसलिए मैं जरूरी समझता था कि जिन लोगों ने इस किस्म के ब्यान दिये हैं उनकी हाऊस में चर्चा होनी चाहिए ताकि उनका पता लगे कि कौन से लोगों ने किस वक्त में कैसे ब्यान दिये जिसकी वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हुई। मैंने जैसे कापड़ीवास साहब को बताया था तो जो बात कही है उससे लगता है कि सरकार 100 फीसदी फैल्योर की तरफ थी इसलिए उनको मजबूर होकर कहना पड़ा कि जान माल के नुकसान के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। इनका यह ब्यान कहीं सभा में नहीं है बल्कि प्रैस कॉन्फ्रैंस में दिया हुआ है। उसके बाद रामबिलास शर्मा जी का एक ब्यान आया शर्मा जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं अगर वे यहां पर होते तो वह जरूर इस पर अपनी सफाई देते और बताते। आज* * * * * बेचारे स्वर्ग में हैं उन्होंने कहा कि मुझे यह बात * * * * * ने कही थी कि जो मुरथल का मामला था उस संबंध में मेरे पास सबूत हैं और मैं उस पर संज्ञान लूंगा। यह मानकर के चलो कि एक जस्टिस किसी भी मिनिस्टर को यह बात नहीं बताएगा न कहेगा लेकिन यह बात उनको कही गई है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : यह मामला उस लॉ एण्ड ऑर्डर के अन्तर्गत नहीं आता है यह उन घटनाक्रमों के अन्तर्गत आता है। इसलिए यह लॉ ऑर्डर की चर्चा में नहीं आता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : डिप्टी स्पीकर महोदया, दूसरी बात यह है कि लॉ एण्ड ऑर्डर खराब करने के लिए बेदी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनका भी एक ब्यान दिनांक 11.3.2016 के दैनिक ट्रिब्यून अखबार में आया हुआ है, उसमें इन्होंने यह कहा है कि जाटों की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। जाटों ने कहां दादागिरी की है यह तो बता दो। वह अपना आन्दोलन चला रहे थे। वह तो आराम से बैठे हुए थे। आप उनसे बात करते तो कोई न कोई समाधान होता। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जाट आरक्षण पर पूरी चर्चा होनी है। उस दिन यह सारी बातें होंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आरक्षण के लिए नहीं कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : डिप्टी स्पीकर महोदया, ये तो डी.जे. बजा बजाकर मोबाइल से सारी बातें करते रहे।

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

श्री अभय सिंह चौटाला : डिप्टी स्पीकर महोदया, यह जो बात मंत्री जी ने कही है इसके बारे में मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि मैंने यह बात आपको इसलिए पढ़कर बताई है क्योंकि जो एक मिनिस्टर बनता है और जब वह संविधान की शपथ लेता है जब ओथ लेता है तो उस ओथ मे बाकायदा यह लिखा होता है कि मैं एक मंत्री के नाते प्रदेश के किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं प्रदेश के लोगों के हितार्थ अपना दायित्व निभाने का काम करूंगा। आपकी जिम्मेवारी केवल मात्र किसी एक समाज की नहीं है आप इस प्रदेश के मिनिस्टर हैं और आपकी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की है, इसलिए आपको ऐसा गैर जिम्मेवाराना ब्यान नहीं देना चाहिए।

श्री मनीष ग्रोवर : डिप्टी स्पीकर महोदया, अभय जी जाति-पाति पर बात कर रहे हैं जबकि हमारी पार्टी बिल्कुल आरक्षण के पक्ष में थी जिसको हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आरक्षण के पक्ष में है और उसके बावजूद आप मेरे ऊपर हिसार में 36 बिरादरी से स्वागत कराते हैं। जीन्द में आप कहते हैं कि रोहतक में मनीष ग्रोवर ने आग लगवाई है। अगर आपके पास सबूत है तो या तो राजनीति से आप रिजाइन दे देना या फिर मनीष ग्रोवर रिजाईन देगा। आप प्रदेश में हमारे मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं आपने इस दंगे में घी का काम किया है इसमें आपका सबसे बड़ा रोल है। सबसे ज्यादा इनको हमारा सत्ता में होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए श्री अभय सिंह चौटाला एक बहुत जिम्मेवार विपक्ष का नेता होने के नाते पूरे प्रदेश की जनता को एक आरक्षण के नाम पर जाति-पाति के नाम पर गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी अभी जब बोल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ क्रम से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जैसे-जैसे माननीय साथी आगे बढ़ते रहे तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने विवादास्पद बयानों में मेरा भी नाम ले दिया है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मैंने विवाद के रूप में आपका नाम नहीं लिया है। मैंने तो अखबार में आये आपके बयान के बारे में बात की थी। अखबार में आपका बयान आया था कि आप आरक्षण के हक में हैं और "माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण देने का भरोसा दिया है। धनखड़ साहब, आपने तो अपने बयान से लोगों को आरक्षण मिलने भरोसा दिलाया था। मैंने आपका नाम किसी विवाद में नहीं लिया है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, मुझे एक बार ऐसा लगा था जैसे श्री अभय सिंह चौटाला जी ने मेरा नाम किन्हीं विवादास्पद बयानों में ला दिया है। अब जबकि पूरी बात ही क्लीयर हो चुकी है तो मैं समझता हूँ कि बात यहीं पर खत्म हुई।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, आरक्षण के मुद्दे पर अखबारों में अनेक लोगों के बयान आये हैं जिन्हें मैं इस सदन में पढ़कर सुनाता हूँ। श्री रोशन लाल आर्य जी, जो इस महान सदन के सदस्य रह चुके हैं, का दिनांक 7.3.2016 को अखबार में एक बयान आया कि "जाट समाज के लोगों के साथ न रखें कोई संबंध" इस बयान के आने के बाद उनके खिलाफ पर्चा तो दर्ज कर दिया गया है लेकिन यह बात भी देखने वाली है कि उन पर अभी तक कोई कार्यवाही

नहीं हुई है। यह कार्यवाही एक कदम भी आगे नहीं बढ सकी है। उन्हें अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई छापेमारी तक की गई है। आज तक उनकी जानकारी तक नहीं मिल पाई है। इसी तरीके से एक अन्य अखबार में दिनांक 24.11.2016 को चौधरी बीरेन्द्र सिंह का बयान आता है कि "जाति आरक्षित -आरक्षण हो" । उसके बाद फिर धनखड़ जी आप कहोगे कि आपका नाम क्यों आ गया, दिनांक 8.3.2016 के पंजाब केसरी में आपका एक बयान आया कि "दंगों से भरोसा टूटा-विश्वास कम हुआ"। आप इस बयान को पढ़कर देखना कि आपने इसमें और क्या-क्या बातें कही हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब हुई है उसके लिए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस के लोग आज सदन में मौजूद नहीं हैं, यदि मौजूद होते तो मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से यह जरूर पूछता कि हुड्डा साहब आपने किस तरह से अपने एडवाईजर को आरक्षण के आंदोलन में लोगों के बीच अफवा फैलाकर के आग लगाने के लिए कहा। प्रोफेसर वीरेन्द्र सिंह के जो बयान सामने आये है, उन बयानों से लगता है कि वह कहीं न कहीं हरियाणा प्रदेश के हालात खराब करना चाहते थे। अभी मेरे से पहले मनीष ग्रोवर जी खड़े हुए थे। ग्रोवर साहब, मैंने जो बात आपके लिए कही थी वह मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं बनाना चाहता हूँ। मैंने जो बात आपके बारे में कही है, वह उस खबर की है जो आपके बारे में अखबार में छपी थी। यह बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अखबार में यह खबर छपी थी कि ग्रोवर साहब के दो गनमैन हैं। उनमें एक एस.आई. है और दूसरा हवलदार है। आरक्षण आंदोलन खत्म होने के बाद जब पुलिस ने सर्च किया कि लूट का जो सामान है वह किन घरों में गया है तो यह सामान ग्रोवर जी के दोनों गनमैनों के घरों से बरामद हुआ। (विघ्न)

श्री मनीष ग्रोवर: उपाध्यक्ष महोदया, यह बात बिल्कुल झूठ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्य के लिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है बल्कि मैंने तो अखबार में छपी खबर की बात कही थी।

श्री मनीष ग्रोवर: उपाध्यक्ष महोदया, अभय सिंह चौटाला द्वारा रिवाड़ी और जींद जिले में प्रैस कांफ्रेंस की जाती है और प्रैस के माध्यम से मनीष ग्रोवर पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने घर में लोगों को बुलाकर रोहतक शहर की दुकानों में आग लगवाई है। अभय सिंह जी एक तरफ तो हिसार में 36 बिरादरियों से अपना स्वागत करवाते हैं और दूसरी तरफ गलत ढंग से बयानबाजी करते हुए ओछी राजनीति कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, जब लूट का सामान इनके गनमैन के घर से बरामद हो गया है तो इस बात का स्वत: ही पता चल जाता है कि आग किसने लगाई?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवर: उपाध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आरक्षण के लूट के मामले में मेरे पी.एस.ओ. के लड़के का नाम आया। वह लड़का भिवानी में पढ़ता है। जब इस संबंध में जांच कराई गई तो उस लड़के का कहीं पर भी कोई रोल नहीं मिला। अभय सिंह चौटाला जी से मेरा निवेदन है कि वे इस सदन को गुमराह मत करें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं अत: नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाओ न कि सदन में घुमा-फिराकर बात करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने किसी भी स्तर पर सदन को गुमराह नहीं किया है और जहां तक ग्रोवर साहब के पी.एस.ओ. के लड़के की आरक्षण आंदोलन की जांच में कोई संलिप्तता न मिलने का प्रश्न है तो इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्रोवर साहब आपकी सरकार है जो चाहे करो या कहीं जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान) मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ बल्कि सभी बातें तथ्यों के साथ कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैं जो बात कहूँगा वह तथ्यों के आधार पर ही कहूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, कितनी अजीब बात है कि श्री अभय सिंह जी ने इस पूरे प्रकरण के लिए सद्भावना के दो शब्द तक प्रयोग नहीं किए है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, इस आंदोलन को शांत करने में जितने प्रयास हमारी पार्टी की तरफ से किये गये थे उतने प्रयास तो किसी ने नहीं किये थे। (शोर एवं व्यवधान) बेदी जी, आप लोग तो मैदान छोड़कर भाग गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि समाचार पत्र पर आधारित किसी भी जानकारी को विधान सभा की कार्यवाही से एक्सपंज करवाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, जो कविता जी कह रही है वह ठीक बात नहीं है। मैंने सदन में अखबार की खबरों के बारे बताया है, कोई गलत बात नहीं कही है जो उनको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करवा दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) अखबारों की खबरें कोई झूठ तो नहीं होती हैं। प्रैस वाले जाकर खबरें इक्ट्ठा करते हैं, तब उन्हें अखबारों में छापा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: अभय जी, अभी आरक्षण के मुद्दे पर इंक्वॉयरी चल रही है। जब तक सभी तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक किसी पर आरोप-प्रत्यारोप करना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

खनन एवं भूविज्ञान राज्य मंत्री (श्री नायब सिंह सैनी): उपाध्यक्ष महोदया, अखबार की खबरों को तथ्य नहीं माना जा सकता। इस आंदोलन में कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आये हैं। (शोर एवं व्यवधान) अभय जी ने इस संबंध सद्भावना के दो बोल तक नहीं बोले हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, पहले मामले की जांच आवश्यक होती है। उसके बाद जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, उनको असली तथ्य माना जाता है।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि न्यायाधीश श्री नरेश सांघी के बारे में जो कहा गया है उसे रिकॉर्ड ना किया जाये क्योंकि आज वे दुनिया में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया: न्यायाधीश सांघी के बारे में जो कुछ कहा गया है उसे रिकॉर्ड ना किया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कानून व्यवस्था के साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से उस समय यह बयान आया कि जाट आंदोलन के दौरान * * * हजार करोड़ रूपये की संपत्ति जल कर नष्ट हो गई है। * * * हजार करोड़ रूपये की संपत्ति नष्ट हुई और प्रदेश सरकार चार दिन तक मूकदर्शक बनी रही। सरकार देखती रही कि किस तरह से लोगों के घरों का सामान लूटा जा रहा था और दुकानें जलाई जा रही थी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, यह जो * * * हजार करोड़ रूपये की बात कही जा रही है, यह किसी समाचार पत्र ने किसी संस्था के नाम से ऐसे ही छाप दिया गया है जिसका कोई आधार नहीं है और ना ही किसी जांच के आधार पर यह सरकारी आंकड़ा है। उपाध्यक्ष महोदया, यह केवल एक समाचार पत्र ने किसी संकल्प के नाम से छापा गया है, जो सरासर गलत एवं अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदया: यह जो फिगर की बात बताई जा रही है। उसे रिकॉर्ड ना किया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, यदि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक होती तो 30 लोगों की जानें नहीं जाती। जब सरकार माननीय वित्त मंत्री जी के मकान को जलाने से नहीं बचा सकी तो यह मानकर चलो कि यह सरकार सौ फीसदी फेल है। सरकार सौ फीसदी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। अपनी कमी को छिपाने के लिए सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि वह मजबूती के साथ इस मामले को निपटाने में लगी हुई है। यदि सरकार मजबूती के साथ मामले को निपटाने में लगी हुई होती तो असामाजिक तत्व इस प्रकार की लूटपाट की घटना नहीं करते। इस तरह से हरियाणा प्रदेश को पूरे देश में बदनाम नहीं होना पड़ता। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाट आंदोलन भड़काने में शामिल है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम किसी को यह नहीं कहते कि आप हरियाणा प्रदेश को आग के हवाले कर दो या भाईचारे के माहौल को खराब कर दो। यह बात इसलिए नहीं कहते क्योंकि इस प्रदेश को बनाने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। (इस समय विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।) उपाध्यक्ष महोदया, कई माननीय सदस्यों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा प्रदेश को अलग बनाने की डिमाण्ड कर रहे थे, उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदया, वे नहीं चाहते थे कि हरियाणा अलग प्रदेश बने। लेकिन स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने गांव-गांव जाकर पंचायतों और म्यूनिसिपल कमेटिज़ से रैजोल्यूशन बनवाने का काम किया था। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के साथ चौधरी सुल्तान जी के अलावा दो-तीन सदस्य और उनके साथ थे जिन्हें अलग-अलग हिस्से दिए गए थे कि आप गांव-गांव जाकर के रैजोल्यूशन बनवा करके केन्द्र सरकार को भेजो ताकि हमारा हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा अलग प्रदेश बने। हिन्दी भाषी क्षेत्र का जो हिस्सा मारा जा रहा है, वह हिस्सा कल हमें मिले। जो यह नहीं चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने उन लोगों की तरफ से अखबारों में ऐसे ब्यान दिए गए थे कि चौधरी देवी लाल इसलिए अलग राज्य की डिमाण्ड कर रहे हैं ताकि वह स्वयं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सके। उन्होंने उसी वक्त अखबार और भरी सभा में बयान

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया दिया गया।**

दिया और यह बात कही कि मैं हरियाणा विधान सभा का पहला चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं केवल और केवल हिंदी भाषी क्षेत्र को जिसका हिस्सा मारा जा रहा है उसको अलग प्रदेश बनाने के लिए और हरियाणा के लागों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। यह रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने पहला चुनाव नहीं लड़ा। मैं आपके माध्यम से शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि यह बात इन्हें तो पता होगी लेकिन कई सदस्यों को पता नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य इस तरह के मामले में इनवॉल्व हो तो सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के नाम उजागर हो चुके हैं, जिन लोगों का पता लग चुका है उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कदम उठाकर हरियाणा प्रदेश के लोगों में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कहीं-न-कहीं निभा रही है। आज भी प्रदेश में इस किस्म के बयान दिये जा रहे हैं जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। इस दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए अगर मैं आपकी पार्टी के सांसद श्री राजकुमार सैनी का नाम लूंगा तो फिर कोई-न-कोई सदस्य खड़ा हो जाएगा। भाजपा के सांसद का फिर बयान आया है कि सरकार को एक श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए। श्वेत-पत्र में उनकी मांग है कि इस प्रदेश में जाट समुदाय से जुड़े हुए कितने लोग फौज में हैं। अगर कोई उनसे पूछने वाला हो कि जब जाट फौज में भर्ती होते है, इस देश के बोर्डर की रक्षा करने का काम करते हैं और जब इस जाति के व्यक्ति अपनी जान न्यौछावर करके शहीद होते हैं और जब उनकी बोडी उनके घर में आती है तब तो कोई यह नहीं कहता कि इस पर श्वेत-पत्र जारी किया जाना चाहिए या इनकी यह मदद होनी चाहिए। वे सांसद इन शहीदों पर नाज करने के बजाय इस किस्म की घटिया बयानबाजी करके इस प्रदेश को आग के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि पूरे हाउस को ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेने की बजाय सामूहिक रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर प्रदेश में कहीं-न-कहीं आग लगेगी और प्रदेश के हालात खराब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर जब अपना जवाब देंगे तो हाउस को सौ फीसदी आश्वस्त करेंगे कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। (विघ्न) ऐसे हालात फिर हो सकते हैं। (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य सदन में अपनी बातों से धौंस दिखा रहे हैं। इनके जैसे वरिष्ठ सदस्य को शांति बनाए रखनी चाहिए, बजाय इसके ऐसी बात कहना कि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे हालात फिर पैदा हो जाएंगे यह गलत है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन में कोई धौंस नहीं दिखा रहा हूं बल्कि ऐसे गम्भीर हालात तो माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जैसे सदस्य पैदा कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके बयान पढ़े तो क्या सोचेगा। जो आपका ब्यान आया . . . (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्षा महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि मैंने कहा है कि हमारी सरकार हालात को समझने में फेल रही लेकिन मैंने सच को स्वीकार किया है और विपक्ष के साथी सच को स्वीकार नहीं करते। हममें इतना ही अंतर है। (विघ्न)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार में कमजोरी है और माननीय मुख्य मंत्री जी एक बहुत ही नम्र स्वभाव के आदमी है जिन्होंने ऐसे बयान देने वाले सदस्यों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की है। अगर हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस किस्म का बयान दे दे तो हम शाम तक अपनी पार्टी से बर्खास्त कर देंगे। (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा-

'केवल राजनीतिक जोड़-तोड़, शब्दों का बाण,
अपनी बात को पक्का, चौधरी देवीलाल का सहारा
और फिर जनता को बना दे चारा '। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें सिर्फ इस तरह की बातों के अलावा कुछ और भी आता है। उपाध्यक्ष महोदया, अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि बाकी जो हमारी सिविल सर्विस हैं उनका श्वेत-पत्र आ जाता है। शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जब कभी भी कोई फार्म भरा जाता है तो उसमें पात्र की जाति नहीं पूछी जाती है उसमें या तो जनरल लिखा जाता है या बैकवर्ड क्लास लिखा जाता है या शिडयूल्ड कास्ट लिखा जाता है। (शोर एवं व्यवधान) आप श्वेत-पत्र लाइये। (विघ्न)

श्री अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूंगा कैटेगरी मैनशन करने से व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। किसी भी फार्म में जाति मैंशन नहीं होती है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यधा महोदया, हम सरकार को श्वेत-पत्र लाने से कहाँ रोक रहे हैं। सरकार एक बार अपना यह भ्रम भी निकाल ले। (विघ्न) क्यों बिना मतलब का वहम बना रखा है ? ये लोग सिर्फ एक जाति विशेष का जिक्र कर रहे हैं। इन्हें सभी जातियों का जिक्र करना चाहिए। आज के अखबार में आपकी पार्टी के सांसद श्री राजकुमार सैनी का बयान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर कापड़ीवास: उपाध्यक्ष महोदया, 36 बिरादरियों का यहां श्वेत पत्र आ जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर कल विधानसभा में चर्चा हुई। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान एस.वाई.एल. नहर के लिए पंजाब की तरफ से कैबिनेट में एक बिल लाने की बात की गई है। पंजाब की पूरी कैबिनेट ने उस बिल को मंजूर करने का काम किया था। कल वे इस बिल को लेकर आए और उस बिल को पंजाब विधान सभा ने सर्वसम्मति से पास करने का काम किया गया था। कांग्रेस के साथी आज हाउस में नहीं हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी यहां बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, केन्द्र में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आप सहयोगी हैं और प्रदेश में भी आपकी सरकार है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से यह कहना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है अगर उसमें से हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलता तो चाहे कितनी भी नई नहरें बना लो, कितने भी रजबाहे निकाल दो और कितने भी खाले पक्के कर लो, किसान के खेत तक पानी नहीं जा सकेगा।

डा. अभय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदया, मैं अभय सिंह चौटाला जी की बात का समर्थन करते हुए एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं इनकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि एस.वाई.एल. नहर जीवन रेखा है और यह बात ठीक है। इसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा इसलिए मेरा सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध है कि ईमानदारी से अपने प्रभु को साक्षी रखकर इसके लिए प्रयास करें तो दुनिया में कोई ताकत एस.वाई.एल. नहर के पानी को नहीं रोक सकती।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं अभय सिंह यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सरकार से केवल यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है और पंजाब में आप सहयोगी है इसलिए आप स्पष्ट करें कि यदि पंजाब में ऐसा बिल आता है तो आपकी पार्टी के जो लोग उनकी सरकार में शामिल हैं, आपको उनको इसके लिए रोकना चाहिए या नहीं ? (विघ्न)

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की है इसलिए मैं इनको कहना चाहता हूं कि इतिहास इस बात के लिए साक्षी है और वर्तमान में भी साबित हो रहा है कि इंडियन नैशनल लोकदल का हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन रहा है और आज भी है। शिरोमणि अकाली दल के विधायक इनके गठबंधन के साथी हैं और पंजाब में हम सहयोगी हैं। हमारी पार्टी के साथी पंजाब की विधानसभा के सदस्य होने के नाते और सरकार के सहयोगी होने के नाते क्या कर रहे हैं यह अलग विषय है । चौटाला जी, आपकी पार्टी का गठबंधन होते हुए क्या आपने चैक करने की कोशिश की है कि कल जब इतना महत्वपूर्ण रैजोल्यूशन एस.वाई.एल. के मुद्दे पर आ रहा था तो आपकी पार्टी का शिरोमणि अकाली दल का विधायक सदन में समर्थन के लिए था या नहीं ? वे तो दो-चार मिनट पहले पता नहीं किन परिस्थितियों में हाउस से चले गए। क्या यह चैक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: वित्त मंत्री जी, इस बात का जिक्र न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, शिरोमणि अकाली दल के इनके सदस्य से अभी पूछ लिया जाए कि इनका पंजाब के बिल में समर्थन है या नहीं। उनको बोलने दिया जाए और यह बात रिकार्ड में आ जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अध्यक्ष आसीन हुए ।)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा के हित के लिए मरने वाला सदस्य है। केवल इस बात पर हम पंजाब के विषय पर बात न करें। राम बिलास शर्मा जी बैठे हैं जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और गवर्नर महोदय के नाम पर हम ज्ञापन देकर आये थे उसके अंदर इनके दस्तखत हैं। इनके दस्तखत के अलावा हरियाणा के जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके दस्तखत भी उस ज्ञापन पर हैं। ये केवल हरियाणा के हित की बात करते हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हम इन्हीं से रिक्वैस्ट कर लेते हैं कि ये अपनी पार्टी को कहकर एस.वाई.एल. नहर का पानी दिलवा दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम ईशू है और अगर इस ईशू को मजाक में लिया जायेगा तो सदन की गैलरीज में बैठे हुए लोग हैं वे इस बात पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के सदस्य इस तरह के मुद्दे पर कहीं न कहीं सीरियस नहीं हैं। कैप्टन साहब, आप अकाली दल के सदस्य की तरफ अंगुली करके बात न करें तो अच्छा है। यह वह व्यक्ति है जिसने सबसे पहले ज्ञापन पर दस्तखत किए थे। जब हमें जानकारी मिली कि महामहिम के पास जाना है यह चण्डीगढ़ से आधे रास्ते चला गया था पता चलने पर वहां से वापस आया था और अकाली दल का विधायक होते हुए भी इन्होंने अपने प्रदेश के लोगों के हित का ख्याल रखा है। इसके लिए आपको इनको बधाई देनी चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हम सबका सहयोग मांग रहे हैं। हम सब मिलकर चलें और मिलकर इस कार्य को पूरा करवायें। इनेलो पार्टी के साथी भी सहयोग करें और अकाली दल के सदस्य भी सहयोग करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. का मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है। यह बहुत बड़ा इशु है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य जिस ईशू पर अभिभाषण की प्रतियां फाड़ गये यदि वे आज सदन में होते तो मैं उनसे 100 फीसदी पूछता कि दस वर्षों तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में उस समय कैप्टन अमरेन्दर की सरकार थी और हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। उस समय कैप्टन अमरेन्दर की सरकार हमारे नदी जल समझौते को रद कर रही थी तब कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध करना चाहिए था लेकिन वे चुप्पी केवल इसलिए साधे रहे क्योंकि पंजाब में चुनाव सिर पर थे। आज यही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। आप लोगों को केन्द्र में जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए था।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि केन्द्र में हमने अपना पक्ष रखा है और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी इस विषय को लेकर मीटिंग हुई है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, यदि इस विषय पर इस तरह बहस करते रहेंगे और एक दूसरे की कमियां निकालते रहे तो एकमत नहीं बनेगा। आप सरकार को सुझाव दें कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री सुभाष बराला : स्पीकर सर, श्री अभय चौटाला जी द्वारा मेरा जिक्र किया गया है इसलिए हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। अभय चौटाला जी ने यह कहा कि यहां पर मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और अध्यक्ष भी बैठे हैं। वे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि सर्वदलीय बैठक में वे भी हमारे साथ थे उस समय भी हमने इस बारे में बात की थी और उससे पहले भी जब पंजाब के मंत्रिमण्डल ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया उस

[श्री सुभाष बराला]
समय माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद या मंत्री वहां पर उपस्थित थे उन सबको तुरन्त बुलाकर केन्द्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिल करके इस बात का ऐतराज़ जताया और तुरन्त उनसे कहा कि उन्हें इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के हित एस.वाई.एल. से गहराई से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की वर्तमान सरकार एस.वाई.एल. के मामले में किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं कर सकती और किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरत सकती। जिस दिन इस आशय का प्रस्ताव पंजाब के मंत्रिमण्डल द्वारा पास किया गया उसी दिन से लेकर चाहे दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिलने की बात हो या फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हो या फिर कल हरियाणा की इस महान विधान सभा में माननीय सिंचाई मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा एक संकल्प पत्र प्रस्तुत करके यह स्पष्ट किया गया कि एस.वाई.एल. का पानी हरियाणा के लिए अति आवश्यक है और इसके लिए चाहे जो भी लड़ाई लड़नी हो उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष जी, मैं इस मामले में केवल दो बातें ही कहना चाहता हूं। जैसा कि हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी ने जो विषय रखा और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी जो अपेक्षा सरकार से रखी है। इसके बारे में उन्होंने यह बताया कि सरकार किस प्रकार से इसके लिए प्रयास कर रही है। मैं इसी सम्बंध में अपनी बात जोड़ता हूं कि सौभाग्य से इन दिनों जो आर्टिकल 143 का जो रैफरैंस अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब सब-जुडिस है हम यहां पर उसका डिटेल में वर्णन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार का पक्ष वहां पर रखा गया है और जिसके कारण इस मामले में सारी दिशा ने एक सकारात्मक मोड़ लिया है और इसी के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि पंजाब सरकार ने अपनी विधान सभा में इस बारे में एक कानून पास करवाने की ज़रूरत समझी। मैं फिर से यह बात क्लीयर कर देना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भारत सरकार का पक्ष रखने वाले अधिकारी है उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो पंजाब का कानून था जिसके तहत अंतर्राज्यीय जल समझौते को रद्द किया गया था वह असंवैधानिक है। इसके कारण ही इस मामले में सारी की सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो विषय रखा था उसमें मैं अपनी एक बात और जोड़ता हूं कि कांग्रेस के मित्रों की इस सम्बन्ध में जो भूमिका रही है उसका सदन को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए और हरियाणा की जनता के ध्यान में यह बात लाई जानी चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी उन्होंने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई। ये दो मुद्दे थे एक तो हरियाणा जल रहा था और दूसरा ये एस.वाई.एल. का मुद्दा था जो कि हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है इस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने आने से मना किया। इस बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और जब महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिलने के लिए गये तो उस समय भी उनके ज्ञापन में कोई एस.वाई.एल. की मांग करने के लिए कोई बात नहीं थी अपितु उन्होंने उसके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष एक विचित्र स्थिति पैदा करने की कोशिश की और यह कहा कि आप हरियाणा विधान सभा में अपना अभिभाषण नहीं पढ़ें। यह सारे का सारा घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के माननीय मित्रों की सोच को दर्शाता है। एस.वाई.एल. कैनाल के माध्यम से हरियाणा में पानी आये और वह हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा का काम करे इस बात की उनको

कोई चिंता नहीं है और न ही उनकी ऐसी कोई सोच है। इसके विपरीत वे एक संवैधानिक संस्था को एक व्यक्ति विशेष में संकुचित करने की सोच का परिचय देते हैं। अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात के साथ जोड़ते हुए मैंने अपनी यह बात रखनी चाही है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, माननीय मंत्री द्वारा यह सभी कुछ आपकी ही स्पोर्ट में कहा गया है क्योंकि आप भी हरियाणा में एस.वाई.एल. कैनाल का पानी चाहते हैं और ये भी हरियाणा में एस.वाई.एल. का पानी चाहते हैं।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष जी, कल शाम को भी मैंने यह बात कही थी कि किसी को भी पोलिटिकल माइलेज़ के चक्कर में एस.वाई.एल. कैनाल के विषय की प्रतिबद्धता को कम नहीं करना चाहिए। मेरे पाले में बॉल, उसके पाले में बॉल हम सभी को ऐसी मानसिकता को त्याग देना चाहिए। मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि ऐसा करके आप इस विषय को कमज़ोर मत कीजिए। कल भी मैंने यह निवेदन किया था जब-जब हमने हाऊस में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था उसी प्रकार से सारी पार्टियां और सभी दल इस विषय पर पूरी तरह से कटिबद्ध दिखाई देने चाहिएं। मैं यह बात हाऊस में विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस बारे में 11 मार्च को माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी से भी मुलाकात की है। ऐसे ही हम श्री राज नाथ जी से भी पूरे डेलीगेशन के साथ मिले हैं। महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले हैं और यहां पर संकल्प भी पारित किया है। इस प्रकार से हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस विषय को पूरी गम्भीरता से ले रही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना जवाब दें तो वे इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को फिर से यह बात कहना चाहता हूं कि वे पॉलिटिकल माईलेज़ के चक्कर में इस मामले को कमज़ोर न करें। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि इस मामले में पॉलिटिकल माईलेज़ कौन लेना चाहता है और इस पर किसने एक्चुअल में काम किया वह भी मैं इनको बता दूंगा। आप इनको बैठकर मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए कहें। अध्यक्ष जी, इस अकेले इशु पर सरकार के पांच मंत्री खड़े हो गये।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मेरा भी प्वॉयंट ऑफ आर्डर है।

श्री अभय सिंह चौटाला : ठीक है अध्यक्ष महोदय जी, इस बारे में बहन कविता जी को भी बोल लेने दें उसके बाद ही मैं अपनी बात शुरू करूंगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, हमने तो यही परम्परा देखी है कि जब मंत्री किसी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए खड़ा होता है तो जो वक्ता उस समय बोल रहा होता है वह बैठ जाता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किस तरह से सरकार की तरफ से कमजोर पक्ष रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठे थे और एस.वाई.एल. नहर पर चर्चा हो रही थी तब हमने यह कहा था कि कल लोकसभा में आपके 7 सांसद और हमारे दोनों सांसद सदन की वैल में जाएं और जा कर कहें कि पहले इस विषय पर चर्चा करवाई जाये। उस समय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि 100 फीसदी हमारे सारे सांसद * * * में जायेंगे लेकिन हैरानी की बात है कि आपकी पार्टी का एक भी सांसद अब तक एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर खड़ा नहीं हुआ। केवल और केवल दुष्यंत चौटाला ने इस इशू को लोकसभा में उठाया है। उन्होंने मांग भी की कि भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। पंजाब में आज जिस तरह का फैसला लिया गया है उस फैसले के ऊपर केन्द्र सरकार अगर रोक लगाना चाहे तो रोक लगा सकती है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी इस केस को कमजोर करती रही और वही काम आपकी पार्टी कर रही है और लोकसभा में इस मामले में अपनी सही जिम्मेदारी नहीं निभाई। सारे सांसद इकट्ठे हो कर दबाव डालते तो कुछ हो सकता था। मैंने 4-5 सांसदों को भी लोकसभा में इस तरह से अपने प्रदेश के पक्ष में लड़ते हुये देखा है कि वे लोकसभा को शांत करवा देते हैं लेकिन अपने पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिन्ता वाजिब है और उनकी चिन्ता को आज सदन स्वीकार भी करता है लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस तरह का बिल कानून की स्कल नहीं ले लेता तब तक न ही तो उसको कोर्ट में कंटैस्ट कर सकते हैं और न ही उस को सदन में उठाया जा सकता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, उसको कंडम तो किया जा सकता है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कंडैम करने की बात है तो सदन ने भी उसको कंडम किया है और सदन के बाहर भी सभी ने अपने-अपने तरीके से उसको अभिव्यक्त किया है। जहाँ तक हाउस में और कोर्ट में उठाने की बात है तो जब तक यह कानून नहीं बन जाता तब तक उसको उठाया नहीं जा सकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय मीटिंग में हम सभी लोग बैठे हुये थे और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि 100 फीसदी हमारे सांसद संसद में जा कर पहले अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होंगे और अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो हमने उनको यहाँ तक भी हिदायत दी है कि तुम * * * * जा कर अपनी लड़ाई लड़ना लेकिन 2 दिन निकल गये अभी तक आपकी पार्टी के एक भी सांसद ने खड़े हो कर इसका विरोध भी नहीं किया है। जहाँ तक अभी धनखड़ साहब कह रहे थे कि आपको इस बात का राजनीतिक माईलेज नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं कोई राजनीतिक माईलेज की बात नहीं कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं धनखड़ साहब की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एस.वाई.एल. नहर बनवाने में और इस पानी की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो वह इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी ने किया है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 मंगल सैन जी एस.वाई.एल. नहर के लिए जो संघर्ष समिति थी उसके अध्यक्ष थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 मंगल सैन जी इस संघर्ष में हमारे साथ थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपको इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए संसद में चुप नहीं बैठना चाहिए और अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री अभय सिंह चौटाला इस सदन के माननीय विपक्ष के नेता हैं। आपने कहा कि कल हमारे अम्बाला के सांसद श्री रत्नलाल कटारिया, सोनीपत के भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री रमेश कौशिक उनका बाकायदा इस मामले में ब्यान है और अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि हमारे सांसद वैल में जाएं। हमारी पार्टी की गम्भीरता देखिए यह सही है कि अभय सिंह चौटाला जी की चिन्ता उतनी है जितनी हमारी है। चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 1986 में विधान सभा से डॉक्टर मंगल सैन जी ने त्यागपत्र दिया और चौधरी देवी लाल जी ने त्यागपत्र दिया और उस समय का वर्ष 1986 का जो आन्दोलन था राजीव लोंगोवाल समझौते की धारा 7 और 9 के खिलाफ That was a historical moment इसी तरह से नहीं था वह एक मुद्दे को लेकर था। स्पीकर सर, एक तरफ यह भारतीय जनता पार्टी और उधर ये असंवैधानिक कार्यवाही होती है उस समय चौधरी देवी लाल जी भारत सरकार के गृह मंत्री थे अभय सिंह चौटाला को लेकर के और राज भवन में महामहिम राज्यपाल महोदय थे तो ये इनकी चिन्ता के साथ-साथ हमारी कोशिशों में और किसी तरह की कमी नहीं है।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, जो अभय सिंह जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे सांसद * * में जाएंगे। हाथ उठाने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे सांसद कहेंगे। इसलिए यह गलत बात अभय सिंह जी ने कही है तो इसको कार्रवाई के रिकॉर्ड से निकाला जाए क्योंकि वैल में जाने की बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही थी। अभय सिंह जी यह बात आपने कही है मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही। (विघ्न)

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, वैल में जाना कोई योजना से नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : लोकसभा में हुई वैल वाली बात को रिकॉर्ड न किया जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, वैल में जाना कोई योजना से नहीं हो सकता यह तो अगर कोई बातों को न सुने मजबूरी में कोई इस प्रकार का आचरण किया जाए वह एक अलग बात हो सकती है। लेकिन योजना से वैल में जाना ये कौन सी संसदीय मर्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और आपकी पार्टी ने इसमें सबसे ज्यादा काम किया है। मैं उसी संबंध में सिर्फ एक वाक्य आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में जब पंजाब विधान सभा ने निरस्तीकरण का विधेयक एक कानून के तौर पर पास किया उस वक्त हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक थे और जिसमें से आप स्वयं माननीय विधायक थे और उस वक्त जहां तक मुझे याद है कि सरकार का 9 महीने का समय बचा हुआ था और उस समय कानून भी यह था कि अगर टर्म (कार्यकाल) पूरा नहीं करोगे तो शायद पैंशन भी नहीं मिलेगी। ऐसे समय में आपने किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए बलिदान दे कर के 6 के 6 विधायकों ने विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था लेकिन उस वक्त आपकी पार्टी सरकार में थी तो ये हमारा साथ उस वक्त देते तो यह लड़ाई जो हम आज सामूहिक होकर लड़ रहे हैं उसे 10-12 साल पहले यह लड़ाई हम और मजबूती से लड़ सकते थे। अध्यक्ष जी, मुझे पूरी तरह से याद है कि उस वक्त आपके नेतृत्व में पूरे हरियाणा की यात्रा करते हुए जब हम चण्डीगढ़ आए थे तब इनकी सरकार के कार्यकाल में हमारे ऊपर लाठियां और आँसू गैस भी चली थी और हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस सर्वदलीय बैठक में मैं भी था कहीं भी मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके का ब्यान नहीं दिया था कि हम वैल में जायेंगे हां, ये जरूर कहा था कि हम हाई कमान से आज भी बात करके आए हैं और आगे भी करेंगे। इस चीज को हम पूर्ण रूप से खंडित करते हैं जो इन्होंने किया है बाकी वैल में जाने की कहीं कोई बात नहीं आई थी। मेरे ख्याल में यहां अकाली दल से श्री बलकौर सिंह जी यहां बैठे हुए हैं वह भी इस सच्चाई को बता देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है जैसा कि धनखड़ साहब ने कहा था कि हमने इस इशु पर राजनैतिक लाभ लेने की बजाए किसने क्या किया यह चर्चा करनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 8 अप्रैल1982, को श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उसने इस नहर के निर्माण का शिलान्यास किया था और उसके बाद इस नहर पर कोई काम नहीं चला। वर्ष 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने वर्ष 1987 से लेकर के वर्ष 1990 तक के तीन साल के कार्यकाल में एस.वाई.एल. नहर का 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा करवाया था। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वह सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ सांझी सरकार थी।

श्री अभय सिंह चौटाला: कैप्टन साहब, हां सांझी सरकार थी, आप एक बार सुन तो लो। इस दौरान 62 पुलों का निर्माण कार्य करवाया गया था। इसके साथ ही जब स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी वर्ष 1990 में देश के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त पंजाब में आतंकवाद की वजह से उस नहर का कार्य रुक गया था क्योंकि जो इस कार्य से जुड़े चीफ इंजीनियर व अन्य दूसरे कार्य करने वाले लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल ने उपप्रधानमंत्री बनने के बाद 20 फरवरी, 1991 को उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री चन्द्र शेखर से बार्डर रोड़ आर्गेनाईजेशन के द्वारा इस नहर के निर्माण के लिए आदेश करवा दिये थे। (इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपाई गई) परन्तु यह हमारे प्रदेश के लोगों की बदकिस्मती ही थी कि केन्द्र में श्री चन्द्र शेखर की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हो गई और दोबारा से इस नहर का निर्माण कार्य रुक गया। इस बात पर इसी सदन में चर्चा भी हुई थी। उस वक्त रामबिलास शर्मा जी इस महान सदन के सदस्य हुआ करते थे। इसी सदन में अलग-अलग लोगों द्वारा खड़े होकर इस बात का श्रेय लेने का प्रयास किया जाने लगा कि मैंने इस नहर का निर्माण कार्य ज्यादा करवाया था। जब चौधरी बंसी लाल मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने यह बात कही थी कि चौधरी देवी लाल जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश की एस.वाई.एल. नहर निर्माण पर सबसे ज्यादा कार्य हुआ है। यह बात चौधरी बंसी लाल ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कही थी। यह अलग बात है कि पहले पहल तो वह स्वयं भी एस.वाई.एल. नहर निर्माण के मुद्दे पर श्रेय लेने का प्रयास करते रहते थे। वह अब इस संसार में नहीं है इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए लेकिन एस.वाई.एल. मुद्दा इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इस पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। किसी भी नहर या खाल का निर्माण कार्य हमेशा हैड से शुरू होता है। टेल से कभी कोई काम शुरू नहीं होता है। नहर या खाल का निर्माण टेल से इसलिए शुरू नहीं होता क्योंकि मेन मकसद पानी को आखिरी छोर तक पहुंचाना होता है। आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक है नहर या खाल का निर्माण हैड से शुरू हो। परन्तु एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य टेल से शुरु

किया गया। अगर एस.वाई.एल. का निर्माण कार्य हैड से शुरू हो जाता अर्थात पंजाब से शुरू कर देते तो मैं समझता हूँ कि इस नहर के निर्माण में कोई समस्या या विवाद उत्पन्न ही नहीं होता और यह नहर बन जाती। अत: एस.वाई.एल. नहर निर्माण कार्य न हो पाने के लिए जो सबसे ज्यादा दोषी थे तो वह उस वक्त की कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, वह सबसे ज्यादा दोषी थे। उन्हीं की वजह से आज यह सारी दिक्ततें आई हैं। आज हरियाणा प्रदेश के सामने केवल एस.वाई.एल. ही समस्या नहीं है। यह जो हांसी-बुटाना नहर है, इस नहर पर कांग्रेस सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती थी। इस कांग्रेस सरकार ने भी इस हांसी-बुटाना नहर का निर्माण कार्य टेल से शुरू किया था। विडम्बना यह है कि आज कई जगह पर जमीन से भी नीचे का लेवल इस हांसी-बुटाना नहर के पानी का है। जहां जमीन से भी नीचे का पानी का लैवल हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस प्रकार के लेवल से किसी के खेत को कैसे पानी लगाया जा सकता है? इस तरह का लेवल अगर पानी का है तो साफ है कि मोटरें लगाकर पानी को उठाना पड़ेगा। वास्तव में यह काम केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, राजनीति तौर पर लोगों को गुमराह करने के लिए और कमीशन खाने के मकसद के लिए किए गए थे। आज कांग्रेस के लोग यहां सदन में मौजूद नहीं है, यदि वे सदन में मौजूद होते तो हम उनसे पूछते कि आपने इस तरह के काम क्यों किए जिनकी वजह से आज पूरा हरियाणा प्रदेश त्रस्त है। धनखड़ साहब, इसके साथ-साथ मैं अपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस नहर के लिए किस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2004 तक जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त बकायदा तौर पर उन्होंने नहर की पैरवी के लिए जब कभी भी कोई कोर्ट की तारीख होती थी, तो हम सभी दिल्ली जाकर बैठ जाते थे और खुद बैठकर वकीलों को तैयारियां करवाते थे कि यह मसला हमारे लिए बहुत अहम है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आ गया था कि इस नहर का निर्माण करवाया जाये। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आप एक साल के भीतर इस नहर का निर्माण कार्य पूरा करें और अगर आप नहीं करते . . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपने अपनी बात रखने के लिए काफी समय ले लिया है। सदन का समय भी पूरा होने वाला है या तो आप अपनी बात समाप्त करें नहीं तो मुझे सदन का समय बढ़ाने के लिए सदन की सहमति लेनी पड़ेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दों पर चर्चा की है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, अब अगर आप एक-एक मुद्दे पर इतने विस्तार से बात करोगे तो स्वाभाविक है सदन का समय कम पड़ जायेगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर इस सदन में चर्चा होनी जरूरी है। अत: आपको सदन का समय बढ़ाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप इतने सुलझे हुए नेता हैं आपको कम समय में ज्यादा बात करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं जिस समय बोलता हूँ, उस समय में कभी शर्मा जी उठकर बोलने लग जाते हैं, कभी कैप्टन अभिमन्यु जी उठकर बोलने लग जाते हैं, कभी बराला जी उठकर बोलने लग जाते है और कभी तो कविता जी खड़ी हो जाती हैं। मेरा सारा समय तो ये लोग ही ले लेते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, यदि आपको अपनी बात रखनी है तो मैं सदन का समय बढ़ाने के लिए हाउस की सहमति ले लेता हूँ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, यदि आप सदन का समय बढ़ाते हैं तो मुझे अपनी पूरी बात रखने का भी मौका मिल जायेगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपने अपनी स्पीच 12 बजकर 47 मिनट पर शुरू की थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हाउस का समय10 मिनट की बजाय 30 मिनट बढ़ाया जाये ।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं सदन का पहले भी सदस्य रह चुका हूँ। एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर इसी प्रकार की बहस चलती आ रही है कि इस पार्टी ने गलती की उस पार्टी ने गलती की। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि उस समय जो भी मुख्यमंत्री रहा उसने अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार पानी लाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया है। इसमें चौधरी देवी लाल जी, चौधरी बंसी लाल जी, चौधरी भजन लाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिसने एस.वाई.एल. नहर के पानी को लाने का पूरा प्रयास नहीं किया हो।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल ने एस.वाई.एल. नहर का पानी लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अभय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी पार्टी ने एस.वाई.एल. नहर का पानी लाने के लिए पूरा सहयोग और आश्वासन दिया था। जब आप सत्ता पक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ दिया था। मेरा सुझाव यह है कि यदि हम सब मिल करके आगे के लिए कोई कदम उठायेंगे तो हमारी ये एस.वाई.एल. नहर की लड़ाई ज्यादा कारगर सिद्ध होगी और हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया है कि प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने एस.वाई.एल. नहर का पानी लाने का प्रयास किया है। चौधरी भजन लाल के समय वर्ष 1985 के दौरान राजीव-लौगोवाल समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार हरियाणा प्रदेश के हिस्से का यमुना नदी का जो पानी था, उसे कम किया गया था। हर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के हित के लिए केन्द्र की सरकार से लड़ने का काम करता है। न कि अपना हक किसी और को देने के लिए समझौते पर दस्तख्त करता है। चौधरी भजन लाल ने यमुना नदी के अलावा चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाये इस समझौते पर भी दस्तख्त किये थे। राजीव-लोंगोवाल समझौता श्री राजीव गांधी ओर लोंगोवाल के बीच बैठकर लिखा गया था। चौधरी भजन लाल को * * * की तरह बाहर बिठा दिया गया था। मुख्यमंत्री इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मैं अंदर जाकर हरियाणा प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय पर दस्तख्त कर सकूं। चौधरी भजन लाल उस समझौते पर दस्तख्त करके आए थे। जब हरियाणा प्रदेश के साथ अन्याय हुआ तो चौधरी देवी लाल और श्री मंगल सैन दोनों ने हरियाणा विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर हिसार से दिल्ली तक पद यात्रा शुरू की थी। गांव-गांव में अलख जगाकर इस मुद्दे के लिए लोगों को प्रेरित किया था।

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी के बारे में जो शब्द कहा गया है, उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी के बारे में सभी जानते थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, चौधरी देवी लाल तो बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। हम जैसे छोटे-छोटे नेताओं का भी कहीं जिक्र कर दो जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने भी विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर बहुत बड़ा काम किया था।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): अभय जी, आपकी पार्टी ने जो किया वह बहुत बड़ी कुर्बानी थी। सरकार के कार्यकाल के 9 महीने पहले अध्यक्ष महोदय आप, चौधरी कृष्ण पाल गुज्जर, वैध कपूर चंद, श्रीमती सरिता नारायण, चन्द्र भाटिया आदि विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। गांव का सरपंच 10 दिन पहले भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार आप लोगों ने हरियाणा के हितों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। यह सदन इस बात के लिए आप लोगों का अभिनन्दन करता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से पूरे हाउस से अनुरोध है कि जहां प्रदेश का सवाल है चाहे वह एस.वाई.एल. का मुद्दा है चाहे चण्डीगढ़ का मुद्दा है चाहे हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र के गांवों का मुद्दा है इन पर हम सबको एकमत होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक सदस्य को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से कोई हमारे प्रदेश के साथ कुठाराघात न कर सके। इसके साथ-साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बताना चाहूंगा कि सरकार ने 7-8 मार्च को ग्लोबल हैपनिंग हरियाणा के नाम से ग्लोबल सम्मिट करवाई है। उस सम्मिट में बहुत-से एम.ओ.यूज. पर साईन करवाए गए। उस सम्मिट से पहले भी हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अमेरिका और कनाडा की यात्रा पर गए थे। विदेशों से जब माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी लौटकर आए तो

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

[अभय सिंह चौटाला]
इन्होंने हरियाणा विधान सभा में यह कहा था कि हम 10 हजार करोड़ का निवेश लेकर आए हैं और काफी एम.ओ.यूज. पर साइन करके आए हैं लेकिन अब तक अमेरिका के 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश के जो एम.ओ.यूज. पर साइन हुए थे उन पर कहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा में उन पर काम हो रहा है और अगर इनको जानकारी न हो तो ये मुझ से जानकारी ले लिया करें। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को लगता है कि मैं ठीक बात नहीं कह रहा हूं तो वे मुझे आंकड़े दे दें। मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने वाकई में हरियाणा में निवेश कराया है। अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आपने सदन का समय कम बढ़ाया है। आपने करीब 357 कम्पनियों के साथ एम.ओ.यूज. साइन किये हैं। ये संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। इन्होंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में 5 लाख, 84 हजार करोड़ रूपये का निवेश आएगा। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में 5 लाख नौकरियां पैदा होने की बात भी कही थी। स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इससे जो 4 लाख करोड़ रूपये का निवेश आने की बात कही गई है वह सिर्फ रीयल इस्टेट में ही बताया गया है। रीयल इस्टेट में भी जो निवेश आएगा इसे केवल दिल्ली के आसपास के इलाके गुड़गांव, फरीदाबाद तक ही सीमित रखा गया है। हालांकि निवेश की बात एन.सी.आर. में कही गई है और एन.सी.आर. में लोहारू, सिवानी, मेवात और जींद भी आता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जब समय आए तो ये अपनी बात कह लें। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भाजपा के ही केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस करार की सफलता पर आशंका जाहिर की है। मैनुफैक्चर सैक्टर में केवल 1.43 फीसदी करार हुए हैं जोकि कुल एम.ओ.यूज. का बहुत छोटा हिस्सा है। सरकार दावा कर रही है कि यह निवेश सारे प्रदेश में होगा जबकि भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में आशंका जाहिर कर दी है। यह करार केवल सीमित क्षेत्रों के लिए है जोकि दिल्ली से लगता एरिया है। केंद्रीय मंत्री ने 'प्लॉट काटो ओर पैसा कमाओ' की नीति पर चलने की बजाय एम.ओ.यूज. को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कहा है। जो मैने सदन को बताया यह उन्हीं माननीय सदस्य के शब्द हैं जो उन्होंने एम.ओ.यू. के लिए आयोजित हैपनिंग हरियाणा सम्मिट सम्मेलन में कहे हैं। मैं सदन को यह भी बताऊंगा कि पैसा कहां से आएगा? सरकार ने एक ऐसी कम्पनी के साथ 45 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. पर साइन किये हैं जिसके मालिक ने फ्लैट पर कब्जा कर रखा है उसका अपना खुद का घर भी नहीं है। M3M कम्पनी का जो मालिक है उसने आज भी DLF के फ्लैट पर कब्जा कर रखा है। सरकार ने उसके साथ 45 हजार करोड़ रुपये के निवेश का MOU साइन किया है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे आदमी से कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि उसके निवेश से हरियाणा में पैसा आएगा।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, आपका समय खत्म हो गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए इसलिए मुझे 15 मिन्ट का समय और बोलने के लिए दे दीजिए।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष पिछले10 मिन्ट से जितनी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, यदि ये उन सारी बातों को वैरीफाई कर लेते तो इनकी काफी कुछ भ्रांतियां दूर हो जाती। इनकी सारी बातों का जवाब मुख्यमंत्री महोदय अपने जवाब में दे देंगे और सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। (विघ्न) चौटाला जी, आपका समय बच जाएगा इसलिए मैं बीच में विघ्न नहीं डाल रहा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप इन बातों की जानकारी ले लें तो आपके सवाल बचेंगे ही नहीं। (विघ्न) आप थोड़ा अच्छी तरह रिसर्च कर लेते तो अच्छा होता क्योंकि सारी बातों का जवाब तो सार्वजनिक हो चुका है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 6 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है सर।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 6 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने M3M कम्पनी के साथ MOU साइन किया है जो बैंक की डिफाल्टर कम्पनी है। उस कम्पनी के साथ 45 करोड़ रूपये का MOU साइन किया गया है। इसके साथ साथ जो पुरानी कम्पनियां हैं जो इस प्रदेश में निवेश कर रही थी। उन कम्पनियों में से वाड्रा लैंड डील में DLF कम्पनी थी उसके ऊपर तो CLU के नियम कड़े कर दिए गए और बाकी कम्पनियों के लिए छूट कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं DLF कम्पनी का पक्ष नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जितनी कम्पनियों के साथ MOU साइन किए गए हैं वे डिफाल्टर्ज कम्पनियां हैं। जो रियल इस्टेट में काम करने वाले लोग हैं या आज के जो मैक्सिमम बिल्डर्ज हैं, उन बिल्डर्ज को लोगों ने फ्लैट के लिए पैसे देकर अपने फ्लैट बुक करा रखे हैं। बिल्डर्ज द्वारा एक समय सीमा तय की गई थी कि इतने समय में आपको फ्लैट बनाकर दे देंगें लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिले। जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं वे आज मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगा रहे हैं। वित्त मंत्री जी, उन लोगों ने आपसे भी कहा होगा और वे लोग हमसे भी मिले थे। इस तरह उन लोगों का पैसा लूटा गया है और उन्हें फ्लैट देने के लिए जो समय दिया गया था उससे कई कई साल ज्यादा हो गए हैं लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिल पाया। उन लोगों को तो यह भी उम्मीद नहीं रही कि कल को उनको उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं ? ऐसे लोगों ने 100-100 की संख्या में पुलिस में दरखास्तें दी हैं और पर्चे दर्ज करवाएं हैं कि जो लोग उनके पैसे खा गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार उनको सम्मिट में बुलाकर उनसे MOU साइन कर रही है। ये बिल्डर्ज हरियाणा प्रदेश के उन लोगों का पैसा खाए बैठे हैं जो मेहनत से गुजारा करके, अपनी तनख्वाह से पैसा बचाकर फ्लैट खरीदते हैं। ये लोग चाहते हैं कि उनको किराए के मकानों में न रहना पड़े और उनका अपना आशियाना हो। जो बिल्डर्ज इन गरीब लोगों का पैसा वापिस नहीं कर रहे हैं सरकार को उन बिल्डर्ज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को अपना हक और अधिकार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाणा में सफेद मक्खी का प्रकोप हुआ था जिसकी वजह से कपास की खड़ी फसल खराब हो गई थी। सितम्बर में जब

[अभय सिंह चौटाला]

विधानसभा का सैशन चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हरियाणा के किसान को जिनकी फसल का सफेद मक्खी की वजह से नुकसान हुआ है, मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से12 जिलें आइडेंटीफाई किए गए थे जहां सफेद मक्खी की वजह से नरमे की, गवार की और बाजरे की फसल खराब हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि किसानों की खराब हुई फसलों के लिए हमने मुआवजे की राशि भेज दी है लेकिन दूसरी तरफ मुआवजे की राशि भेजने के साथ-साथ उसके ऊपर एक कट लगा दिया गया है कि 5 एकड़ जमीन तक ही मुआवजा दिया जाएगा और जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है और उसकी 20 एकड़ जमीन की फसल खराब हुई है तथा उसको मुआवजा 5 एकड़ जमीन का ही मिलेगा तो मानकर चला जाए कि यह किसान के साथ दोगली नीति अपनाने का काम होगा। पीछे जब किसान की गेहूं की फसल खराब हो गई थी तो सरकार ने मुआवजा देने का काम किया था। आज उसको पांच एकड़ पर लाकर सीमित करने का काम किया है। किसान को आज गवार और जवार के मुआवजे के पैसे नहीं दिए जा रहे। अब फिर से ओलावृष्टि और भारी बरसात की वजह से ऐसे ही हालात प्रदेश में पैदा हो रखे हैं। जिसके कारण कई जगहों पर किसान की फसल बर्बाद हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 5 एकड़ वाले कट को समाप्त करके जिसका जितना नुक्सान हुआ है, पूरा मुआवजा दिया जाये ताकि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अतिरिक्त किसान ने जो ऋण लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट भी उससे एक साल तक न ली जाये। इसी तरह से आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं उनसे बिजली के बिल नहीं लिए जायेंगे उसी तर्ज पर जिन किसानों की फसल को नुक्सान हुआ है उनसे भी बिजली का बिल न लिया जाये। आज बिजली का जो बिल जाता है उस पर कई तरह के सरचार्ज लगाये जाते हैं उस तरफ भी सरकार ध्यान दे और उनको हटाये और आने वाले 6 महीने तक उन किसानों से बिजली का बिल न लिया जाये जिनकी फसल को नुक्सान हुआ है। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक बुधवार दिनांक 16.3.2016 प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.00 बजे (तत्पश्चात् सदन की बैठक बुधवार दिनांक 16.3.2016 प्रात:10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

54325—H.V.S.—H.G.P., Chd.

© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.